खण्ड-268, अंक-9
शुक्रवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1888
(5 अगस्त, 1966 ई0)

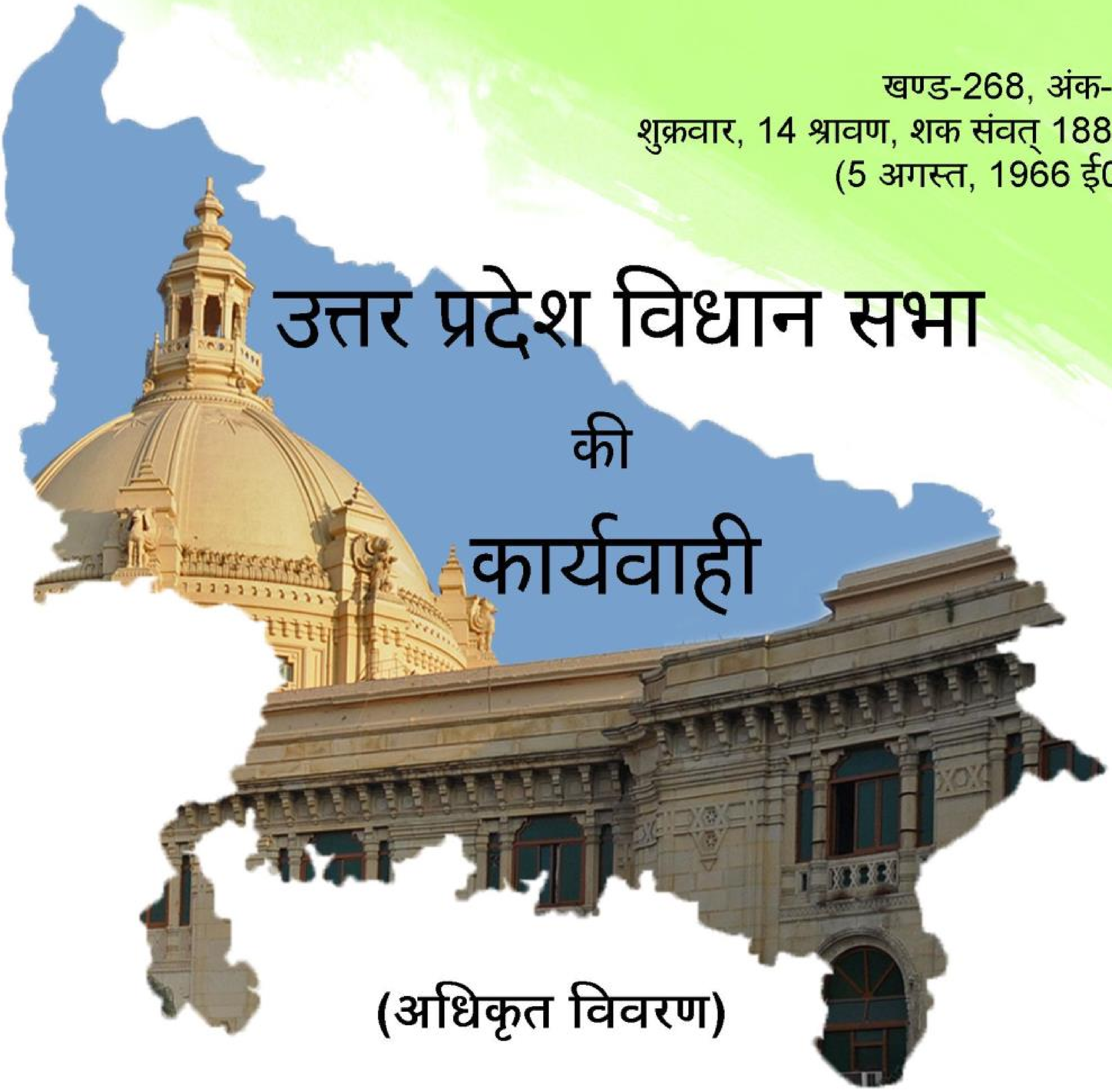

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 268 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ५ अगस्त, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६०

अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवध नारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेश प्रताप , राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमला पति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किश्वरआराबेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव राम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
खेम चन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगा प्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीनाथदीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पान्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखन्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रेमसिंह , श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पान्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दूभूषण प्रताप सिंह, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी श्रीमती, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बजनाथसिंह वद्य, श्री
बजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री

राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह राजा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन, रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्याम लाल श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम श्री
सुशीलारोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथतिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, माल मंत्री, श्री हुकुमसिंह विसेन तथा शिक्षा उप मंत्री डाक्टर राम नारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ५ अगस्त, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मंहगाई भत्ता

**१—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित) श्री लख पतराम शर्मा (जिला झांसी) तथा श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य मंत्री की केंद्रीय सरकार से राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के संबंध में कोई बात हुई है? यदि हां, तो क्या आश्वासन प्राप्त हुआ है?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

जी हां । केन्द्रीय सरकार से राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के संबंध में बात हुई है और यह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

**२—श्री बालोजी अग्रवाल, श्री ऊदल (अनुपस्थित), श्री लखपतराम शर्मा तथा श्री हरीश कुमार गंगवार—

राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कब तक कर दी जायेगी?

श्री जयराम वर्मा—

राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा सदन में की जा चुकी है।

श्री लखपतराम शर्मा—

माननीय मंत्री जी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि केन्द्रीय सरकार से बातचीत हुई। मैं यह जानना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार से क्या बातचीत हुई और सरकार उस बात के अनुसार क्या कदम आगे उठाने जा रही है ?

श्री जयराम वर्मा—

क्या बात हुई यह तो गोपनीय है।

श्री लखपतराम शर्मा—

बातचीत गोपनीय है, लेकिन सरकार आगे क्या कदम उठाने जा रही है यह तो मंत्री जी बता दें ?

श्री जयराम वर्मा—

महंगाई भत्ते की घोषणा हो गयी है। उसका रिजल्ट तो बता दिया गया है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि जो वेतन-क्रम निर्धारित किया गया है इस बारे में माननीय चरण सिंह को एक रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया था कि क्या बढ़ोत्तरी की जाय, तो जो घोषणा इस सदन में की गयी है, ५ रुपये और ८ रुपये की, वह माननीय चरणसिंह की रिपोर्ट के विपरीत है ?

श्री जयराम वर्मा—

उससे कुछ भिन्न अवश्य है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

एक ओर तो राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की अपनी घोषणा कर दी है और उसकी धनराशि की भी घोषणा कर दी है और दूसरी तरफ केंद्रीय सरकार के भी विचाराधीन आपकी मांग है। तो यदि केंद्रीय सरकार ने आपकी मांग के अनुकूल कोई आश्वासन न दिया तो आपकी इस घोषणा पर उसका क्या असर पड़ेगा ?

श्री जयराम वर्मा—

कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो मंहगाई भत्ता बढ़ा है यह अन्तरिम रिलीफ है अथवा यह उस दिशा की ओर प्रगति है जैसा कि पी०आर०सी० की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि १-८-६५ के बाद अगर केन्द्रीय सरकार कोई महंगाई भत्ता बढ़ायेगी तो प्रांतीय सरकार भी बढ़ायेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो तदर्थ किया गया है और इसलिये किया गया है कि महंगाई काफी बढ़ गयी है और कर्मचारियों को उससे काफी असुविधा हो रही थी।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

पी०आर०सी० की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि १-८-६५ के बाद अगर केन्द्रीय सरकार कोई महंगाई भत्ता बढ़ायेगी तो प्रांतीय सरकार भी बढायेगी। तो यह कदम क्या उसके मुताबिक है अथवा यह कोई अन्तरिम सहायता के रूप में पैसा दिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा--

पी०आर०सी० की रिपोर्ट में यह जरूर है, लेकिन उसके संबंध में राज्य सरकार यह कहती है कि जब हमारी स्थिति वैसी हो जायगी तब हम वैसा करेंगे और इस वक्त चूंकि महंगाई काफी बढ़ गयी है और कोई दूसरा उपाय जल्दी नहीं हो सका है जिससे उनकी तकलीफ को दूर किया जा सके इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि उनके महंगाई भत्ते में कुछ वृद्धि कर दी जाय।

श्री ऊदल--

प्रांतीय सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अध्यापकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये जो ११७ करोड़ रुपये की मांग की थी उसमें केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कितना रुपया दिया है ?

श्री जयराम वर्मा--

इसमें कुल ८३ करोड़ ६६ लाख रुपया दिया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस बढ़ोत्तरी का कल एनाउन्समेंट किया गया है वह कर्मचारियों से जिस समय उन्होंने हड़ताल वापस ली थी जो आश्वासन दिये गये थे उसके मुताबिक है और वे आश्वासन क्या थे ?

श्री जयराम वर्मा--

किसी रकम के बारे में इतनी वृद्धि की जायेगी इसका कोई आश्वासन नहीं था।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सदन में कल घोषणा की गई है उसका जो बर्डेन आयेगा उसको प्रादेशिक सरकार वहन करेगी या केंद्रीय सरकार कुछ हिस्सा देगी ?

श्री जयराम वर्मा--

हमारा प्रयास तो यही है कि केंद्रीय सरकार सब रुपया दे दे। लेकिन यदि कुछ कम मिलता है तो राज्य सरकार देगी।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि तेजी से महंगाई बढ़ रही है, यह जो आपने अन्तरिम रिलीफ दी है, वह उसका कौन-सा अंश है और इस महंगाई को रोकने का सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा--

क्या प्रतिशत है यह कहना मुश्किल है। लेकिन जो महंगाई बढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए यह किया गया है। यह भी किया जा रहा है कि जिन्दगी का जरूरी सामान मुनासिब दाम पर मिल सके तो अच्छा है। क्योंकि महंगाई भत्ते में वृद्धि करने से ही हल निकलने वाला नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केंद्रीय सरकार से जो मुख्य मंत्री की बातचीत हुई है उसमें कर्मचारियों की छटनी और जुडीशियल इंक्वायरी के बारे में भी बातचीत हुई है?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो मैं कह चुका हूं जो बात हुई वह गोपनीय है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या यह सही है कि जो महंगाई भत्ता दिया गया है वह छोटे कर्मचारियों को कम और बड़ों को ज्यादा दिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

यह सही है कि कम वेतन पाने वालों को कम और ज्यादा को ज्यादा दिया गया है। अभी तक महंगाई भत्ता इसी तरह से दिया जाता रहा है और केन्द्र तथा दूसरी स्टेट्स में भी यही तरीका रहा है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या इसको देखते हुए कि रुपये का अवमूल्यन १४।। पैसे हो गया है। तो इसे देखते हुए जो ८ रुपया वाली महंगाई है उसे ३०० से कम वेतन पाने वालों को देने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

रोडवेज बसों के किराये में वृद्धि

**३—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनभावनाओं के प्रतिकूल और कमरतोड़ भीषण महंगाई की असाधारण परिस्थिति में सरकार राजकीय रोडवेज की सवारी बसों के किराये में ५ अगस्त, १९६६ से असाधारण वृद्धि (१३ प्रतिशत या इससे भी अधिक) करने जा रही है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

१३ प्रतिशत या उससे अधिक नहीं। परन्तु कुछ वृद्धि की जा रही है यह वृद्धि भी केवल उन्हीं किरायों में की जा रही है जहां पर अभी १४ जून, १९६५ से विज्ञापित दरों से कम किराया लिया जा रहा है।

श्री रामकिशोर वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, आप मेरे प्रश्न और मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर को देखें, उससे ऐसा लगता है कि सरकार ने जनभावनाओं के प्रतिकूल बसों के किराये में वृद्धि की है और किन्हीं मार्गों पर नहीं की है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन मार्गों पर १४ जून को जो दरें थीं वह अब तक दूसरी जगहों पर क्यों नहीं की गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह खयाल है कि किन्हीं मार्गों पर विज्ञापित दरें बढ़ी हैं और किन्हीं पर नहीं। लेकिन ऐसी बात वास्तव में नहीं है। पूरे प्रदेश के लिये विज्ञापित की गई थीं।

श्री रामकिशोर वर्मा—

यह वृद्धि भी उन्हीं मार्गों पर की जा रही है जिन पर कम किराया लिया जा रहा है—ऐसा मंत्री जी ने उत्तर दिया है । तो इसका अर्थ यह हुआ कि जितना बढ़ाया था वह कहीं लिया जा रहा था और कहीं किराया कम लिया जा रहा था। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि अब तक यह स्थिति क्यों रही ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, १४ जून, १९६५ को एक नोटीफिकेशन निकला, जिसमें किराये की दर तय की गई थी कि इस इस दर से किराया लिया जायेगा । बहुत से स्थानों पर विज्ञापित दर से कम किराया लिया जाता था, तो अब तक जहां विज्ञापित दर से कम लिया जा रहा था, वहां पर बढ़ा है ।

अनेक सदस्य—

यही तो प्रश्न है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

कहीं कहीं पर विज्ञप्ति जारी होने के बाद किराये बढ़ाये गये हैं । तो क्या उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर और देहरादून में ८ आना प्रति सवारी किराया बढ़ाया गया था, तो यह क्यों बढ़ाया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह हुक्म के खिलाफ किराया बढ़ाया गया, जिसके आदेश नहीं थे । यदि माननीय सदस्य कहेंगे तो इस शिकायत को देख लिया जायगा ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

मंत्री जी यह जो किराया बढ़ रहा है, यह तो अपनी जगह पर ठीक है । लेकिन क्या मंत्री जी रेलों की तरह मोटरों पर कुछ रियायती वापसी टिकट जारी करने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री होरीलाल यादव—

क्या मंत्री जी इस बात को भी विचार करने के लिये तैयार हैं कि थर्ड क्लास का किराया न बढ़ाया जाए और फर्स्ट क्लास का बढ़ाया जाए ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह किराया तो दोनों में बढ़ा है और मामूली बढ़ा है ।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न राजमार्गों पर जहां सरकारी बसें चलती हैं, उनमें टिकट दरों में आपस में अन्तर है, वह क्यों है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह रेट्स तो एक ही हैं, लेकिन उन राज मार्गों के जो ग्रेड हैं, ए क्लास और बी-क्लास, उनके हिसाब से यह अन्तर है मेटेल्ड रोड और कच्ची रोड का ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

'ए' क्लास बसेज की हालत अच्छी है सिर्फ उन्हीं का किराया बढ़ाया जाय और बी० सी० क्लासेज का किराया न बढ़ाया जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह कैसे सम्भव हो सकता है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

किराया जो १३ जून के बाद बढ़ाया गया है वह ए० क्लास और बी० क्लास दोनों प्रकार की सड़कों पर एकसा हो जायगा ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

नहीं, वह अन्तर रहेगा । दोनों के रेट्स बढ़े हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

आपने कहा था कि जून में जहां कम था वहीं बढ़ाया जायगा, इसका क्या मतलब फिर होता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मैं तो शुरू में ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जून सन्, ६५ में जो विज्ञप्ति हुई है, जहां निर्धारित रेट्स से कम लिया गया था, उस पर अधिक लिया जा रहा है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जहां अधिक बढ़ा हुआ था उसके बराबर जहां नहीं बढ़ा हुआ था वहां क्या किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि हमने एक मेयार निश्चित कर दिया है । जून ६५ में हमने एक कसौटी रखी और उसको दृष्टि में रखते हुए अगर कहीं कभी अनुभव होगी तो वह किराया बढ़ायेंगे ?

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

पथरी जंगल में बाढ़ पीड़ितों को दी गयी भूमि

*१—श्री सईदअहमद (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि १९५६-५७ में मीरपुर कलां खुर्द, नाबलपुर धारीवाला टिकोला व हरसी वाला, जिला मुजफ्फरनगर के बाढ़पीड़ितों के लिये पथरी जंगल, जिला सहारनपुर में २,४७२ एकड़ जमीन उसी जमाने में एलाट की गई थी ? यदि हां, तो उक्त बाढ़ पीड़ितों में से कितनों को कब्जा दिया जा चुका है और कितनों को अभी तक नहीं दिया गया?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

जी हां, निर्धारित क्षेत्रफल २४७४ एकड़ था । ३६१ व्यक्तियों को २१८५ एकड़ भूमि १९५४ और उसके बाद अलाट की गई थी । इनमें से केवल ३१७ व्यक्ति आये और उन्होंने १९२४ एकड़ भूमि पर कब्जा किया । शेष ४४ व्यक्ति सहारनपुर नहीं आये ।

*२—श्री सईदअहमद—

क्या यह सही है कि उपरोक्त एलाटेड भूमि पर सहारनपुर व मुजफ्फरनगर के कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है और रिपोर्ट पर उनको अभी तक बेदखल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उन्हें हटाने के लिये अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां। कलेक्टर द्वारा नियमानुसार अनधिकार कब्जा हटाने या उसे नियंमित करने की कार्यवाही की जा रही है।

*३—श्री सईदअहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो भूमि मुजफ्फरनगर के बाढ़ पीड़ितों को सहारनरपुर में एलाट की गयी उनके वितरण करने का आधार क्या था ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मुजफ्फरनगर के बाढ़ पीड़ितों को मुजफ्फरनगर के अधिकारियों ने ही भूमि के अलाटमेंट के लिये चुना था। प्रत्येक बाढ़ पीड़ितों को उतनी ही भूमि दी जानी थी जितनी उसके पास पहले थी पर किसी भी अवस्था में यह १० एकड़ से अधिक नहीं हो सकती थी। उन्हें मुजफ्फरनगर स्थित अपनी भूमि को सरकार के पक्ष में छोड़ भी देना था।

श्री सईदअहमद—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि २४७२ एकड़ जमीन जो मुजफ्फरनगर के बाढ़ पीड़ितों के लिये सुरक्षित रखी गई थी वह उसी मकसद के लिये है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

हमने तो खती के लिये दी थी।

श्री सईदअहमद—

श्रीमन्, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि २४७२ एकड़ जमीन पथरी जंगल में मुजफ्फरनगर के बाढ़ पीड़ितों के अलाटमेंट के लिये सुरक्षित रखी गई थी। तो वह उसी मकसद के लिये थी या दूसरे के लिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उसका केवल मकसद खेती था।

श्री सईदअहमद—

मेरे प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं आया। जो २४७२ एकड़ जमीन पथरी में सुरक्षित रखी गई थी। वह उन लोगों के लिये एलाट होनी थी जो मुजफ्फरनगर के बाढ़ पीड़ित थे या दूसरे मकसद के लिये थी ?

श्री अध्यक्ष—

कृपया यह बताये कि बाढ़पीड़ितों के अतिरिक्त और लोगों को भी जमीन दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बाढ़ पीड़ितों को दी गई थी। कुछ नहीं आये। जब वे लोग नहीं आये तो दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया।

श्री सईदअहमद—

जो बाढ़पीड़ित परिवार रह गये हैं और जिनको अलाटमेंट नहीं हुआ है ट्रेसपासर को हटाकर उन लोगों को दी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कलेक्टर को आर्डर दे दिया गया है कि ट्रेसपासर को हटाने की कार्यवाही करें। अगर कोई कानूनी अड़चन है तो उसके लिये मजबूरी है।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि बाढ़पीड़ितों ने कई दफा माल मंत्री और मुख्य मंत्री को अपना प्रार्थना पत्र दिया था कि उनको जमीन दी जाय जहां पर नाजायज कब्जा और लोगों ने कर लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह नहीं है। प्रार्थना पत्र दिया होगा यह सम्भव है।

श्री अहमद बख्श—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ए०डी०एम० मेहरोत्रा ने उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है, उनको नोटिस दी है और मुकदमा चलाया है ? यदि हां, तो क्या नतीजा हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसकी सूचना जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, उस तरह से हम लोगों को नहीं है।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

मैं सरकार से यह मालुम करना चाहता हूं कि सरकार की साफ नीति क्या है, जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उनको रखना चाहती है या निकलाना चाहती है ? मैं चाहता हूं कलेक्टर को साफ हिदायत दी जाय कि वह ट्रैसपासर को निकालकर उन लोगों को कब्जा दे जिसको पहले वह जमीन अलाट हो चुकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कानूनी ढंग से बेदखल कर सकते हैं। अगर उनके करने में कोई कानूनी अड़चन पड़ती है तो उसके लिये मजबूरी है।

श्री रियासत हुसैन——

क्या माननीय मंत्री जी ट्रैसपासर की सूची सदन की मेंज पर रखने की कृपा करेंगे जिनको बेदखल कर दिया गया था और जुरमाना भी किया गया था उसके बाद भी उन्होंने आर्डर को कम्पलाई नहीं किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह सूची इस समय हमारे पास नहीं है।

श्री सईदअहमद—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जितनी जमीन उनको देने की बात कही गयी थी उतनी ही जमीन उनको दी गयी अथवा कम ज्यादा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो नहीं आये उनको नहीं दी गयी।

श्री सईदअहमद—

जो जमीन एलाट हुई है वह खेती के काबिल जमीन होनी चाहिये। अगर गलत तरह की जमीन उन को एलाट हुई है तो क्या सरकार उसे ठीक करायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गलत जमीन एलाट हुई है ऐसी हमारी सूचना नहीं है।

श्री अहमद बख्श—

सूची अभी मंत्री जी के पास नहीं है, तो क्या वे उस सूची को मंगवा कर सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दफतर में भी गालिबन नहीं है, लेकिन अगर दफ्तर में होगी तो जरूर दिखा दूंगा।

श्री अहमद बख्श —

अगर नहीं होगी तो क्या मंगवा कर मेज पर रखेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आप जा कर जिले में पता लगा लीजिये।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

जो २,४७२ एकड़ जमीन उनको देने के लिये थी उसमे से कितनी जमीन पर अन्य लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रघुनाथसिंह—

वह जमीन बाढ़ पीड़ितों के लिये थी लेकिन कुछ अन्य लोगों ने जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया और उत्तर से पता चलता है कि उन को बसे हुए इतने दिन हो गये ह कि उनको अब बेदखल नहीं किया जा सकता। तो ऐसी गलती जिले के अधिकारियों से क्यों हुई और क्यों उन को इतने समय तक उस पर काबिज रहने दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैंने इस के लिये कमिश्नर को हुक्म दे दिया है। अब सब ठीक है।

श्री जयगोपाल—

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी मैंने बात की तो उसने बतलाया कि सरकार से मुझे यह हिदायत हुई है कि जिन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उनको रेगुलराइज कर दिया जाय और यह उस स्टेज पर कहा गया है कि जब लोग, जिनको उस जमीन का एलाटमेंट हो गया था हाईकोट से अपना मुकदमा जीत चुके हैं। इस स्टेज पर उनको रेगुलराइज करना खिलाफ कानून होगा और जिनके नाम एलाटमेंट किया गया है उनके साथ इंसाफ न होगा। तो क्या सरकार हिदायत करेगी कि इस स्टेज पर जिन को एलाटमेंट किया गया है उन को जमीन दिलायी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो कानूनी तरीका है उसी तरह से हम हिदायत कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि हाईकोर्ट से एलाटीज मुकदमा जीत गये हैं। वहां के कलेक्टर का कहना है कि सरकार द्वारा हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि नाजायज कब्जा रखने वालों को रेगुलराइज करदिया जाय और जो मुकदमा जीत गये हैं उन का ध्यान न रखा जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हम ने आर्डर्स दिये हैं कि अगर कोई कानूनी अड़चन न हो तो उन केसेज को रेगुलराइज कर दिया जाय ।

*४-५—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[४थे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये]

बस्ती जिले के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में कार्य की अधिकता

*६—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रजिस्ट्रेशन विभाग के अन्तर्गत आने वाले बस्ती के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में कितने दिनों से दस्तावेज जनता को न लिखे जाने के कारण वापस नहीं किये गए, उनमें कितने दस्तावेज १९६५ के वापस नहीं किये ? इनका कारण क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—

बस्ती जिले में ६ उप निबन्धक कार्यालय हैं। प्रत्येक कार्यालय में जिस तिथि से दस्तावेज पंजीकृत होने के बाद नहीं लौटाये गये इस प्रकार हैं—

१—बस्ती	..	..	१६-५-६६ के बाद प्रस्तुत किए गए दस्तावेज।
२—हरैया	..	..	३-६-६६ ,,
३—खलीलाबाद	..	..	८-६-६६ ,,
४—बांसी	..	..	२७-५-६६ ,,
५—डुमरियागंज	..	..	२४-१२-६५ ,,
६—नौगढ़	..	..	१४-४-६६ ,,

उप निबन्धक कार्यालय, डुमरियागंज में ९० दस्तावेज जो १९६५ ई० में पंजीकृत होने के लिए प्रस्तुत हुए, न लिखे जाने के कारण वापस नहीं किये गये हैं। इसका कारण यह है कि जिल्द बही नं० १ (Register book) जिसमें दस्तावेज नकल किए जाते हैं स्टाक में एकदम समाप्त हो गये और अधीक्षक मुद्रण तथा लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद निरन्तर अनुस्मारक पत्र भेजने पर भी कई माह तक वांछित बही नं० १ की जिल्दें नहीं भेज सके।

*७—श्री चन्द्रपाल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जनता द्वारा रजिस्ट्री की फीस के साथ प्रतिलिपि की फीस भी देने के बावजूद भी उन बस्ती के सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों में बकाया काम को खत्म करने हेतु सितम्बर, १९६५ से स्टाफ को सैंक्शन क्यों नहीं किया गया जबकि उनकी तनख्वाह के पैसे से अधिक सरकार को उसी फीस से उपलब्ध हो जाता है ?

श्री जयराम वर्मा—

अतिरिक्त स्टाक की स्वीकृति करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*८—श्री चन्द्रपाल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि बांसी, डुमरियागंज, नौगढ़ (बस्ती) के सब-रजिस्ट्रार के दफ्तरों में पिछले कई सालों से कार्य काफी बढ़ गया है और रजिस्ट्रेशन नियम के अन्तर्गत इन में तीन-तीन लिपिक होना चाहिए फिर भी एक ही लिपिक से क्यों कार्य लिया जा रहा है जिससे कि किसान तथा कर्मचारी दोनों को परेशानी है ?

श्री जयराम वर्मा--

बांसी और डुमरियागंज के निबन्धन कार्यालयों के लिए स्वीकृत निबन्धन लिपिकों की संख्या कार्यभार को देखते हुए ठीक हो रही है। कार्यवृद्धि के कारण यदि अतिरिक्त लिपिकों की आवश्यकता सिद्ध होगी तो और पद स्वीकृत कर दिए जायेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

मंत्री जी ने तालिका में दिया है कि बांसी का है २७-५-६६, यानी तीन-तीन महीने हो चुके हैं--डुमारियागंज में तो कोई एक्सप्लेनेशन दिया भी है, लेकिन बांसी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है वहां से अब तक क्यों नहीं वापस हुए ?

श्री जयराम वर्मा--

कारण यह है कि वह लिखे नहीं जा सके काम कुछ ज्यादा हो जाने की वजह से।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

डुमरियागंज में रजिस्टर तक नहीं है यह बताया और यह है १९६५ का, तो कोई कार्यवाही उनके खिलाफ करेंगे या प्रेस को कोई हिदायत करने का इरादा है कि जहां से ये रजिस्टर तैयार नहीं होते हैं, कागज पर केवल लकीरें मार कर खींच दी जाती हैं और कुछ नहीं होता है ? उसके लिये साल-साल बीत जाता है और रजिस्टर तैयार नहीं होता है, प्रेस को क्यों नहीं हिदायत करते हैं ?

श्री जयराम वर्मा---

प्रेस से तो बराबर कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द वह रजिस्टर तैयार कर दें जिससे नकल हो सके, लेकिन चूंकि मिलने में देरी हुई इस वजह से नकल नहीं हो सकी।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह है कि केवल बस्ती में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का यह मसला है और सब-रजिस्ट्रार के यहां जो मकानों की रजिस्ट्री होती है तो सरकारी फीस के अलावा उनकी स्वयं की फीस जबतक अदा न की जाय तब तक वह रजिस्ट्री नहीं करते ? जिसकी फीस पहुंच जाती है उसका काम हो जाता है और जो नहीं देता उसको महीनों तक कागजात नहीं मिलते हैं ? अगर जानकारी में न हो तो जांच करा लीजिये। क्या सरकार कोई कदम उठाने को तैयार हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

बस्ती वाले तो कह नहीं रहे हैं।

श्री लखपतराम शर्मा--

श्रीमन्, मैं बस्ती के लिये और साथ ही पूरे प्रदेश के विषय में यह कह रहा हूं कि समय के अन्दर कागजात इसलिये वापस नहीं किये जाते हैं कि उनको रिश्वत नहीं मिलती, जो दे देता है उसके वापस हो जाते हैं। बस्ती का भी उसी में शमिल है।

श्री अध्यक्ष--

तो आप पूछें कि इस तरह की शिकायत बस्ती में है ?

श्री जयराम वर्मा--

ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की उचित व्यवस्था करेंगे कि जो दस्तावेज लिखे जा चुके हों उनको तुरन्त संबंधित व्यक्तियों को वापस कर दिये जांय और भविष्य में दस्तावेज समय के अन्दर ही लिखे जायं ?

श्री जयराम वर्मा--

कुछ कार्यालयों में कुछ काम बढ़ा। पहले तो जिला रजिस्ट्रार ने यह प्रयत्न किया कि जो मौजूदा स्टाफ है उसी से काम चलाया जाय, लेकिन जब काम पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने सरकार से सिफारिश की कि कुछ अतिरिक्त स्टाफ दिया जाय। सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द ही फैसला हो जायेगा।

श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह विचार कब तक समाप्त हो जायेगा ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

जो कारण इसके माननीय मंत्री जी ने बताये हैं वे सही नहीं हैं। मेरी सूचना यह है कि वहां दस्तवेज लिखे हुये पड़े हैं किन्तु चूंकि उनको पैसा नहीं दिया जाता इसलिये वे उनको वापस नहीं करते। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? और क्या इसकी भी जांच करायेंगे कि वे कब लिखे गये हैं और उनको क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा--

अगर माननीय सदस्य अपनी सूचना को लिख कर देंगे तो अवश्य जांच करा लेंगे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्वीकृत पद

*९--श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के सभी वर्गों का सैंक्शन्ड इस्टैब्लिशमेंट केडर क्या है तथा इसमें कितने पद स्थायी है तथा कितने अस्थायी हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--

†सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

*१०--श्री शारदाभक्तसिंह (अनुपस्थित)--

उक्त प्रश्न के उत्तर में जितने पद अस्थायी हैं उनमें से ऐसे कितने हैं जोकि तीन वर्ष की अवधि से अधिक से अस्थायी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

†सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

*११--श्री शारदाभक्तसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार का ध्यान डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जांच कमेटी की रिपोर्ट के भाग २ के पैरा १३, जोकि सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, की ओर गया है जिसमें व्यवस्था की गई है कि जो पद ३ वर्ष से अधिक काल से अस्थायी हैं वह स्थायी कर दिये जांय ? यदि

---

†छापी नहीं गयी।

हां, तो उक्त प्रश्न के उत्तर में बताये गये पदों को अब तक स्थायी न करने का कारण क्या है ? तथा उक्त पद कब तक स्थायी कर दिये जायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

कथित रिपोर्ट के भाग दो के पैरा १३ में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि विपरीत कारण उपस्थित न हों तो स्थायी विभागों के समस्त अस्थायी पद जो तीन वर्षों से अधिक अवधि से चले आ रहे हों स्थायी कर दिये जाने चाहिये। चूंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यभार अस्थाई प्रकृति का है तथा परिवर्तनशील है, इसके समस्त अस्थायी पदों को स्थायी नहीं किया जा सकता।

इलाहाबाद जिला परिषद् के अध्यापकों को पेन्शन

*१२--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार यह बतायेगी कि अध्यापकों की लाभत्रयी योजना लागू होने के बाद इलाहाबाद (प्रयाग) जिला परिषद् के अधीन विद्यालय में काम करने वाले कितने अध्यापकों ने अवकाश ग्रहण किया ? तथा क्या उन सभी को पेंशन दी जा रही है ? यदि हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

लाभत्रयी योजना लागू होने के पश्चात् प्रयाग जिला परिषद् के ११७ अध्यापकों ने अवकाश ग्रहण किया है। सूचना मिली है कि उन्हें पेन्शन देने के संबंध में परिषद् पत्रादि तैयार कर रही है किन्तु वह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और पेन्शन अभी किसी को दी नहीं जा सकी है।

श्री नाथूराम शिक्षक--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह पेन्शन कब से देनी शुरू हो जायेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

कागजात तैयार किये जा रहे हैं, जैसे ही तैयार हो जायेंगे देना शुरू हो जायेगा।

श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसे आदेश देंगे जिस से इस कार्य में शीघ्रता की जा सकें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

कागजात सब उन्हीं के पास हैं.....

श्री अध्यक्ष--

आप फिर से स्मरण करा देंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय----

तुरन्त फिर से स्मरण करा दिया जायेगा।

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना

*१३--श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के स्थायीकरण संबंधी राजकीय आदेश सितम्बर, १९६५ में हो चुका है फिर भी इस योजना के अन्तर्गत पदों को किन कारणों से अभी तक स्थायी नहीं किया गया है तथा वह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अप्रैल १, १९६५ से लगभग २/३ पदों का स्थायीकरण किया जा चुका है ।

प्रसाराध्यापकों के स्थायीकरण हेतु उनकी ज्येष्ठता, गोपनीय आख्या, उत्पादन क्षमता आदि का विवरण एकत्रित किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होते ही ये विवरण विभागीय चुनाव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और समिति की संस्तुति पर प्रसाराध्यापकों का स्थायीकरण किया जावेगा । यह सब कार्य लगभग ३ महीने में पूरा हो जावेगा ।

*१४—श्री मुकुटबिहारीलाल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रसार अध्यापकों की पदोन्नति की श्रृंखला क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

(१) अस्नातक वेतन-क्रम से स्नातक वेतन-क्रम में ।

(२) स्नातक वेतन-क्रम से प्रवक्ता (राजकीय प्रसार—अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, प्रतापगढ़) या कृषि पर्यवेक्षक के पद पर अस्थाई रूप से यदि स्थान रिक्त है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अध्यापकों के पद स्थायी नहीं हो रहे हैं उनके पद तीन मास तक स्थायी कर दिये जायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

प्रयत्न तो यही है कि सब कार्य पूरा हो जायेगा ।

श्री दयाराम शाक्य—

श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि दो तिहाई अध्यापकों का स्थायीकरण हुआ है । वह ज्येष्ठता के आधार पर हुआ है या अन्य बातों के आधार पर ? बाकी में उनका संकलन क्यों नहीं हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ज्येष्ठता क्रम उसी से निर्धारित होगा ।

ऐंग्लो संस्कृत डिग्री कालेज, फतेहपुर को सहायता

*१५—श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित) तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के एक मात्र डिग्री कालेज (ऐंग्लो संस्कृत डिग्री कालेज), फतेहपुर को वर्ष १९६५–६६ व १९६६–६७ में कोई सहायता दी गई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वर्ष १९६५–६६ में दी गई । १९६६–६७ में भी दी जा रही है ।

जमाबन्दी तैयार करने के लिये लेखपालों को भत्ता

*१६---श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि लेखपाल प्रत्येक वर्ष जमाबन्दी तैयार करने के लिये तहसील में महीनों रक्खे जाते हैं तो क्या सरकार उनको कोई एलाउन्स देती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनको कोई एाउन्स देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

नियमानुसार लेखपाल जमाबन्दी अपने हलके में तैयार करते हैं, तहसील के मुख्यावास पर नहीं। हां, जमाबन्दी की चेकिंग तथा पूर्णता (Completion) के लिये वे तहसील, के मुख्यावास पर कुछ समय के लिये अवश्य बुलाये जाते हैं। उस काल के लिये, क्लेम करने पर नियमानुसार, पहले दो दिन का छोड़कर, उन्हें दैनिक भत्ता मिलता है। एलाउन्स, उन्हें देने के नियम तो पहले से ही बने हुये हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि किस नियम के अन्दर या किस हिसाब से लेखपालों को भत्ता दिया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह पटवारी मैनुअल में दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

एक बात सुन लीजिये। अनुपूरक प्रश्न में जो जानकारी रैफरेन्स बुक में मिल सकती हो, वह नहीं पूछना चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में कितना रुपया इस संबंध में पटवारियों को दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

नोटिस की जरूरत है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

क्या माननीय मंत्री इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे कि ये भत्ते के नियम बड़े पुराने बने हुए हैं और वर्तमान महगाई को देखते हुए नाकाफी हैं। उसमें दोबारा गौर करने की कृपा करेंगे ?

राजस्व मंत्री श्री हुकुम सिंह विसेन--

इसमें अभी जरूरत नहीं है। बहुत पुराने नियम नहीं हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो लेखपाल तहसीलों के मुख्यावास पर जमाबन्दी तैयार करने के लिये आते हैं उनको पूर्वी जिलों में पिछले तीन-चार सालों से कोई एलाउन्स नहीं दिया गया है। क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मुझे इसकी सूचना नहीं है। आप लिख दें तो कार्यवाही करें।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, जो दैनिक भत्ता लेखपालों को दिया जा रहा है वह इतना कम है जिससे भली प्रकार से वे भत्ते का लाभ नहीं उठा सकते। क्या उसको बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

अभी ऐसी कोई डिमान्ड नहीं है।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि जमाबन्दी अपने क्षेत्र में बनाते हैं यह निराधार सूचना। जमाबन्दी तहसील में होती है और चेकिंग भी तहसील में होती है, क्या इस संबंध में बनारस तहसील की जांच करने की कृपा करेंगे और दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

नियम में यह है कि वे हलके में बनाते हैं। चेकिंग के लिये तहसील में जाते हैं और उनको नियमानुकूल भत्ता दिया जाता है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि लेखपालों को ६ आने भत्ता दिया जाता है जिसमें गुजर नहीं होती। क्या जिलाधीशों को आदेश देंगे कि इनको भत्ता बढ़ाकर दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

७५ पैसे दिया जाता है, ६ आने नहीं दिया जाता है।

स्याना—बुगरासी मार्ग

*१७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में स्याना-बुगरासी मार्ग, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार में है जो अनेक ग्रामों से गुड़ तथा अनाज से भरी हुई कृषकों की गाड़ियों में प्रतिदिन स्याने मण्डी में आती जाती हैं उनमें से कितनी ही गाड़ियों में जुते पशुओं की मृत्यु मार्ग पक्का न होने तथा अत्यन्त खराब होने के कारण हो जाती है तथा गाड़ियां टूट जाती हैं जिससे उक्त क्षेत्र के कृषकों को अत्यन्त क्षति पहुंच रही है ? क्या उक्त मार्ग को पक्का करवाने की ओर सरकार अविलम्ब ध्यान देगी और निर्माण करने के लिये आवश्यक धन प्राप्त करने का प्रयास करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सरकार के पास पशुओं की मृत्यु तथा गाड़ियों के टूटने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। धनाभाव के कारण इस समय इस सड़क का निर्माण सम्भव नहीं है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

माननीय मंत्री जी ने क्या प्रयास किया है यह मालूम करने का कि वहां पशुओं की मृत्यु हुई या नहीं और गाड़ियां टूटी या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसमें संदेह नहीं सूबे में बहुत सी जगह सड़कें कच्ची और खराब हैं। अगर धन मिल जायगा तो चौथी योजना में इस पर विचार करेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

स्याना-बुगरासी मार्ग तीसरी योजना में लिया गया था तो अब तक न बनने का क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क को तीसरी प्राथमिकता जिला परिषद् के द्वारा दी गई थी और अभी पहली दो पर कार्यवाही हो रही है ।

दहगवां ग्राम के किसानों की जमीन

*१८—श्री उल्फतसिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के विकास खण्ड दहगवां, ग्राम दहगवां में ऐसे कौन कौन काश्तकार हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में साढ़े बारह एकड़ से अधिक नई जमीन तथा अपने परिवार वालों के नाम से खरीदी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोई नहीं ।

गणेशशंकर विद्यार्थी इंटर कालेज महाराजगंज पर अध्यापकों का बकाया वेतन

*१९—श्री रक्षपाल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गणेशशंकर विद्यार्थी इण्टर कालेज, महाराजगंज, जिला गोरखपुर के २४ अध्यापकों का कई मास का बकाया वेतन (३०,३९७.६७ रु०) कालेज पर बाकी है ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२०—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३ फरवरी, १९६६ के आस-पास उक्त प्रश्न में उल्लिखित अध्यापकों का कोई सामूहिक स्मृति-पत्र कालेज में बकाया वेतन दिलाने के सम्बन्ध में शासन को मिला है ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे तथा बतायेंगे कि उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

महाराजगंज-करनैलगंज सड़क

*२१—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में महाराजगंज से खर्गूपुर कोड़िया होते हुये करनैलगंज तक के सड़क निर्माण की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो कितने रुपये तक और कब से कार्य आरम्भ होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं । ऐसी कोई योजना इस समय नहीं है ।

[५ अगस्त, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हैदरगढ़–दीवानगंज तथा शिवगढ़–दीवानगंज सड़क

*१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ से दीवानगंज तथा रायबरेली जिले की शिवगढ़-दीवानगंज सड़क पर कंकड़ की रिसर्व रोड बनाने का आगणन केन्द्रीय सरकार को भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो कब और इन मार्गों पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, इन दोनों सड़कों का आगणन केन्द्रीय सरकार को अक्तूबर १९६५ में भेजा गया है। इन सड़कों की अनुमानित लागत ९,५८,४०० रु० (नौ लाख अठावन हजार चार सौ रुपये) है।

*२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि इन सड़कों के निर्माण पर होने वाले व्यय का आधा भार केन्द्रीय सरकार वहन करने के लिये सहमत है ? यदि हां, तो क्या उक्त आगणन के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सन् १९५९ में केन्द्रीय सरकार ने सूचित किया था कि वह इस प्रकार की सड़कों पर होने वाले व्यय का आधा भाग वहन करेगी। परन्तु प्रश्नगत सड़कों के आगणन की स्वीकृति उस सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसके कारण की सूचना सरकार को नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मन्त्री जी ऐसा निर्देश देने की कृपा करेंगे कि जब विभागीय अधिकारी मीटिंगों में दिल्ली जाते हैं तो वहां वार्ता करके इसे फाइनलाइज कर दें ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को उसके बाद भी याद दिलाने की कोशिश की। अक्तूबर १९६५ में उनके पास आगणन भेजा गया। रिमाइन्डर भी दिए गये और आखिरी यानी तीसरा रिमाइन्डर ३१–५–६६ को दिया गया था। लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है।

*३–४—श्री रियासत हुसैन—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५–८—श्री झारखंडेराय श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच), श्री दीपनारायण सिंह तथा रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९–१०—श्री झारखंडेराय तथा श्री रघुवीरराम—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।)

*११—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

इन्टर साइन्स में लड़कियों से फीस

*१२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि कक्षा ११ में विज्ञान लेकर पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय किए जाने के पश्चात् भी अब तक इस प्रकार की कोई राजाज्ञा प्रदेश में जारी नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कक्षा ११ में विज्ञान लेकर पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने का इस वर्ष के प्लान बजट में कोई प्राविधान नहीं है।

अतः दूसरे तथा तीसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि सरकार ने ५, ६ महीने पहले अखबारों में निकाला था कि जो कन्याय ११वें दर्जे में साइन्स लेकर पढ़ेंगी उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जायगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

चौथा प्लान जब ३०० करोड़ से ऊपर का था उस समय ऐसा विचार था। लेकिन प्लान के मौजूदा स्वरूप में यह सम्भव नहीं हो रहा है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह देखते हुए कि सरकार के इस आश्वासन पर हजारों कन्याओं ने साइन्स लेकर ११वें दर्जे में प्रवेश लिया है सरकार उन्हें अनुदान के रूप में या किसी और रूप में सहायता देने पर विचार करेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सामान्य रूप से कोई सहायता सबको नहीं दी जा सकती।

श्री रघुनाथसिंह—

चौथी योजना में ऐसा विचार होने पर आपने राजाज्ञा जारी की?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

राजाज्ञा जिस रूप में होनी चाहिए उस रूप में नहीं की।

श्री रघुनाथसिंह—

राजाज्ञा किस रूप में जारी की और कैसी होनी चाहिए थी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बालिकाओं को साइन्स पढ़ने का बढ़ावा देने के लिए इन्टर में पूर्ण शुल्क माफी पर विचार किया जाय, यह था।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह देखते हुए कि बालिकाओं में शिक्षा प्रसार की और विधान की विशेषतया आवश्यकता है क्या मन्त्री जी फिर से विचार करने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बालिकाओं को कुछ सहायता दी जाय जो साइन्स लेकर ११वें दर्जे में हैं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कुछ साधन बढ़ जावें तो सभी को देना चाहेंगे।

*१३—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

[४थे शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१४-१५—श्री बसन्तसिंह—

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१६—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

अचल सम्पत्ति के निबन्धन में निशानी अंगूठा

*१७—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अचल सम्पत्ति हस्तान्तर का निबन्धन कराने वाले व्यक्ति हिन्दी में हस्ताक्षर करते हैं तो सम्बन्धित रजिस्ट्रार महोदयों द्वारा उनके निशान अंगूठा भी लगवाए जाते हैं? जबकि अंग्रेजी मे हस्ताक्षर करने वालों से निशान अंगुठा नहीं लिये जाते है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार यह अन्तर मिटाने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने की व्यवस्था करेगी?

श्री कैलाश प्रकाश—

निबन्धन नियमावली भाग २ के नियम ३०८ के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति क हस्तान्तरण का निबन्धन कराने वाले व्यक्तियों के अंगूठे का निशान लिया जाना अनिवार्य है परन्तु ऐसे व्यक्तियों को इस नियम के अन्तर्गत निशानी अंगूठा से छूट दे दी जाती है जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और जिनकी पहिचान के सम्बन्ध में कोई सन्देह या सन्देह के लिए कोई स्थान न हो। हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने वालों में कोई भेद भाव नहीं किया जाता है।

*१८—श्री होरीलाल यादव—

[४थे शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फैजाबाद जिले में सड़कों के निर्माण में गलत भुगतान की शिकायत

*१९—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, सार्वजनिक निर्माण उत्तर प्रदेश के पास यह शिकायत आई थी कि गोसाईंगंज, बालापैकोली (फैजाबाद) रोड पर लगभग दो लाख घनफुट मिट्टी डाली गई थी लेकिन भुगतान ४ लाख ११ हजार घनफुट मिट्टी का किया गया, तथा फैजाबाद—आजमगढ़ रोड पर कुछ मीलों पर पटरी पटाई का फर्जी भुगतान तथा फर्जी गोड़े बनाकर भुगतान, अकबरपुर तथा इनफातगंज सड़क पर गलत कंकड़ सप्लाई कुटाई की शिकायतें आई थीं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां।

*२०—श्री महादेव—

क्या उक्त शिकायतों पर कोई जांच कराई गई? यदि कराई गई तो उसका क्या परिणाम निकला और सरकार उस पर क्या करने जा रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। मामला सरकार के विचाराधीन है।

*२१—श्री महादेव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि इस पी० डब्लू० डी० विभाग के अधिशासी अभियन्ता फैजाबाद डिवीजन चार साल से फैजाबाद में हैं और तमाम शिकायतों के बावजूद उनका तबादला अब तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस समय फैजाबाद के तीन डिवीजनों में निम्नलिखित तीन अधिशासी अभियन्ता, उनके सम्मुख दी गई तिथियों से तैनात हैं :—

श्री मुन्ना लाल शुक्ल १४–१०–६५
श्री धर्मवीर कश्यप ११–९–६३
श्री ओंकार प्रसाद १–७–६६

श्री महादेव—

जो मामला विचाराधीन है उस पर कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अब वह सरकार के पास आया है। सचिवालय से उसमें अगर कुछ और जानकारी प्राप्त करनी होगी तो वह करके जितनी जल्दी हो सकेगा निर्णय कर देंगे।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इसकी शिकायत अधिकारियों द्वारा आयी थी अथवा जनता के द्वारा कोई शिकायत आयी थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जनता के द्वारा शिकायत आयी थी।

*२२—श्री नाथूराम शिक्षक—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२३—श्री नाथूराम शिक्षक—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

*२४–२५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२६—श्री नाथूराम शिक्षक—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]

*२७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२८—श्री रक्षपालसिंह—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

*२९—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

पेन्शन

*३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने वालों की पेन्शन में कुछ बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं ।

महंगाई भत्ता संबंधी रिपोर्ट

*३१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में माननीय वन मन्त्री, चौधरी चरण सिंह ने उन्हें क्या और कब रिपोर्ट दिया है ?

श्री जयराम वर्मा—

वन मंत्री चौधरी चरण सिंह ने, जो कि मंत्रि परिषद के सदस्य है, इस समस्या पर मंत्रि परिषद का दिनांक ३०-६-६६ को कुछ सुझाव दिया थे । उनकी अंग्रेजी प्रतिलिपि संलग्न है ।

*३२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रिपोर्ट पर मंत्रि परिषद द्वारा कब और क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के मामले में निर्णय हो चुका है और उसकी घोषणा सदन में की जा चुकी है ।

*३३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में उनके द्वारा भारत सरकार को कब-कब और क्या-क्या पत्र लिखा गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

२३ अप्रैल १९६६ को वित्त मंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को और १७ जुलाई १९६६, को मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के लिये लिखा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चरण सिंह के सुझाव अंग्रेजी में है, उनका हिन्दी अनुवाद नहीं हो सका है, इसलिये अंग्रेजी में ही रख दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप लोग चाहें तो उसको हिन्दी में अनुवाद करके आपको दिला दिया जाय ?

---

*छापी नहीं गयी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

यह तो आपकी रूलिंग कई बार हो चुकी है कि अंग्रेजी में कोई काम नहीं होगा। ऐसी रूलिंग के बाद भी आप हमसे पूछते हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। ३०-६-६६ को यह रिपोर्ट दी गयी है, यह सवाल भी कब दिया गया था, क्या तब से इसका अनुवाद नहीं हो सकता था और फिर हिन्दी में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गयी थी ?

श्री उग्रसेन--

उनको रिपोर्ट देने के आदेश हिन्दी में दिये गये थे तो फिर उन्होंने अंग्रेजी में रिपोर्ट क्यों दी ? यह प्रदेश की जनता के साथ देश द्रोह है ?

श्री अध्यक्ष--

हमारे कार्यालय में जो पहले सूचना आयी थी वह यह थी कि कुछ सुझाव दिये हैं, जो गोपनीय हैं। उसके बाद सरकार ने यह निश्चय किया होगा कि इनको गोपनीय न रखा जाय, सदन को उससे अवगत करा दें।

अब रहा प्रश्न यह कि अंग्रेजी में क्यों लिखे, हिन्दी में क्यों नहीं लिखे, इस संबंध में जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जो चीज सदन में आये उसके लिये हम कह सकते हैं कि वह अंग्रेजी में नहीं आने पायेगी। लेकिन जहां तक उनकी अपनी कार्यवाही और काम की बात है, सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उसको जनता की भावनाओं को देखते हुये, सदन की भावनाओं को देखते हुये, वे अपना काम हिन्दी में ही करें लेकिन उसके बारे में इस सदन में मैं कोई दबाव या आदेश उनको नहीं दे सकता हूं जिसके परिणामस्वरूप वे कुछ कर ही न सकें।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अनेक बार यह अनुज्ञा दे दी है कि सदन में कोई कागज अंग्रेजी में नहीं आयेगा। लेकिन यह उन्होंने अंग्रेजी में दिया है। इसके लिये उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने जानबूझ कर सदन का अपमान किया है, इसलिये मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

पहले इनको डांट दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

पहले सवाल का उत्तर तो आ जाय। माननीय राम सुन्दर पांडेय जी क्या आप इस सवाल का उत्तर चाहते हैं, या इसको स्थगित किया जाय ?

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब सदन की, प्रदेश की और इस सरकार की भाषा हिन्दी है तो यह रिपोर्ट सदन की कार्यवाही के लिये माननीय वित्त मंत्री ने क्यों अंग्रेजी में दी है ? इनके खिलाफ तो मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाऊंगा ही। लेकिन आपने कैसे इसको स्वीकार किया है ?

श्री दीपनारायणसिंह--

मंत्रि मंडल असेम्बली के प्रति रेस्पान्सिबिल है तो यह इन्होंने कैसे अंग्रेजी में दी है ? मैं चाहता हूं कि श्री जयराम वर्मा के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण जी, यह बात तो माननीय श्रीपाल जी ने भी कही है। बार-बार उसी प्रश्न को दुहराने से क्या लाभ है ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है। कल लखनऊ शहर में लगभग ६४ व्यापारियों को इसलिए गिरफ्तारी हुयी कि उन्होंने.....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इसको तो खत्म होने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा कि मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाऊंगा तो आप उठा लीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, आपके सामने विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है, इसलिये प्रश्न तो मैं उठाऊंगा ही।

श्री अध्यक्ष—

आप नोटिस दीजिये। मैं देख लूंगा कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है अथवा नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

जिस प्रकार से अमरीका के संवाददाता ने फोटो लेकर सदन के नियमों की अवहेलना की थी और आपने उन पर तुरन्त कार्यवाही की थी, उस प्रकार से आज माननीय मंत्री जी ने सदन का सीधे-सीधे अवमान किया है। तो इस पर आपको तुरन्त आदेश देने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिये, मैं विचार करके अपना निर्णय दे दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आपने अभी कहा था कि क्या आप इस सवाल को स्थगित कराना चाहते हैं। लेकिन जो उत्तर ये देते है वह अंग्रेजी में है। आपने सवाल तो कर लिया लेकिन उत्तर नहीं लिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसका उत्तर आप सोमवार या मंगलवार को दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिये, मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। माननीय चरण सिंह जी की जो रिपोर्ट है वह पहले ही आज प्रेस में और अखबारों में छप गयी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब तक यह सदन में पेश नहीं हुयी तो प्रेस में कैसे आ गयी ?

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिये, मैं देखूंगा।

*३४-३५—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

नोट—तारांकित प्रश्न ३३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*३६—श्री होरीलाल यादव—

[४थे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

पैलानी—जसपुरा—भरुवासुमेरपुर सड़क

*३७—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा के अन्तर्गत विकास खंड जसपुरा के ग्राम जसपुरा से लेकर जिला हमीरपुर के कस्बा भरुआसुमेरपुर तक सड़क बनाने की योजना चालू पंचवर्षीय योजना में थी? यदि हां तो सड़क का निर्माण किन कारणों से नहीं हो सका?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पैलानी-जसपुरा-भरुआ सुमेरपुर सड़क के प्रथम १० मील सड़क का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ९.०० लाख की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया था। आगणन तैयार होने पर मालूम हुआ कि इस धन में केवल ३ मील सड़क का निर्माण सम्भव होगा जिसके निर्माण से कोई विशेष फायदा न होता। इसलिये इस सड़क के निर्माण कार्य को स्थगित किया गया।

*३८—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त सड़क के निर्माण में कितना रुपया व्यय होगा?

श्री जगनप्रसाद रावत—

११ मील सड़क के निर्माण में २३.१९ लाख रुपया की लागत का अनुमान है। शेष सड़क के निर्माण का व्यय बिना सर्वेक्षण के बतलाना सम्भव नहीं है।

*३९-४०—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर व्यय

*४१—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों को लागू करने में सरकार का कुल कितना व्यय होगा और उसमें केन्द्रीय सरकार ने कितना अंशदान देना अभी तक स्वीकार कर लिया है?

श्री कैलाशप्रकाश—

वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों को लागू करने में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में ८५ करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण तथा अन्य सुविधाओं पर व्यय होने का अनुमान था। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के लिये ८३.६६ करोड़ रुपया देना स्वीकार किया है जबकि इन दोनों वर्गों के लिये राज्य सरकार ने ११७.५० करोड़ रुपया मांगा था। सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई धनराशि पृथक रूप से नहीं मिली है।

*४२-४३—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४४-४५—श्री कमलासिंह यादव—

[५वें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या १३-१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४६—श्री कमलासिंह यादव—

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*४७—श्री मुहम्मद रफी खां—

[५वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४८–४९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५०–५१—श्री दीपनारायण सिंह—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

लखनऊ में गिरफ्तार व्यापारियों को छोड़ दिए जाने के संबंध में परिप्रश्न

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, आपके समक्ष एक गंभीर प्रश्न रखना चाहता हूं । उपभोक्ता की वस्तुओं की अधिक कीमत चार्ज करने के अभियोग में कल लगभग ६४ व्यापारियों की लखनऊ शहर में गिरफ्तारी हुई है । जिनमें एक कांग्रेस सिटी फादर तथा दो अन्य प्रतिष्ठित लोग हैं जिनमें एक का नाम मलकानी बताया जाता है । लेकिन रात को एबनार्मल तरीके से १ बजे उन्हें छोड़ दिया गया है । मैंने यह भी सुना है कि इसमें वरिष्ट मंत्रियों का भी हाथ है । तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें नार्मल तरीके से न छोड़कर एबनार्मल तरीके से क्यों छोड़ा गया है ?

श्री अध्यक्ष—

उस संबंध में एक नोटिस आया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, उनको रात में जगाया गया और एक बजे छोड़ा गया । नार्मल कोर्स में यदि उन्हें छोड़ा जाता तो मुझे कुछ नहीं कहना था लेकिन एबनार्मल कोर्स में उन्हें छोड़ा गया । इससे अधिकारियों का और पुलिस के अधिकारियों का मनोबल गिरा । क्या हमारी सरकार महंगाई कायम रखना चाहती है और व्यापारियों के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहती है ? मैं नहीं समझ पाया कि उनकी क्या नीति है । आज सब के मन में एक प्रकार की शंका व्याप्त है ।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना आयी है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जो माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी ने सवाल उठाया है...

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं ।

माननीय नेता विरोधी दल से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसा कि शायद सदन के समक्ष मैंने पहले भी निवेदन किया है कि जो भी प्रश्न करना चाहें उन प्रश्नों के लिए अवसर हमारे नियमों के अन्तर्गत और कार्य सूची के अन्तर्गत रहता है चाहे मिनिस्टर से प्रश्न किया जाय या अध्यक्ष से । तो मेरा आग्रह है कि प्रश्न जो उठाए जायं वह, अगर औचित्य प्रश्न न हों, सदन

के समक्ष जो प्रश्न प्रस्तुत हो उस से संबंधित न हो, तो कृपया उन मदों के अन्तर्गत ही उठाएं ताकि कार्य में व्यवधान न हो ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आपकी आज्ञा के आगे मैं नतमस्तक हूं । लेकिन जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो परम्परा यही है कि प्रश्नों के बाद आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आपके द्वारा मैं समस्त सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति यहां बोले । लेकिन नियम के अन्दर बोले और उसी अवसर पर बोले जब बारी आये, मैं बड़ी खुशी से सुनूंगा ।

श्री दीपनारायणसिंह द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना आयी है । माननीय दीपनारायणसिंह, मैंने उसको देखा नहीं है । मैं देख कर इस संबंध में निर्णय करूंगा ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

जरा बता दें कि किस विषय में है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके नियम देख लीजिए और उस संबंध में जो निर्णय हैं उनको भी देख लीजिए कि विशेषाधिकार का प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता तब होती है जब मैं उसको लूं या जिस वक्त उसे समझूं कि वह स्वीकार योग्य नहीं उस समय उसे पढ़ कर सुना दूं । जब विचार करूंगा तब मैं कह दूंगा । तब आप बोल सकते हैं, तब ध्यान दूंगा और तय करूंगा कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

दो कामरोको प्रस्ताव आए हैं, इनमें से मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

निर्णय देने से पहले आप मुझे सुन लें मुमकिन है कि हम आपको प्रभावित कर सकें । एक तो बड़ा साधारण नियम है, आप मेरे कार्य स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें । लेकिन यह भी नियम है कि मुझे सुन लें मुमकिन है हम आपको प्रभावित कर सकें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

हमारा भी है श्रीमन्, राज्य कर्मचारियों वाला ।

श्री अध्यक्ष—

एक समय में एक आदमी बोलें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह बात सही है कि बांदा इन्क्वायरी के बारे में आपने अवसर देने की कृपा की थी । यह बात भी सही है कि वहां के वकीलों के संबंध में बात थी उस पर भी अवसर देने की बात थी

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

परन्तु आज परिस्थिति बदल गई है। तमाम राजनीतिक दल वाले वहां गए और सब चाहते हैं कि वहां के अधिकारी स्थानान्तरित कर दिए जायं। वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार कर रखा है। ५ कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने माननीय कमलापति त्रिपाठी के पास पत्र भेजा है कि उनको अनुमति दी जाय कि हम उसके बारे में सत्याग्रह कर सकें। वकीलों ने भी कहा है कि हम ठोस कार्यवाही करेंगे। अन्य वकीलों में भी यह बीमारी फैल रही है। कारण क्या है ? कारण केवल एक मालूम होता है। जिस न्याय को प्रोजेक्ट कर के समाज के सामने लाना चाहते हैं और न्यायाधिकरण किसी निष्पक्ष राय प पहुंच सके उसके लिए जितनी विधियां अख्तियार की जानी चाहिए उनमें यह आवश्यक है कि वहां के अधिकारियों का ट्रांस्फर किया जाय। अन्यथा अगर यह अधिकारी वहां रहेंगे तो निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है और सही बात सामने नहीं आ सकेगी। हम प्रतीक्षा करते थे कि इस स्थिति का सुधार अवश्य होगा और अवसर मिलेगा जिससे न्याय हो सकेगा। इसलिए आप आज्ञा दें कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विचार हो। मैं समझता हूं कि इस वक्त आपके सामने कोई इससे बड़ा महत्व का प्रश्न कार्यस्थगन का नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इस संबंध में निवेदन कर दूं कि अगर प्रति दिन दो-तीन कार्य स्थगन प्रस्ताव आते हैं और यदि इस तरह से प्रत्येक कार्य स्थगन प्रस्ताव पर मैं बोलने की इजाजत दे दूं तो परिणाम यह होगा कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार न करने पर भी कार्य-स्थगन हो जायगा। पहले वाद-विवाद हो, फिर मैं निर्णय दूं इस तरीके को मैं अख्तियार नहीं करना चाहता। इसी खयाल से हमारे पूर्वगामी अध्यक्षों ने यह कहा है कि न पढ़ने की जरूरत है और न कारण बतलाने की जरूरत है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव क्यों अस्वीकृत किया गया, इसलिए कि इस तरह से तो आप कार्य-स्थगन कर लेते हैं और कार्य-स्थगन ही नहीं कर लेते हैं, बल्कि उसके गुण तथा अवगुण पर भी वाद विवाद कर लेते हैं।

श्री उग्रसेन—

यह नई परम्परा आपने ही डाली है पढ़ने की और उसी परम्परा के ऊपर हम चलते हैं।

(श्री दीपनारायण सिंह के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

दीपनारायणसिंह जी, आप बातें करने लगते हैं। आप बैठ जायं। तो मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कह रहा था। वह पुरानी प्रथा मैं नहीं डालना चाहता।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

कार्य-स्थगन के बारे में जब आप अपने मन में एक विचार बना लेते हैं तो उसके सपोर्ट में पुरानी रूलिंग लेकर रख देते हैं। यह सारी प्रणाली आपके सामने विकसित हो रही है। टंडन जी आए, खेर साहब आए, दूसरे साहब आए और अब आप आए। आप अपने विवेक से पुरानी प्रथाओं को इंप्रूव कर सकते हैं और दूसरी रूलिंग दे सकते हैं और दूसरे क्या रूलिंग दे रहे हैं उस पर आपको रूढ़िवादी हो कर टिके नहीं रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

मौलिक चीज यह है। मैं इस समय वह रूलिंग नहीं निकाल पा रहा हूं। हुआ यह कि किसी समय सरकार के आदेश से क्षुब्ध होकर मुस्लिम लीग के सदस्यों ने एक म्युनिसिपल बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। दो तीन महीने बाद जब चुनाव का अवसर आया तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव उसपर यह आया कि मुस्लिम लीग के मेंबरान उस चुनाव में शरीक नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से एक भीषण स्थिति उत्पन्न हो रही है और उस पर विचार किया जाय। माननीय

पुरुषोत्तम दास जी ने कहा कि मौलिक जो कारण हैं वह तो तीन मास पहले उत्पन्न हुआ था और उसके परिणाम स्वरूप यह हो रहा है। जब आप मूल कारण पर बहस कर चुके हैं तो यह नहीं हो सकता कि उसके परिणामों पर भी बहस करते रहें। मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ आप बांदा के बारे में कह रहे हैं वे सारी बातें ऐसी हैं जिनके संबंध में हम विचार कर चुके हैं। अब उसमें एक परिस्थिति पैदा हो गयी है और प्रश्नों के जरिए आप उसे साफ कर सकते हैं। लिहाजा मैं विवश हूं इसे अस्वीकार करने के लिए।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने एक प्रक्रिया की बात कही कि अगर कोई घटना हुई है और उस घटना के बाद में परिणाम हुआ है और मूल घटना पर विवाद हो चुका है तो उस पूरे प्रवाह की छोटी कड़ियों पर विवाद नहीं हो सकता। तो ऐसी जब परिस्थिति पैदा हो जैसी कि बांदा में पैदा हो गयी है जहां परिस्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हो कर नया पन आ गया हो, जहां वकीलों ने पुरानी घटना के संबंध में जो हड़ताल की थी उसकी प्रक्रिया अभी जारी थी लेकिन अब एकदम नयी बड़ी बात पैदा होने वाली है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जरूर विवाद होना चाहिए। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अगर मैं समझूंगा कि किसी नयी घटना से वह सम्बद्ध है और उसकी सरकार जिम्मेदार है तब अवश्य मैं इस पर विचार करूंगा। अभी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, विरोधी दल के नेताओं ने बांदा में जाकर सरकार को एक पत्र दिया है। उन्होंने बांदा की स्थिति जाकर देखी है और आपको मैं याद दिलाऊं कि माननीय शिव प्रसाद गुप्त, डिप्टी मिनिस्टर ने हाउस में कहा कि अगर एक भी शिकायत या प्रमाण मुझे मिल जाय कि वहां के एस०पी० गलत काम कर रहे हैं और गलत रास्ते से गवाहों को तोड़ रहे हैं तो मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा और उन्हें बर्खास्त कर दूंगा। श्रीमन्, विरोधी दल के नेताओं ने लिखकर उनके पास पत्र दिया है और इस प्रकार का प्रमाण दिया है कि वे पब्लिक को धमका रहे हैं। तो इस पर विवाद होना चाहिए।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैंने भी एक काम रोको प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि काम रोको प्रस्ताव के संबंध में इतनी बहस करना उचित नहीं है। मैंने उन पर आदेश लिख दिया है, माननीय सदस्य देख लेंगे। माननीय उग्रसेन जी का काम रोको प्रस्ताव अस्वीकृत है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, राज कर्मचारियों की महंगाई के संबंध में मैंने दिया था, इससे भयंकर स्थिति पैदा होने वाली है इसलिए उसका परिमार्जन किया जाय। इसके लिए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पूरा आदेश दे दिया है।

लखनऊ में गिरफ्तार व्यापारियों को छोड़ दिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास दो सूचनाएं आयी हैं। एक तो माननीय ब्रह्मदत्त मायर, माननीय ऊदल और माननीय झारखण्डे राय जी की सूचना है। दूसरी माननीय रामसुन्दर पांडेय जी की है। ये दोनों उन घटनानों के संबंध में हैं जिनके प्रति माननीय नेता विरोधी दल ने ध्यान आकर्षित किया था। माननीय राम सुन्दर पांडेय जी की सूचना इस प्रकार है :—

"कल लखनऊ नगर में ६४ व्यापारी जो सामानों की कीमत बढ़ा कर ग्राहकों से ले रहे थे, रंगे हाथ पुलिस कर्मचारियों ने गिरफ्तार किया किंतु व्यवसाइयों तथा सरकार के मंत्रियों के दबाव के कारण उक्त व्यापारी सब छोड़ दिए गए जिसके कारण नगर में सरकार के प्रति घोर असंतोष, रोष एवं क्रोध फैला हुआ है और कीमत अधिक लेने वाले व्यवसायियों में खुशी की लहर दौड़ गयी है।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

माननीय ब्रह्मदत्त मायर जी का इस प्रकार है :—

"इसी सप्ताह तथा कल खाद्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों के फलस्वरूप जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ के आदेशानुसार जिला पूर्ति अधिकारी तथा उनके स्टाफ ने नगर पुलिस लखनऊ की सहायता से नगर के विभिन्न इलाकों में नियमों का उल्लघन करने वाले व्यापारियों की दूकानों तथा गोदामों की कल ४ अगस्त, १९६६ को जांच की, फलस्वरूप ६७ के करीब व्यापारियों को गिरफ्तार किया।

खेद की बात है कि किन्हीं तत्वों के हस्तक्षेप से स्थानीय पुलिस ने सब व्यापारियों को रात में ही जमानत तथा मुचलकों पर छोड़ दिया। इससे केवल खाद्य मंत्री द्वारा आदेशों के पालन में ही बाधा नहीं पड़ी किन्तु पुलिस ने मनमाने ढंग से इन ब्लैक मार्केटियरों को छोड़कर डी० आई० आर० तथा सन् १९६३ के मूल्य निर्धारण अधिनियम के उद्देश्य पर कुठाराघात किया और समाज विरोधी तत्वों को उभरने का फिर मौका दिया।

इस सारी कार्यवाही से जनता में घोर असंतोष और नफरत उत्पन्न हो गयी है। सरकार अपने दायित्वों को पूरा करने में तथा सदन में दिए गए आश्वासनों की पूर्ति करने में पुलिस द्वारा असमर्थ ही नहीं कर दी गयी किन्तु जनता का विश्वास भी उठने लगा और गंभीर भावनाएं पैदा कर दी गयी हैं। फिर सरकार इन समाज दुश्मन तत्वों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना नहीं चाहती।

श्रीमन्, इस लोक महत्व के अति अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।"

इन पर कब वक्तव्य होगा ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

९ तारीख को।

आगरा में आटा मिलों द्वारा अमेरिकी गेहूं की डिलिवरी न लेने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय बनवारीलाल विप्र द्वारा एक नियम ५२ की सूचना दी गयी है जिसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

सूचना इस प्रकार है—

"जिला आगरा के ईदगाह स्टेशन पर लगभग ४ हजार क्विंटल अमरीकी गेहूं ऐसा पड़ा हुआ है जिसकी डिलीवरी लेने से स्थानीय आटा मिलें इन्कार करती हैं। इसलिये भी अधिक चिन्ता की बात यह है कि कई हजार बोरे गेहूं और आ रहा है जो खुले वैगनों में लदा हुआ है जो बेकार हो चुका है और दुर्गन्धपूर्ण है। यह अमरीकी गेहूं आटा व मैदा बनाने के लिए फ्लावर मिलों को दिया जाता है और मिलों से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर जनता को वितरण के लिए दे दिया जाता है। यह गेहूं अमरीका से १० हजार मील चल कर सुरक्षित आ पहुंचा परन्तु भूखे भारत में जो बेकदरी की जा रही है उसके तथ्य रोंगटे खड़े करने वाले हैं...."

मन्त्री जी, इस सम्बन्ध में कब वक्तव्य दिया जायगा?

शिक्षा उप मन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

इस सम्बन्ध में ११ तारीख को वक्तव्य दे देंगे।

जे० के० काटन मिल्स, कानपुर के मजदूरों को बोनस न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक नियम ५२ की सूचना माननीय सन्तसिंह यूसुफ की है—

"कानपुर के जे० के० काटन मिल्स में ५,००० से ऊपर मजदूर काम करते हैं। बोनस कानून के अन्तर्गत इनका १९६४ का बोनस अब तक नहीं मिला है। आगामी १ सितम्बर तक इनका १९६५ का बोनस भी अदायगी के लिए वाजिब हो जायगा। श्रम विभाग ने राज्य सरकार को लिखा है कि मिल मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की अनुमति दी जाय। परन्तु वह आज्ञा भी अभी तक सरकार से श्रम विभाग को नहीं मिली है।...."

इस सम्बन्ध में कब वक्तव्य दिया जायगा?

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

९ तारीख को वक्तव्य दे देंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय चन्द्रबली सिंह, माननीय लखीसिंह, माननीय बांकेलाल और माननीय शिवचरन की एक सूचना है कि बीमारी व्यापक रूप से फैल रही है देवरिया जिले के रुद्रपुर विकास क्षेत्र में। यह माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी की सेवा में विशेष तथा शीघ्र ध्यान हेतु भेजी जा रही है।

[श्री अध्यक्ष]

एक माननीय दयाराम शाक्य की सूचना है--

"आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज, फर्रुखाबाद के प्रबन्धकों में व्याप्त भीषण गुटबन्दी के कारण प्रबन्धकों ने उक्त कालेज गत ६ दिनों से बन्द कर दिया है. . . ।"

यह भी माननीय मन्त्री जी के पास उनके ध्यान के लिए भेजी जा रही है। शेष जो सूचनाएं आयी हैं मेरे पास, उनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

[श्री दीपनारायण सिंह ने श्री अध्यक्ष की आज्ञा के बिना भाषण देना आरम्भ किया। श्री अध्यक्ष ने उन्हें स्थान ग्रहण करने की आज्ञा दी किन्तु वे नहीं बैठे। श्री अध्यक्ष ने तब उन्हें आज्ञा दी कि यदि वे स्थान ग्रहण नहीं करते तो सदन छोड़ें। श्री दीपनारायण सदन से बाहर चले गए।]

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

अध्यक्ष महोदय, एक मेरा है।

श्री अध्यक्ष--

आप मुझसे मिल लीजिएगा, अगर उसमें कोई विशेष बात होगी तो मैं देख लूंगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि कोर्ट के वर्किंग आवर्स तो १० से ५ बजे तक होते हैं। १ बजे रात में मैजिस्ट्रेट को बुला कर छोड़ दिया गया। तो कचेहरी तो थी नहीं।

श्री अध्यक्ष--

वह तो नियम ५२ में मैंने ले लिया है। आप उसके ऊपर बात कर लीजिएगा।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के प्रार्थना पत्रों के फार्म विद्यालयों को न भेजने तथा अन्तिम तिथि बढ़ाने की घोषणा न होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*स्वायत्त शासन मन्त्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना देना चाहती हूं।

दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित, पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाने के फार्म इस वर्ष २१ अप्रैल, १९६६ को राजकीय प्रेस को छपने के लिए भेजे गए। यह फार्म प्रेस से २४ जून, १९६६ से लेकर ७ जुलाई, १९६६ तक ५ किस्तों में प्राप्त हुए। फार्मों के प्राप्त होते ही जिलों को भेजने का कार्य अविलम्ब रूप से प्रारम्भ कर दिया गया और ३० जून, १९६६ से लेकर १५ जुलाई, १९६६ तक समस्त जिलों को फार्म भेज दिए गए।

२--जिन तिथियों में विभिन्न जिलों को फार्म भेजे गए थे, निम्नलिखित हैं--

३०-६-६६	१-७-६६	२-७-६६	५-७-६६	६- -६६	७-७-६६	१५-७-६६
इटावा,	सहारनपुर	फर्रुखाबाद	नैनीताल,	चमोली,	बस्ती	प्रतापगढ़,
देहरादून,	मुजफ्फरनगर	मथुरा,	पीलीभीत	उत्तरकाशी,	बहराइच,	टेहरीगढ़वाल
झांसी,	मेरठ,	जालौन,	अल्मोड़ा,	बरेली,	गोंडा,	बाराबंकी,
आगरा,	बुलन्दशहर	बलिया,	बदायूं,	फतेहपुर,	सीतापुर,	रामपुर,
मैनपुरी,	कानपुर,	गाजीपुर,	गोरखपुर	फैजाबाद,	लखीमपुर,	हरदोई,

बिजनौर, वाराणसी, अलीगढ़	मुरादाबाद, इलाहाबाद, देवरिया	मैनपुरी, हमीरपुर	आजमगढ़,	मिर्जापुर, एटा, उन्नाव, रायबरेली, मिर्जापुर, गढ़वाल, बांदा,	सुलतानपुर शाहजहांपुर

नोट—इसके अतिरिक्त लखनऊ को २८-६-६६ को दस्ती दिया गया।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फार्मों के भेजे जाने में कोई विलम्ब नहीं हुआ। ७ जुलाई के बाद १५ जुलाई को ७ जिलों में फार्मों के भेजे जाने का कारण यह था कि ट्रक मालिकों की हड़ताल के कारण रेलवे का भार अत्यन्त बढ़ गया था और सिवाय नष्ट होने वाली चीजों के और वस्तुओं का पार्सल लेना उन्होंने बिल्कुल बन्द कर दिया था। ये फार्म जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी के अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों तथा बड़े-बड़े डिग्री कालेजों के प्रधानाचार्यों को भी निदेशालय से सीधे भेजे गए हैं।

३—जहां तक फार्मों के कम मात्रा में भेजे जाने का प्रश्न है यह निवेदन है कि गत वर्ष कुल ८५,००० फार्म भेजे गए थे। इसके विपरीत इस वर्ष १,१९,८०० फार्म भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त जिन जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ने अतिरिक्त फार्म की मांग की उसको और भेज दिए गए हैं। किसी कालेज से निदेशालय को यह शिकायत नहीं मिली है कि उनको फार्म कम मिले हैं।

४—फिर भी कुछ जन प्रतिनिधियों की प्रार्थना पर फार्मों को भर कर भेजे जाने की अन्तिम तिथि ३१ जुलाई, १९६६ से बढ़ा कर १६ अगस्त, १९६६ कर दी गई है। यह घोषणा आल इंडिया रेडियो तथा समाचार-पत्रों द्वारा कर दी गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि यह फार्म २१ जुलाई तक विद्यालयों में नहीं गए हैं और १६ अगस्त तक प्रार्थना-पत्रों के देने की तिथि है? इसमें असेम्बली के मेम्बरों, रेवेन्यू आफिसर और डिप्टी कलेक्टर के पास लड़कों को जाना पड़ता है। इसमें बड़ी परेशानी होगी और १६ अगस्त तक प्रार्थना पत्र नहीं पहुंच पायेंगे और इन पर फैसला सरकार जनवरी, फरवरी और मार्च में करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी तिथि ३१ अगस्त तक बढ़ा दी जाय।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, जालौन में फार्म २-७-६६ को भेजे गए हैं। माननीय रामसुन्दर जी का कथन है कि १६ अगस्त तक नहीं पहुंचे हैं....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष जी, यह हमको जालौन का समझती हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

उनका कहना यह है कि १६ अगस्त तक जो प्रार्थना-पत्रों की तिथि है उसको ३१ अगस्त तक बढ़ा दिया जाय।

(श्री गिरवर प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

अब तो मैंने उनको बुला लिया है। आप फिर पूछ लें।

श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)--

हमारे एटा जिले में जो कालेज हैं उनमें किसी में भी फार्म्स पहली अगस्त तक नहीं पहुंचे। मैंने खुद १८ फार्म्स लेकर वहां भेजे। अतः हमारा यह निवेदन है कि जब वजीफा मार्च महीने में मिलता है, तो यह तारीख १५ सितम्बर तक अगर बढ़ा दी जाय तो इससे सभी प्रार्थना-पत्र देने वालों को आसानी होगी या यह केवल सरकार का बहकावा है कि सरकार वह छाप दे और किसी को वजीफा न मिले। इसके अतिरिक्त आप प्रधानाचार्यों को आदेश दीजिए कि सभी विद्यार्थियों के फार्म हरिजन कल्याण विभाग को भेज दिए जाया करें, क्योंकि ऐसा होता है, पता नहीं इसके लिए आपके आदेश भी भेजे गए हैं कि वह चुन कर ही फार्म्स भेजा करें, कि प्रधानाचार्य कुछ लड़कों के फार्म रोक लेते हैं ?

समाज कल्याण मन्त्री (डाक्टर सीताराम)--

हर साल ३१ जुलाई तक निदेशालय को फार्म प्रधानाचार्यों द्वारा भेज दिए जाया करते थे। अभी प्रश्नोत्तर में बताया गया था कि ५४ में से ७ जिलों को छोड़कर किसी भी जिले से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि फार्म नहीं पहुंचे हैं। नियम ५२ के अन्तर्गत यह चर्चा आने के पूर्व तक किसी भी सम्मानित सदस्य ने मुझसे इसके बारे में कोई शिकायत नहीं की है कि हमारे जिले में फार्म नहीं पहुंचे हैं। फिर भी १६ अगस्त तक की तारीख बढ़ा दी गई है। जिले में जो कमेटियां हैं उनको भी समय चाहिए स्क्रूटिनाइज करने के लिए और हाई स्कूल तक के छात्रों को उनका वजीफा १ सितम्बर तक निश्चित कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में ३१ अगस्त तक की तारीख बढ़ा दी जाती है तो विद्यार्थियों को वजीफा मिलने में देर होगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि उक्त तारीख तक यहां निदेशालय में नहीं पहुंचते हैं तो एक हफ्ता का समय और बढ़ाने का हमने निश्चय किया है। १६ से २२-२३ तारीख तक हमने लास्ट तारीख कर दी है। क्योंकि मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि उनकी स्क्रूटनी करने में काफी समय लगता है, वैसे ३१ अगस्त तक हर साल वजीफा मिल जाता था, अब वह ७ सितम्बर से आगे न जाए, इसलिए मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इससे ज्यादा समय न बढ़वायें।

श्री मेवानाथसिंह शिवोहिया (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, मैं भी एक डिग्री कालेज का प्रिंसिपल हूं। मेरे यहां भी फार्म नहीं पहुंचे। मैंने मेरठ में पूछा तो मालूम हुआ कि थोड़े से फार्म आए थे और वह खत्म हो गए। इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि जिलों में आपको फार्म जरूर भिजवा देना चाहिए और फार्म जमा करने की तारीख ३१ अगस्त तक बढ़ा देनी चाहिए।

डाक्टर सीताराम--

मेरठ जिले में ४,५५० फार्म भेज दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त जिला हरिजन कल्याण अधिकारी को आदेश दे दिए गए हैं कि फिर भी अगर फार्म कम पड़ें तो उनकी कापियां कराके वितरित करा दी जायं।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर किसी विद्यालय में फार्मों की कमी है तो क्या छात्र कहीं से उक्त फार्म उपलब्ध करके उसकी प्रति, या हस्तलिखित प्रति पर भी दरख्वास्त दे सकते हैं ?

डाक्टर सीताराम--

ऐसी परिस्थिति में वह यह कर सकते हैं।

श्री भगवानदास याबुवेन्दु (जिला आगरा)-

क्या मन्त्री जी को यह मालूम है कि पिछले १० वर्षों से यह निरन्तर हो रहा है और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहां फार्म्स नहीं मिलते हैं ? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी इस बात की जांच कराएंगे कि जहां फार्म्स ४ हजार की संख्या में भेजे गए, वे फार्म क्यों नहीं संस्थाओं तक पहुंचे ? क्या वह मार्केट में बिक तो नहीं रहे हैं ब्लैक से या आपके हरिजन कल्याण अधिकारी यह फार्म लोगों तक पहुंचने नहीं देते और उन्हें सेल करवाते हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

प्राय: सभी जिलों में फार्म पहुंच गए हैं और जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों, प्रधानाचार्यों या किसी माननीय सदस्य का कोई भी शिकायती पत्र आजतक नहीं आया है, तो कैसे माना जाय कि फार्म नहीं पहुंचे और अगर नहीं पहुंचे तो माननीय सदस्य लिखकर दें तो वहां पहुंचा दिए जायेंगे।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)--

माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि अगर ३१ जुलाई तक फार्म ले लेना है तो उसको अप्रैल में ही भेज दिया जाय। हमारे जिले फैजाबाद में यह फार्म २०, २२ जुलाई तक नहीं पहुंचे। छात्रों को आमदनी की तसदीक कराने में जितनी परेशानी होती है उसमें उनको पन्द्रह-बीस दिन से कम नहीं लगते। इसलिए यह मांग बहुत जायज है कि अगले महीने की ३१ तारीख तक इसको बढ़ा दिया जाय तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं होगी।

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह तारीख बढ़ाना सम्भव नहीं है क्योंकि इससे जिनको छात्रवृत्ति आप दिलाना चाहते हैं उन पर भी भार बढ़ जायगा। अगर किसी जिले में फार्म न पहुंचे हों, माननीय सदस्य लिखकर दे दें वहां उन जिलों को भेज दिए जायेंगे।

श्री उग्रसेन--

इस बात को देखते हुए कि फार्म पहले ही से छप जाना चाहिए था और उनके बंटने में भी देरी हो गयी क्या मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि यह फार्म ८-१० पन्ने का इतना लम्बा चौड़ा है मानो फाइनेन्स कार्पोरेशन से कर्जा लिया जा रहा हो, इसलिए उसको कम कर दिया जाय और फार्म में कम सूचना ली जाय ?

डाक्टर सीताराम--

आपका प्रश्न सही है, लेकिन आमदनी के आधार पर पिछड़ी जातियों के लिए जो वजीफा गवर्नमेंट आफ इंडिया द्वारा दिया जाता है उस सम्बन्ध में कुछ मुझे निवेदन करना है कि सारे हिन्दुस्तान के लिए एक ही तरह का प्रेस्क्राइब्ड फार्म है और माननीय सदस्यों ने कहा कि उसमें बहुत ज्यादा जांच करानी पड़ती है तो परिगणित जाति या बैकवर्ड क्लास के लोगों को वह सब कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ उन छात्रों को जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने की हालत में वजीफा गवर्नमेंट आफ इंडिया के फंड से पाते हैं उनको सर्टिफाई कराने का आदेश दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में देर हो सकती है लेकिन २। करोड़ के बजट में वह रुपया ४।। लाख के लिए वैरीफाइ कराना पड़ता है एस० डी० एम० से या तहसीलदार से। उसके लिए इस तरह से करने को हम बाध्य हैं। इसमें थोड़ी सी देर की सम्भावना हो सकती है अन्यथा और वजीफों में देर की सम्भावना नहीं है।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)---

इस बात को देखते हुए कि वजीफे के सिलसिले में इस बार देर हुई है तो जो फार्म उनको ३१ जुलाई तक वसूल हो गए उनको तो वह वजीफा दे दें और इसके बाद दूसरे इन्स्टालमेंट में उन फार्मों को स्वीकार कर लें जो अगले महीने में उनको प्राप्त हों ?

डाक्टर सीताराम---

यह सम्भव नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

यह बात स्पष्ट है कि फार्मों को भेजने में देर लग जाती है और इस साल एक सप्ताह विशेष रूप से देर लगी और इस आधार पर १२, १३ १४ के आसपास फार्म पहुंच ने सम्भव हुए। समय बहुत कम रह गया है तो माननीय मन्त्री जी को क्या इसमें आपत्ति है कि इसका समय ३१ अगस्त तक बढ़ा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि २३ अगस्त और ३१ अगस्त का झगड़ा है। इस पर अगर वे विचार कर लें तो अच्छा है।

डाक्टर सीताराम---

अध्यक्ष महोदय, विचार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर विवाद की परिवर्तित तिथि

श्री अध्यक्ष---

मैंने माननीय उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव है, उसके स्वीकृत हो जाने पर बहस करने के लिए १० अगस्त निश्चित किया था, किन्तु अब माननीय राज्यपाल द्वारा यह आदेश हुआ है कि अनुपूरक बजट इस आदरणीय सदन के समक्ष ८ तारीख को आएगा और उसके लिए बहस १० तारीख को निश्चित है। इसलिए अनुपूरक बजट पर बहस १० तारीख को होगी। १० तारीख को अविश्वास के प्रस्ताव पर अनुज्ञा ले ली जायगी। यदि अनुज्ञा प्राप्त हो गई तो उस दशा में उस पर ११ अगस्त को बहस होगी। यह परिवर्तन मेरी पहली सूचना के सम्बन्ध में हो रहा है।

कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

सोमवार को, क्या प्रोग्राम है यह बतला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

वह भी बतला दिया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, जिस दिन सूखे पर बहस हुई थी तो माननीय रामकुमार शास्त्री ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि सूखा बहुत है लेकिन जब आप घर वापस जायेंगे तो देखेंगे कि काफी पानी पड़ गया है। मैं अभी वहां गया था। गोंडा, बस्ती, देवरिया और गोरखपुर को मैंने देखा है। इनके बस्ती जिले में बभनान और हरैया में और गोंडा के आसपास और गोरखपुर तथा

देवरिया में लगातार १० दिन के अन्दर कोई वर्षा नहीं हुई है। इनके ट्यूबवेल बेकार हो गए हैं और राशन की दुकानों से तमाम गल्ला बांट दिया गया है जो खेतिहर मजदूर गांव में घिरा पड़ा है उस को सोनी और रुपायी के लिए मजदूरी भी नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष---

आप यह हमें लिख कर दे दीजिए।

श्री उग्रसेन---

इस पर आप सरकार से वक्तव्य दिलवाएं। मैं यह लिख कर दे दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मैं श्रीमन् तीन बातों की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि विधान सभा सचिवालय पुनःस्संगठन समिति के सम्बन्ध में आप ने कहा था कि मैं इस विषय में जल्दी ही निर्णय कर दूंगा। अगर आप आज कल में उसका निर्णय नहीं करते और सरकार उस रिपोर्ट पर विचार समय की कमी के कारण नहीं करना चाहती तो हम दो-दो घंटे अधिक बैठ कर इस रिपोर्ट पर यहां सदन में विचार कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि सन् ६० से इस विधान सभा में नियम समिति बनी हुई है और उस पहली समिति की रिपोर्ट ८ सितम्बर, १९६१ को सदन में प्रस्तुत की गयी थी और ६ मार्च, १९६२ को विधान सभा का विघटन हो गया इसलिए उस रिपोर्ट पर विचार नहीं हो सका। उसके बाद आज तक नियम समिति की अन्य रिपोर्टें विधान सभा में प्रस्तुत हुईं और फिर वह चली गयीं ऐशबाग में। तो १९५८ की नियमावली में सन् ६० से आज तक जो संशोधन संकलित हुए हैं उन पर यह सदन विचार न करे और यह भी विघटित हो जाय सन् ६२ की तरह, यह कोई शोभा की बात नहीं है। मैं यह चाहता था कि सदन उठने से पहले आप नियम समिति की रिपोर्ट पर विवाद अवश्य करायें ताकि हम लोगों के जाने के बाद जो नयी पीढ़ी इस सदन में आए वह नयी नियम वली के अनुसार विधान सभा का कार्य संचालन करे।

तीसरी बात, ऐशबाग छापेखाने के बारे में आप ने कहा था कि एक दो दिन में सरकार का उत्तर आप के पास आ जायगा। आज चौथा दिन है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का उत्तर आप के पास आया अथवा नहीं और जहां तक मैं जानता हूं वह उत्तर अभी आप के पास पहुंचा नहीं है और सरकार आप के पत्र का उत्तर देना भी नहीं चाहती है। एक नहीं हजारों मिसालें इस प्रकार की हैं। जो स्वतन्त्रता सम्पूर्णानन्द जी की, पन्त जी की सरकार ने आप के सचिवालय को दे रखी थी उसे माननीय के० के० दास और मुख्य मन्त्री जी ने छीन लिया है और आप का सचिवालय पुरानी स्थिति पर आ गया है। आप कृपा कर इस पर भी विचार करें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, आप ने कृपा कर कहा था कि कल मैं सचिवालय पुनःस्संगठन सम्बन्धी रिपोर्ट के विषय में बतलाऊंगा। मुझे कुछ खयाल नहीं रहा। मैं समझता था कि आप स्वयं कुछ निर्णय उस बारे में लेंगे। लेकिन मैं इस राय का भी हूं कि आप केवल मन्त्रियों की कृपा पर ही नहीं हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। आप जाने से पहले इसको निश्चित करके जायं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप उसे निश्चित न कर पायें तो माननीय रामसुन्दर जी ने जैसा सुझाव दिया है कि हम दो दो घंटे शाम को ज्यादा बैठ कर उस पर विचार कर लें, मैं उससे सहमत हूं हालांकि मैं उसे इस प्रकार से विचार करना आवश्यक नहीं समझता।

प्रेस के बारे में क्या कहूं। अंग्रेजी में तो ए० जी० की रिपोर्ट आ गयी, लेकिन हिन्दी में उसका अभी तक पता ही नहीं चलता। पता नहीं कब तक वह छपकर आ पायेगी। यदि समय से न आ पायी तो मैं एक असफल चेयरमैन ही सिद्ध हो जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक प्रतिवेदन का प्रश्न है आपने और रामसुन्दर जी ने जिसके बारे में कहा है, वह यह है कि अगर सदन में उस पर बहस नहीं हो पाती है तो राज्यपाल के पास उसे भेजा जा सकता है और अभी मुख्य मंत्री के सचिव माननीय बंशीधर पांडेय जी यहां हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जहां तक उस प्रश्न पर विचार करने का सवाल है, जो प्रतिवेदन इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है कि किस प्रकार से संगठन लेजिस्लेचर के सचिवालय का किया जाय, उस प्रतिवेदन के संबंध में मैं समझता हूं सदन में विचार-विनिमय होना आवश्यक नहीं है। मैं चाहूं तो राज्यपाल के पास उसको भेज सकता हूं। केवल मैं यह चाहता था कि अगर हमें सरकार के विचारों से परिचय हो जाता, हम अपने आप को उनके विचारों से अवगत करा लेते तो हमें सहूलियत होती। हम गवर्नर से परामर्श करके उन नियमों का, उन बातों का ध्यान रखते हुए, निर्माण कराते। तो मैं यह चाहूंगा कि सरकार उस प्रतिवेदन पर चाहे किसी दिन बहस करा ले ताकि हम सरकार के विचारों से अवगत हो जायं और उनकी कठिनाइयों से, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि मैं उन नियमों को अपने नोट सहित महामहिम राज्यपाल को दे दूं और उनसे कहूं कि विचार-विमर्श हो जाय और उस पर निर्णय हो।

तो इस पर विचार कर लिया जाय और जो हो उससे हमें अवगत करा दिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

कब तक ?

श्री अध्यक्ष--

सोमवार, मंगल तक।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, आज हम उठ रहे हैं, हमको पता नहीं कि सोमवार को क्या कार्यक्रम है और हम क्या समझ कर आयेंगे। बड़ा पैसा खर्च होता है। वह तो अपने मन का कार्य करते चले जायंगे.....

श्री अध्यक्ष--

अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता और नियमों के अन्तर्गत कोई ऐसा विधान नहीं है कि हम मजबूर करें। मगर बंशीधर पांडेय समझदार आदमी हैं, वह ४ बजे तक तो बता ही देंगे। वैसे सांयकाल ८ तारीख को अनुपूरक बजट तो आपके सामने आयेगा ही।

दूसरा प्रश्न आपने किया है ऐशबाग प्रेस का, रामसुन्दर जी। हमने एक रिमाइन्डर भेज दिया है। मुझे अभी सूचना मिली है कि वह पत्रावली आ गयी है। मैं उसको देखूंगा।

नियमों के संबंध में हमने प्रेस को भेजा, वहां से हमारे पास प्रूफ आ गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि हस्तलिखित जो प्रतिवेदन है वह हम सदन की मेज पर परसों रख देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

हो सकता है कि सरकार के पास कोई काम ही न हो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके जो काम पिछड़े हुये हैं--नियम वाला और यह सचिवालय की रिपोर्ट के लिये, उसके लिये आप जरूर अधिवेशन बुला लें ताकि हम विचार कर सकें, मुमकिन है सरकार न बुलाये।

श्री अध्यक्ष--

ऐसी सूरत में आप नेता विरोधी दल से बातचीत कर लीजियेगा, मेरी विवशताएं हैं।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी ने वादा किया था कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर विचार किया जायगा।

प्रदेश में प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा के स्तर तथा शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन के संबंध में संकल्प (क्रमागत)†

*श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि शिक्षा को जितना महत्व दिया जाना चाहिये था उतना महत्व नहीं दिया गया और उसी का कारण है कि आज हमारा समाज और राष्ट्र नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है। आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार पाते हैं। विरोधी दल सरकार को कहते हैं, नेता ब्योरोक्रेसी को कहते हैं और ब्योरोक्रेसी नेताओं को कहती है। बहरहाल, अगर हम गम्भीरता के साथ विवेचन करें तो जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त न हो। जो योजना बनायी जाती है वह पूरी नहीं होती। लक्ष्यों से हम कहीं पीछे रह जाते हैं। इन सब बातों को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो वह केवल शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं। परन्तु जब शिक्षा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जायेगा उस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जायेगा, तो यह कमियां दूर नहीं की जा सकतीं। जब कभी कटौती का प्रश्न पैदा होता है तो शिक्षा में ही कटौती की जाती है।

मान्यवर, अगर हम शिक्षा के ऊपर उचित ध्यान देना चाहते हैं तो हमें शिक्षा पर अपने बजट का २० प्रतिशत खर्च करना होगा। अन्य प्रदेशों को अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा। कि वहां पर शिक्षा पर हमसे कहीं अधिक प्रतिशत खर्च किया जाता है।

मान्यवर, शिक्षा के स्तर को उठाने के लिये यह परम आवश्यक है कि शिक्षकों को सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करने की सुविधायें प्राप्त हों। उनको उतना वेतन दिया जाये जिससे कि वे सम्मान के साथ समाज में रह सकें। आज शिक्षकों का वेतन बहुत कम है। जब उनका मष्तिष्क निश्चिन्त नहीं रहता, तो वे काम भी अपना ठीक प्रकार नहीं कर पाते। जो शिक्षक अनुदान प्राप्त स्कूलों में काम करते हैं उनकी ओर सरकार उपेक्षा की नीति बरतती है। वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकारी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों को तो फायदा हुआ, उनको नहीं हुआ।

(इस समय १२ बजकर ५६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुये।)

जब तक इन शिक्षकों में अन्तर रहेगा, शिक्षा का स्तर ऊपर उठना असम्भव है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। जिस प्रकार और लोगों ने जब अहिंसात्मक रूप छोड़ कर हिन्सात्मक रूप ग्रहण किया, तब सरकार ने उनकी मांगों को माना। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह चाहती है कि शिक्षक लोग भी यही रास्ता अपनायें? अगर सरकार इस ओर शीघ्र ध्यान नहीं देगी तो उन्हें भी हिन्सात्मक मार्ग का अवलम्बन करना पड़ेगा।

मैं शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिये यह कहना चाहूंगा कि सरकार को प्राइमरी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना होगा। प्राइमरी शिक्षा स्थानीय निकायों के हाथों में है और उनके द्वारा प्राइमरी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरा यह निश्चित विश्वास है जब तक हम शिक्षा को स्थानीय निकायों के हाथों में से नहीं ले लेते तब तक प्राइमरी शिक्षा उपेक्षित रहेगी और उसमें हम कोई उन्नति नहीं कर सकते और जब प्राइमरी शिक्षा में उन्नति नहीं कर सकते उसका स्तर ठीक नहीं बनाते तो माध्यमिक शिक्षा और ऊपर की शिक्षा

---

†२९ जुलाई, १९६६ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बसन्तसिंह]

भी इसी प्रकार से होती रहेगी। आज विश्वविद्यालयों से स्नातक निकलते हैं, लेकिन उनका स्तर पहिले से हाई स्कूल के बराबर होता है। उनमें काम करने की और समझने की क्षमता नहीं होती है। जब स्नातक, ऊंची शिक्षा प्राप्त छात्र का यह हाल है तो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त का क्या हाल होगा और तब तक यह होता रहेगा, जब तक हम बुनियाद को मजबूत नहीं करेंगे। उसके लिये यह अनिवार्य है कि हम प्राइमरी शिक्षा को स्थानीय निकायों के अधिकार से निकालें। हो सकता है कि इसके लिये हमें जिला परिषद के ऐक्ट में परिवर्तन करना पड़े। मैंने काफी लोगों से इस सम्बन्ध में बातचीत की और उन सबको इसी मत का पाया चाहे वे सदन में इस तरफ बैठते हों या उस तरफ। शिक्षा समितियों में भी इसकी चर्चा चली, लेकिन अब सरकार के कदम उठाने की जरूरत है और इसका समर्थन सरकार को मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उन्नति हो सकेगी। शिक्षा के स्तर को यदि हम उठाना चाहते हैं तो आवश्यक हो जाता है कि हम विदेशी भाषा को बल न दें। दुःख होता है कि जब हम विदेशी भाषा पर बल देते हैं क्योंकि सरकार एक प्रतिशत से भी कम लोगों के बल पर चल रही है और वह एक प्रकार की अपनी जागीरदारी कायम करना चाहते हैं, अंग्रेजी का प्रभुत्व इस देश में बनाये रखकर।

इस देश में जमींदारी प्रथा और राजाओं को समाप्त किया, लेकिन अब दूसरे प्रकार के राजा और जमींदार पैदा हो गये हैं जो अंग्रेजियत को इस देश में कायम रखना चाहते हैं और जो अंग्रेजी का प्रभुत्व इस देश में कायम रख कर अपनी जमींदारी बनाये रखना चाहते हैं। आज मंत्री भी यही कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हम पर हावी है और हम उनके सामने नत मस्तक हो जाते हैं। क्या हमारा असली आन्दोलन अंग्रेजों को निकालने के लिये चलाया गया था? क्या यही दुर्बलता दिखाने के लिये थी? हमको खड़ा होना चाहिये और उन लोगों के सामने किसी प्रकार से भी नहीं झुकना चाहिये। आज अंग्रेजी की बड़ी वकालत की जाती है और मुझे आश्चर्य होता है अधिष्ठाता महोदय, उन पर जो अंग्रेजी नहीं जानते लेकिन मानसिक दासता के कारण वे तोते की रटन्त की भांति बोलते हैं। अगर देखा जाय तो वास्तविक स्थिति यह है कि इसे अनावश्यक रूप में एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का रूप देख कर उसका खोखला ढोल सा पीटा जा रहा है। फ्रांस वाले 'वाटर' तक का अर्थ नहीं जानते। दूसरे देशों में कभी यह विचार में भी नहीं आया कि तकनीकी प्राग्रेस के लिये, उस ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिये अंग्रेजी ही चाहिये। इंडोनेशिया की अपनी भाषा है और चीन, जापान, रूस की अपनी भाषा है परन्तु हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जो यह समझता है कि यह सब अंग्रेजी के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में यह मानसिक दासता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे हिन्दी की लिपि वैज्ञानिक है वैसी लिपि वैज्ञानिक रूप में किसी भी देश की नहीं है। उसके लिये इस प्रकार की बातें करना अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना है।

एक ओर कहा जाता है कि हिन्दी को सरल बनाया जाय और एक ओर फिर यह कहा जाता है कि उसमें शब्द नहीं हैं। ये दोनों बातें कहीं जाती हैं पर समझ में नहीं आता। क्या कहीं कोई भाषा ऐसी हो सकती है जिसमें पैदा हुआ बच्चा विज्ञान, तकनीकी शब्दों, साईक्लाजी के शब्दों को समझ ले? संसार के किसी कोने में ऐसी भाषा नहीं मिलेगी। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस मानसिक दासता को दूर किया जाय। अपनी भाषा का विकास किया जाय। इस भाषा को बल नहीं देना चाहिये उसके कारण ही हमारे छात्रों की शक्ति का अपव्यय हो रहा है। अंग्रेजी को सीखने सिखाने में ही अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है, इसलिये उनकी मौलिकता पर कुठाराघात होता है और इसलिये १८ वर्षों में जो भारत संसार को चैलेन्ज कर सकता था, वह प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। उसका एक मात्र कारण यही है कि एक प्रतिशत लोगों का इस देश पर प्रभुत्व है जो अंग्रेजी में मास्टरी रखते हैं। ९९ प्रतिशत जनता की उपेक्षा की जा रही है।

अधिष्ठाता महोदय, हम कुछ कक्षाओं की फीस निःशुल्क करते जा रहे हैं। हाई स्कूल तक छात्राओं को निःशुल्क पढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी प्रश्नों के समय ११ वीं कक्षा की छात्राओं को निःशुल्क पढ़ाने के बारे में पूछा गया। मैं तो चाहता हूं कि एम० ए० तक की छात्राओं को शिक्षा निःशुल्क दी जाय। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है तब निःशुल्क शिक्षा की बात करना अच्छी बात नहीं है। जिस व्यक्ति को एक हजार रुपया मिलता है, जो साधन सम्पन्न है, जो अपने बच्चों की फीस दे सकता है, इससे उसको भी सुविधा मिलती है। मेरा कहना तो यह है जो भी साधन सरकार छात्र छात्राओं की सुविधा के लिये प्रयोग करती है, वह गरीबों के लिये होने चाहिये, पिछड़े हुये लोगों के लिये होने चाहिये। उसके लिये दरवाजा खुला होना चाहिये जो साधनहीन है, साधन सम्पन्न के लिये नहीं होने चाहिये। देश में इस समय एक बात बहुत जोरों से चल रही है कि एजूकेशन कर लगाया जाय और देश के शिक्षा मंत्री के दिमाग में यह बात घर कर गयी है। यह ठीक है कि शिक्षा की प्रगति के लिये कर लगाया जाय, लेकिन जो शिक्षा के लिये फीस दे सकते हैं उनसे फीस न लेकर, गरीबों से टैक्स वसूल करना, यह उचित नहीं मालूम पड़ता।

सरकार के मस्तिष्क में एक बात और है। वह प्रिंसिपलों की पोस्ट का प्रान्तीयकरण करना चाहती है। आज सरकार का शिक्षा संस्थाओं पर केवल दो प्रकार से नियंत्रण है, बोर्ड के द्वारा उनकी मान्यता को समाप्त कर सकती है, दूसरा अनुदान देना बन्द कर सकती है। इससे शिक्षक और छात्र दोनों पर असर पड़ता है। इसके लिये यह सरकार ने तीसरा तरीका सोचा है, लेकिन इस तरीके से नियंत्रण नहीं होगा बल्कि एक भयावह स्थिति पैदा हो जायगी। आज जो इन संस्थाओं का खराब प्रबन्ध हो रहा है वह और खराब हो जायगा। वास्तव में सरकार को इन सारी शिक्षा संस्थाओं को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। लेकिन अगर वह वैसा नहीं करती है तो उसको यह तरीका नहीं अपनाना चाहिये। क्योंकि पिछड़े हुये जिलों में टूटे-फूटे साधनों के द्वारा विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। जो प्रिंसिपल्स है वे ही जनता के साधनों को इकट्ठा करते हैं। अगर सरकार ने उनका प्रान्तीयकरण कर दिया तो दिन रात लग कर कोई क्यों काम करेगा? ऐसी स्थिति में ऐसे स्कूल बन्द हो जायेंगे। उसका शिक्षा के ऊपर बुरा असर होगा और इस प्रकार से सरकार जनता के इनीशियेटिव को समाप्त कर देगी, जो सरकार को नहीं करना चाहिये। अगर सरकार इस दोष को दूर करना चाहती है तो उसको एक विस्तृत बिल लाना चाहिये जिसमें सब रोगों का इलाज किया जा सके। लेकिन इससे प्रबन्ध खराब होगा, शिक्षा का स्तर गिरेगा।

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हाई स्कूल छात्राओं की फीस नि शुल्क की गयी है और सरकार दलील यह देती है कि बालिकाओं के लिये उन्होंने बड़ा भारी काम कर दिया, शिक्षा की उन्नति केलिये। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे गांवों में जहां पर स्कूल ही नहीं तो वहां की छात्राओं को क्या लाभ हुआ है? प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है तो मैं जानना चाहता हूं कि उससे गांव वालों को कितना लाभ हुआ? जो लोग फीस दे सकते हैं और जो सिनेमा जाकर एक दिन में उतना खर्च कर देते है, जितनी कि महीने भर की फीस होती है, उनको सुविधा दी गयी है। ग्रामों की छात्राओं को कोई सुविधा नहीं दी गयी है। आज प्रायः यह भी देखा गया है कि इस प्रकार की संस्थायें शहरों में तो हैं परन्तु गांवों में कोई नहीं है क्योंकि किसानों को इतनी जुर्रत ही नहीं होती कि वे इस प्रकार के छात्राओं के विद्यालय ग्रामों में कायम करा सकें। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर कहीं भी राजकीय विद्यालय खुलें तो उनके लिये ग्रामों के क्षेत्र चुने जाने चाहिये और उनमें माध्यमिक स्तर पर विद्यालय कायम होने चाहिये। छात्राओं के लिये होस्टल होने चाहिये तब कहीं इन छात्राओं को कुछ सुविधा मिल सकती है।

आज सरकार की प्रवृत्ति जो है वह शहरों के विकास की ओर हो रही है जितने कल कारखाने खोले जाते हैं, वे भी शहरों में खोले जाते हैं। जितनी उत्पादन बढ़ाने की चीजें है, वे भी

[श्री बसन्तसिंह]

शहरों में ही खोली जाती हैं। आज हम केन्द्रीयकरण की ओर जा रहे हैं। विकेन्द्रीकरण की ओर से हमारी सरकार का ध्यान हटा रहा है। शहरों में जो वातावरण है, आबादी की समस्या है, मकानों की समस्या है, यदि ये सब काम हमारे ग्रामीणक्षेत्रों में हो जाय तो सब प्रकार की समस्यायें हल हो सकती हैं। यही कारण कि आज हमारे पढ़े लिखे लोग ग्रामों में जाना पसन्द नहीं करते हैं और जो हमारी विकास की योजनायें हैं, वे कार्यान्वित नहीं होती है। ये सब चीजें दूर हो जाती लेकिन हमारी सरकार पक्षपातपूर्ण रवइया बरतती जा रही हैं। जितने भी टैक्नीकल कालेज या इन्जीनियरिंग कालेज है, खुलते हैं, वे भी शहरों में ही होते है नतीजा यह होता है कि वहां पढ़ने वाले छात्र जब इन्जीनियर होकर निकलते है तो वे गांवों में नहीं रहना चाहते हैं। इसी हाउस में डाक्टरों की समस्या के बारे में कई बार कहा गया है कि हमारी ४०० डिस्पेन्सरियों में डाक्टर नहीं हैं, वे खाली पड़ी हुई है क्योंकि ग्रामों में डाक्टर जाना नहीं चाहते हैं। तो जब तक हमारी सरकार इस मनोवृत्ति को नहीं बदलेगी तब तक ये डिस्पेन्सरी खाली ही पड़ेगी रहेंगी और वहां पर दवायें बेची ही जायेंगी। वे शहरों के वातावरण में पलते हैं और गांवों में जाना पसन्द नहीं करते हैं। आपको चाहिये कि इस प्रकार के विद्यालय आप ग्रामों में भी स्थापित करें तभी वहां की जनता को कुछ फायदा होगा। राजकीय टेकनीकल, इन्जीनियरिंग, माध्यमिक विद्यालय जितने भी खुलें वे ग्रामीण क्षेत्रों में ही होने चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, सरकार एक बात पर विचार कर रही है कि अध्यापक क्षेत्र जो हैं उनको तोड़ दिया जाय। संविधान निर्माताओं ने बड़ा सोच समझकर यह किया था। जो उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनसे किसी भी प्रकार उनकी बुद्धि कम नहीं थी। उन्होंने मन्थन किया था लेकिन आज हमारी सरकार उस प्रतिनिधित्व को समाप्त करने जा रही है। मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार का एक भीषण कदम होगा। आज सरकार अपनी कमजोरियों को तो दूर नहीं करती लेकिन कुछ तिकड़म करती है ताकि उनके द्वारा वह मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले। मैं तो कहूंगा कि अगर वह अपनी कमजोरियों को दूर कर ले तो उससे मान प्रतिष्ठा स्वयं ही बढ़ जायगी। कहते है कि जो अध्यापक वहां प्रतिनिधित्व करने जायेगा, पार्टीबन्दी में पड़ जायगा। वास्तव में वह तो अध्यापक क्षेत्र से आता है और पिछले समय में ऐसे उदाहरण रहे है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। जिस दिन में वह लेजिस्लेचर में आ जाय उस दिन से पढ़ाने का काम न करे, इस तरह का प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व ही समाप्त कर दिया जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं चाहूंगा सरकार इस तरफ ध्यान दे और ऐसे घातक कदम को उठाने से पहले गम्भीरतापूर्वक सोचे। कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं होती जो निर्दोष होती हो। आज जो राजनीति में कार्य कर रहे है वह क्या यह नहीं सोचते कि सरकारी कर्मचारी राजनीति से अलग रहते हैं। सरकारी कर्मचारियों में गुटबन्दी यहां इतनी बढ़ गयी हैं कि एक गुट का आदमी दूसरे गुट का काम नहीं करना चाहता और इसके दोषी आप ही है क्योंकि आप लोग ही उनको नाजायज काम करने के लिये मजबूर करते हैं। आपने स्वस्थ वातावरण नहीं तैयार कर रखा है। केवल शिक्षकों पर प्रहार करना मैं समझता हूं कि आप लेजिस्लेचर में बुद्धिजीवी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं चाहते और जिस प्रकार आज असेम्बलियों में चीजें घटित हो रही हैं आप उसको बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि जहां जनतन्त्र की मर्यादायें समाप्त हो जाती हों, हिन्सात्मक आन्दोलनों के सामने घुटने टेक दिये जाते ही तो वहां पर लेजिस्लेचर की मान, प्रतिष्ठा भंग हो जाती है और अगर आप बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करेंगे तो लेजिस्लेचर का गौरव बढ़ेगा, उसकी मर्यादा बढ़ेगी। शिक्षाके बारे में यह प्रस्ताव है कि शिक्षा स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाय। मैंने कुछ बातें इसके ऊपर कहीं, मैं सरकार से चाहूंगा कि शिक्षा के प्रति जिस प्रकार की उपेक्षा दृष्टि है उसको बन्द करे, शिक्षक को सम्मान दें, उन का वेतन बढ़ाये और जो बजट आप का है उसका २० प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करे तब शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सकता है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा को स्थानीय निकायों से निकाल लें तो बुनियादी शिक्षा मजबूत होगी। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता कि किस प्रकार से ट्रांसफर्स साल भर होते रहते हैं। स्कूलों में बच्चे अधिक होते हैं। मेरी राय में एक कक्षा में २० से अधिक बालक नहीं होने चाहिये, साधन हों तो यह संख्या कम की जा सकती है। अगर आप वास्तव में अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो इस पर विचार करना होगा और राज्य को शिक्षा के प्रति सबसे अधिक ध्यान देना होगा। आप निकम्मी, निरर्थक और अनुत्पादक योजना पर करोड़ों रुपया बरबाद करते हैं, बांध बनते हैं और टूट जाते हैं, मैं यह नहीं कहता कि बांध न बने, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो सरकार कहती है कि पैसा नहीं है। मैं कहता हूं कि यदि अच्छी शिक्षा प्राप्त किये हुये नागरिक देश में होंगे, डिसिप्लिन्ड लोग होंगे तब सब काम ठीक प्रकार से होगा। जहां एक तरफ समाज में आदमी के लिये काम नहीं है वहां दूसरी तरफ स्थिति यह है कि काम के लिए आदमी भी नहीं है। इसलिए सरकार को उचित और अच्छी शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत संकल्प के संबंध में अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। जहां तक प्राइमरी शिक्षा का प्रश्न है मैं माननीय संपूर्णानन्द का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। कि पहली बार उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए एक कदम बढ़ाया जिसको कि देश के पढ़े लिखे लोगों ने पसन्द नहीं किया। कारण यह है कि उन्होंने चारों तरफ शिक्षा की भरमार कर दी। जहां भी लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे वहां प्राइमरी स्कूल खोल कर उन्होंने इस प्रदेश की जनता के साथ बड़ा न्याय किया। लेकिन इसके बावजूद भी यह बात सही है कि अभी हमारी शिक्षा की हालत बहुत गिरी हुई है क्योंकि हमारे देशवासियों के पास इतना धन नहीं था जिससे कि एक दम उसकी व्यवस्था की जा सके। परन्तु इसके माने यह नहीं है कि जो व्यवस्था आज है और जो खर्चा सरकार उस पर कर रही है उससे अच्छी व्यवस्था उसी रुपये से नहीं हो सकती थी। मैं समझता हूं कि अगर सरकार धीरे-धीरे अपने कदम बढ़ाती तो हायर एजूकेशन का स्तर और यूनिवर्सिटी एजूकेशन का स्तर वह न होता जो आज है।

डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अन्दर शिक्षा, पब्लिक हैल्थ और जस्टिस ये तीन अनिवार्य कार्य हैं जिनको हर सिटीजन तक पहुंचना चाहिए। हमारी सरकार को चाहिए था कि पहले प्राइमरी एजूकेशन को कंसोलिडेट करने पर अधिक व्यय करती बनिस्बत मेरठ और कानपुर में विश्वविद्यालय खोलने के जो कि वही काम करेंगे जो कि आगरा विश्वविद्यालय आज तक तक करता आ रहा है। प्राइमरी एजूकेशन मुल्क की फाउन्डेशन डालती है। २५ साल बाद हिन्दुस्तान क्या होगा उसका नक्शा। आज हम देख सकते हैं उस शिक्षा दीक्षा में जो कि हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं। जैसी शिक्षा आज हम इन बच्चों को देंगे उसी के मुताबिक ये २५ साल के बाद इस देश का कार्य भार संभालेंगे, वे इस मुल्क के हुक्मरां होंगे और इस मुल्क की मशीनरी में काम करेंगे। लेकिन अगर उसकी नींव ठीक से नहीं रखी जाती है तो यह स्पष्ट है कि आनेवाले २५ साल के बाद जो हमारा देश होगा उसकी तस्वीर उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी कि आज हम उसको बनाना चाहते हैं। किसी मुल्क को बनाना है तो उसके बच्चों की प्राइमरी शिक्षा-दीक्षा पर मुनहसिर करता है और जब तक बच्चों का ब्रिगिंग अप सुन्दर तरीके से नहीं होता, उनके शरीर तथा दिमाग का गठन, उनके विचार तथा भावनाओं का गठन सुन्दर ढंग से नहीं होता, उनमें नैतिकता तथा आध्यात्मवाद का प्रादुर्भाव नहीं होता तब तक वह समाज के लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

हमारी इस सेकुलर स्टेट में किसी का यह सोचना कि किसी प्रकार की रिलीजस शिक्षा देना गलत होगा मैं समझता हूं कि वे बेवकूफों के साथ में सोया करते हैं जो इस बात की जरूरत को महसूस नहीं करते। आप बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल्स पैदा कर सकते हैं लेकिन अगर उनके पास नैतिकता नहीं होगी, रिलीजस कल्चर नहीं होगी, आध्यात्मवाद को वह नहीं जानते हैं तो वह मुल्क के लिए बहुत बड़े अभिशाप सिद्ध हो सकते हैं क्योंकि हमने देखा है कि जिन लोगों को कल्चर रिलीजस एजूकेशन पर नहीं होती है वह कौम और राष्ट्रों के लिए और दुनिया के लिए खतरनाक साबित हुई है। नागासाकी इसका ज्वलंत प्रमाण है। इसलिए मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा हूं सबजेक्ट के ऊपर लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा दीक्षा में एक बड़ी भारी कमी रही है। उसके साथ-साथ रिलिजस टीचिंग प्राइमरी स्कूलों में शुरू हो जानी चाहिए, नैतिकता की शिक्षा भी उनको देनी चाहिए। जैसा कि हमारे देशवासी चाहते हैं, हम समझते हैं कि नैतिकता के दौर में दुनिया के देशों को मात देने में हमारी ऊंची से ऊंची देन है। लेकिन जहां हम काम करते हैं, हमारे काम करने में इतनी कमजोरी है कि वह स्थान जो कि हम प्राप्त करना चाहते हैं, एक सपना सा नजर आता है। क्योंकि सबसे बड़े पढ़े-लिखे और तजुर्बेकार अध्यापक ही हैं जो हमारे उन बच्चों को शिक्षा-दीक्षा देंगे जो २५ साल के बाद हमारे देश के रक्षक होंगे, जो हमारे देश का चार्ज लेंगे। आज ये जो असेम्बली में बैठे हुए हैं, १०-१५-२० साल के बाद इस दुनिया से पार हो जायेंगे। और इनकी जगह लेने के लिए अगर आपने आज के बच्चों को तैयार नहीं किया तो आपने बड़ी महान् भूल की और अगर आज के नेताओं ने अपने नेतृत्व में भविष्य के नेताओं की फाउन्डेशन नहीं डाली तो आपके नेता और उनकी नेतागिरी शून्य है। "इट इज नथिंग बट बैंकरप्टसी, इट इज नथिंग आफ स्टेटमैनशिप, इट इज नथिंग आफ पोलिटिकल विजडम, इट इज नथिंग आफ पालिसी ऐण्ड प्रोग्राम्स।" अगर आपकी पालिसी और प्रोग्राम ने २५ साल के बाद को होने वाले इन्तजाम करने की कोई व्यवस्था नहीं की तो मैं समझता हूं कि हम दूरदर्शिता से काम नहीं लेंगे। मैं कहता हूं कि हमारी सरकार बधाई की पात्र है कि उसने प्राइमरी स्कूलों की तादाद यहां बढ़ाई। लेकिन मैं कहता हूं कि वे प्राइमरी स्कूल्स वेल इक्विप्ड होने चाहिए, उनके पास पढ़ाई-लिखाई के सामान होने चाहिए, उनके पास वेल ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं जिस प्रकार की आज शिक्षा-दीक्षा दी जाती है कि ९ महीने की ट्रेनिंग हुई या दो साल की ट्रेनिंग हुई और वे अपने देश की भाषा हिन्दी भी सही नहीं लिख पाते। जो फर्स्ट डिवीजन पास है, जूनियर हाई स्कूल है वह "घोड़ा" को "घोड़ा" लिखता है, उसको "ध" और "घ" में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। इस प्रकार की पढ़ाई-लिखाई से कोई खास फायदा नहीं है।

यह बड़े गौरव की बात है कि हमारी सरकार भी इस पर गर्व करती है कि उसने अपने यहां स्कूलों की तादाद बहुत बढ़ाई है। हमारे टीचर्स ट्रेंड हों परन्तु उसके साथ-साथ और भी कमियां हैं। गरीबों के बच्चे जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, खाने को नहीं हैं, कलम, दवात-कागज और किताबें खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या आप समझते हैं कि आपके फ्री एजूकेशन कर देने की वजह से गरीबों के बच्चे शिक्षित किए जा सकते हैं जिनके पास कोई साधन तक नहीं है स्कूलों में जाने के लिए? हमारी सरकार का कर्त्तव्य है, कानून और हमारे कांस्टीट्यूशन के अन्दर जो डाइरेक्शंस हैं हमारी सरकारों के लिए, वे ये हैं कि हमारी प्राइमरी एजूकेशन फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए ताकि हमारे भारतवर्ष की टेरिटरी के अन्दर कोई बाल बच्चा जिसके ऊपर दुनिया के प्रकाश की रश्मि पड़ जाय उनमें से कोई मूर्ख न रहने पावे और वह शिक्षा दीक्षा से वंचित न रहे, परन्तु आज फ्री एजूकेशन के होते हुए भी करोड़ों की तादाद में प्रदेश के गरीबों बच्चे लिखने पढ़ने से अछूते हैं। कारण यह है कि आज उनके पास कोई साधन नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। फीस तो सरकार नहीं लेती, लेकिन उनको किताबें खरीद कर कौन देगा, उनको कलम, दावात, पेंसिलें और कागज कौन देगा, यह मसला सोचने का है। सरकारों के ऊपर जब प्राइमरी एजूकेशन का भार है तो हमारी सरकार को उसका संपूर्ण भार अपने ऊपर लेना चाहिए। आज उन्होंने इन स्कूलों को परिषदों और लोकल

बाडीज को सौंप कर के महान् भूल की है। मैं चाहता हूं कि प्राइमरी एजूकेशन शुड बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई दि स्टेट गवर्नमेंट और वह फ्री और कम्पलसरी होनी चाहिए। अगर आपने हमारे देश वासियों की भावनाओं का दिग्दर्शन किया होता, अगर आपने हमारे नेताओं की भावनाओं की गूंज बृटिश काल में सेंट्रल पार्लियामेंट में सुनी होती और किताबों में उसकी झलक देखी होती तो गोखले के जमाने में बृटिश सरकार को प्रेस किया गया कि प्राइमरी एजूकेशन फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। जब उस समय की सरकार ने यह मंजूर नहीं किया तो उन्होंने कहा कि लोकल बाडीज को फ्री और कंपलसरी एजूकेशन देने के लिए परमीशन होनी चाहिए। लेकिन विदेशी सरकार को यह भी नागवार था, उसने यह करने से इन्कार कर दिया और जितना भी प्रोग्राम और रेजोल्यूशन्स थे उनको शेल्व कर दिया गया। इसलिए जो सपना हमारे देशवासी बृटिश काल में देखा करते थे कि हमारे देश के अन्दर फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजूकेशन होना चाहिए, वह आज आजादी के १८ साल बाद भी पूरा नहीं हुआ और अगर हमारे दिमाग में यह चीज न जगी तो मैं समझता हूं कि हम अपने को मिसगाइड करते हैं। हमको चाहिए कि जितने भी हमारे पास फण्ड्स हैं हम उनको प्राइमरी एजूकेशन को कंसालिडेट करने में लगायें और जो पागलपने की बातें होती हैं, दिमाग की सनक में जो नये-नये इंस्टीट्यूशन्स खोले जाते हैं जिससे देश, प्रदेश को कोई राहत नहीं, जो काम बंटवारा कर के कराना चाहते हैं, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी जिस काम को करती थी उसी काम के लिए एक दूसरी यूनिवर्सिटी खोली गयी है, मैं समझता हूं यह पब्लिक एक्सचेकर का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्राइमरी एजूकेशन को कंपलसरी करने के माने हैं कि गरीबों के बच्चों का, जिनके पास साधन नहीं हैं, हमारी सरकार को उनका सारा खर्चे का बोझा अपने ऊपर लेना चाहिए। जब तक यह नहीं होता तब तक आप डेमोक्रेसी के फंक्शन को पूरा नहीं कर सकते। आप डेमोक्रेसी चिल्लाते तो हैं लेकिन जो डेमोक्रेसी हमारे चरित्र में नहीं, जो डेमोक्रेसी हमारे कामों के द्वारा झलकती नहीं, जो डेमोक्रेसी कानून की किताबों में और आपके भाषणों में निवास करती है वह डेमोक्रेसी मुल्क के लिए धोखा है। अगर हमारे यहां डेमोक्रेसी है तो वह हमारे हर काम में झलकनी चाहिए। जिस काम को शुरू ही नहीं किया गया उसमें सफलता का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार समय से फायदा उठाए और भूतकाल के अनुभव से अपने को सतर्क करें।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

*श्री महादेव (जिला फैजाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, बड़ा शुक्र है कि डाक्टर सीताराम जी यहां बैठे हैं। मैं आपके द्वारा उनका ध्यान चन्द सवालों की ओर दिलाना चाहता हूं, इस आशा से कि शायद कुछ बातें सरकार के पास पहुंच जायं। यह सवाल जो आज सामने है बहुत पहले आना चाहिए था और आज तो उसकी उपेक्षा करना एक तरह से प्रदेश के साथ एक जुर्म करना है। पहला सवाल यह है कि क्या सही माने में आप प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य करना चाहते हैं? अभी तक तो जो आपके पास रिकार्ड आए हैं वह कागज पर ही हैं कि सेंट परसेंट शिक्षा हो गई। देहातों में भी ५०-६० परसेंट लड़के नहीं आये। उनको सेंट परसेंट करने में कितने स्कूल, कितने शिक्षक की जरूरत होगी और उसका साधन कहां से जुटेगा, यह विचार करने की बात है। इसके बाद जितने प्राइमरी स्कूल खुलेंगे उतने ही जूनियर हाई स्कूल का प्रबंध करना पड़ेगा। उसी संख्या के अनुसार हायर सेकेंड्री स्कूल, डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ेंगी। एक स्तर पर सवाल हल कर लें और दूसरा छोड़ दें, यह नहीं हो सकता। जहां तक स्कूल और कालेजों का संबंध है उनमें एडमीशन के लिए कितनी परेशानी होती है, यह सभी जानते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महादेव]

कि प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल में और जूनियर हाई स्कूल से सेकेंड्री से स्कूल में और सेकेंड्री स्कूल से डिग्री कालेज और डिग्री कालेज से यूनिवर्सिटी में एडमीशन पाने में बड़ी मुश्किल होती है। अगर प्राइमरी स्कूलों को अनिवार्य तालीम में बढ़ाने की जरूरत है तो उसी रफ्तार में सारे एजूकेशन के स्तर पर मामला हल करना पड़ेगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि आप स्तर की बात करते हैं और उसमें कुछ मुझे पूछना है कि सरकार के पास कोई माप दण्ड है जिसकी आप बात करते हैं। क्या आप अंग्रेजों की तरह से सोचते हैं कि अंग्रेजी पढ़ाकर अच्छे क्लर्क बनाने हैं। सरकार के दिमाग में यह बात साफ नहीं है कि वह किस तरह का स्तर चाहती है भावी नागरिकों के संबंध में। फिर स्तर की बात करना मैं समझता हूं कि बड़ी नादानी है। केवल अंग्रेजी में ५० परसेंट लड़के हाई स्कूल और इन्टर में फेल होते हैं। क्या यह बुद्धिमानी है कि अपने यहां के नौजवान लड़के और लड़कियों की इनर्जी को इस तरह से बरबाद किया जाय। क्या अंग्रेजी भाषा का स्तर ऊंचा उठाने से ही हमारा स्तर ऊंचा होगा? क्या चरित्र भी उसमें शामिल है या नहीं? क्या ज्ञान और व्यवहार जो उनमें होना चाहिए उसका भी कोई स्थान है या नहीं? अगर है तो पहला सवाल यह आता है कि आप कृपा करके उस स्तर का निर्णय कर दें कि प्राइमरी स्टेज से लेकर यूनिवर्सिटी स्टेज तक आप छात्रों से कैसा स्तर चाहते हैं और चरित्र तथा ज्ञान का कैसा स्तर चाहते हैं? जब तक इस पर निर्णय नहीं देंगे तब तक स्तर की बात करना बेकार की बात है।

तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी तरफ सरकार ने १८-२० साल से ध्यान नहीं दिया है और आज भी ध्यान नहीं दे रही है। मैंने पहले कहा था और आज भी दुहरा दूं कि सूबा कांग्रेस कमेटी के सामने कि अगर तालीम के मामले में हम इसी तरह से उदासीन रहे तो १५ साल तक पहुंचते पहुंचते न हम पढ़े लिखों को जगह दे सकेंगे न उनको पढ़ लिख कर निकलने के बाद नौकरी दे सकेंगे और यदि दे भी सकेंगे तो उचित मात्रा में भरण-पोषण नहीं दे सकेंगे। और जो शिक्षित समुदाय बेरोजगार रह जायगा वह किसी हुकूमत को चलने नहीं देगा। वह डाकखाने फूंकेगा, रेलें तोड़ेगा, आदि वह ला एण्ड आर्डर को तोड़ेगा। वह शासन चलने नहीं देगा। जनता के लिए वह कंस की औलाद हो जायगा, वह देश की रचना नहीं कर सकेगा, वह केवल उसका विध्वंस ही करेगा। आज मैं भी फिर उन्हीं बातों को दोहराता हूं। जिस तरह की तालीम आज आप उन्हें दे रहे हैं, उससे इस देश के अच्छे नागरिक क्या आप पैदा कर लेंगे? आज तक का जो रेकार्ड है वह सामने है। आपके पढ़े लिखे लोग कहीं सरकारी नौकरी में है, और मैं कहता हूं कि वे समाज के लिए और अपने लिए अभिशाप हैं, वे घूस, भ्रष्टाचार और कुनबा-परस्ती आदि से देश के जन जीवन के लिए अभिशाप स्वरूप बन कर रह गए हैं। जो नौकरी में नहीं हैं वह किसी तरह की भी हुकूमत चलाने को तैयार नहीं हैं, वह आपसे भी बागी हो रहे हैं। उसका नतीजा आप देख रहे हैं, हमारे देश के ऊपर विद्यार्थियों द्वारा वाइस चांसलर को घेरा जाता है, मारा जाता है, सड़ी सड़ी सी बात पर विद्यार्थियों पर लाठियां चलानी पड़ती हैं, छोटी-छोटी बातों का बतंगड़ बना कर खड़ा कर दिया जाता है। आप रेल में जायं या कहीं भी जायं हर वक्त आपको मालूम होगा कि हमारा नौजवान समाज जो स्कूलों और कालेजों से निकल रहा है, उसकी मनोवृत्ति क्या हो रही है। क्या आप समझते हैं कि वे देश को और समाज को धोखा नहीं दे रहे हैं, जिसका आप भविष्य अन्धकारमय कर रहे हैं? आपने इन सवालों को तो बेकार का समझ रखा है। और बेकार के, बेफजूल के सवालों को आपने महत्व का बना दिया है। टिकट लेने के, चुनाव लड़ने के और चुनाव में जीतने के कार्य को आप महत्व-पूर्ण समझते हैं, कैसे अपने दल को जोरदार बनाया जाय---इसे आप महत्व का समझते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है, उसको आज तक आपने खन्दक में डाल रखा है और उसे आज भी आप सुनने को तैयार नहीं हैं। इस बात का सबूत यह है कि कहीं झगड़े फसाद की बात हो, उग्र वादविवाद की बात हो तो यहां पर सारा हाउस भरा रहता है, लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने के लिए कोई हाउस में सुनने वाला नहीं है। कभी-कभी ऐसी बातों से निराशा होने लगती है लेकिन साथ ही एक आशा भी है।

हमने अपने जीवन के अनेक वर्ष देश का सुन्दर सपना देखने में व्यतीत किया है। आज क्या हमारा यह कर्त्तव्य नहीं है कि हम आने वाली अपनी संतानों के लिए कोई सुखद नक्शा पेश पर जायं, जिससे वे सोच सकें कि हमारे उज्जल जीवन के लिए हमारे पूर्वजों ने एक सुन्दर ढांचा बनाकर रख दिया था। जिस प्रकार की शिक्षा देकर आप विद्यार्थियों को ढाल रहे हैं, उस पर आप कुछ नहीं विचार रहे हैं। आपकी आज की शिक्षा उन्हें केवल अनुशासन हीन, उश्रृंखल ही बनाती है, देश के प्रति असम्मान और जनता के प्रति असम्मान की भावना ही उनमें बनती है। जो अब तक स री चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं उसके साथ आप क्या कर रहे हैं ? यह शिक्षा आपके देश में कृष्ण और उसके गोप नहीं पैदा करेगी, यह कंस और उसके सिपाही ही पैदा करेगी। इसलिए आज सरकार का यह परम पुनीत कर्त्तव्य हो गया है, जिसको टालना देश के साथ एक बहुत घातक व्यवहार समझा जायगा, वह यह है कि ऐसे कर्मचारी जिनका सरकार से और सरकार चलाने से कोई संबंध नहीं है, ऐसे मनीषी आपके समाज में बहुत हैं उनको बिठाल दीजिए और उनके सामने यह रखिए कि हमारा यह सवाल है कि शिक्षा को हम किस तरह अनिवार्य बनायें, शिक्षार्थियों को स्कूलों और कालेजों में हम कैसी शिक्षा दें, उसकी कैसी व्यवस्था हो, और कैसी शिक्षा पद्धति हमारी हो और उनके अन्दर से निकलने वाले नवयुवकों को किस तरह से रचनात्मक शिक्षा दे सकें। यह काम उस समिति का होगा जिसका रोज की पार्टीबन्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, एलेक्शन से और सरकार के संचालन से भी कोई ताल्लुक नहीं है, वही निष्पक्ष, दूरंदेशी भरी चीजें दे सकती है। मुसीबत यह है कि जो हुकूमत में बैठे हैं वह समझते हैं कि हर तरह की बुद्धि भी उनके ही पास है। यह नशा है जिसको टाला नहीं जा सकता लेकिन बुद्धिमानी दशरथ और वशिष्ठ दोनों का काम एक ही आदमी के करने में नहीं है। दशरथ होकर आप राज्य शासन चलावें लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या मंत्रणा देने का काम भी दशरथ ही करेगा। इसके लिए वशिष्ठ बनाने की जरूरत है और ऐसे आदमियों को ढूंढने की जरूरत है जो बिलकुल निस्पृह होकर आपको सलाह दे। आपको बताएगा कि कैसा अध्यापक हो।

आज उनके वेतन का सवाल है। यह तो न्याय की बात है कि जिस पर कुछ कहना बेकार है लेकिन शिक्षकों की समस्या अकेली नहीं है जब तक कि आप शिक्षा की संपूर्ण समस्या को समझेंगे नहीं तब तक आप शिक्षकों के महत्व को नहीं समझ पायेंगे। जिस चीज में आपके लिए महत्व नहीं है उसके लिए फिर प्रयत्न भी नहीं करेंगे। दिक्कत यही पड़ रही है कि शिक्षा की तरफ से हमारी कितनी उदासीनता है और आपकी उदासीनता तभी दूर होगी जब आप यह समझ जायेंगे कि आपके और हमारे सवालों में सबसे बड़ा सवाल शिक्षा का है और उसी दिन आप समझ पायेंगे कि शिक्षा कैसे दें और उसको कामयाब बनाने के लिए किस प्रकार के आदमियों की जरूरत है और शिक्षकों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करने के लिए हम कौन से उपाय करें। यह सवाल बाद को अपने आप आयेगा। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, न इसमें आपकी कुर्सियों पर हमला है आप कुछ आदमियों को जिनका प्रदेश की सरकार से ताल्लुक न हो वे बैठकर प्राइमरी शिक्षा से लेकर डिग्री कालेज तक सारी शिक्षा व्यवस्था के संबंध में पूर्ण रूप से सर्वांगीण रिपोर्ट अपनी दें, यह बड़ी उचित मांग है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत प्रश्न बड़े महत्व का है। प्राइमरी शिक्षा का ही क्या, सारी शिक्षा का स्तर आज क्या है, हम किधर जा रहे हैं इस पर विचार करने का अवसर हमें इस विधेयक द्वारा मिला है। आज बालकों को देखिए, सही बात यह है कि प्राइमरी स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक उच्छृंखलता, उद्दंडता और अनुशासनहीनता बिलकुल विद्यार्थियों में व्याप्त हो गयी है। इसका निराकरण कैसे हो ? इस पर हमको बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। दुख यह है कि जब यह गंभीर प्रश्न सदन के सामने उपस्थित है, मुश्किल से १५ आदम. इस सदन में उपस्थित हैं। इसका अर्थ साफ है कि कितना ध्यान हमारा

[श्री बृजबिहारी]

इस प्रश्न की तरफ है। प्रेस गैलरी में भी केवल एक सज्जन उपस्थित हैं। यह क्या बताता है? शिक्षा ही समाज, देश, और राष्ट्र की आधार शिला है, और जब उस पर विचार करने का प्रश्न उपस्थित हो, तब सारा सदन बिलकुल सूना है, बहुत कम आदमी उपस्थित हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको यहीं छोड़ दिया जाये। यह प्रस्ताव बड़ा इनोसेन्ट है। मैं समझता हूं कि सरकार को इसको स्वीकार करने में अड़चन नहीं होनी चाहिये। हम आप सब इसको मानते हैं कि आज देश की ऐसी परिस्थिति है कि हमको इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना ही चाहिये। प्राइमरी स्कूलों की क्य दशा है? ३५, ३६ साल से जिला परिषद के स्कूलों से मेरा संबंध रहा है, और अपने अनुभव से कह सकता हूं कि हमारा स्तर शिक्षा का क्रमशः बिलकुल गिरता चला गया है। अध्यापकों में कर्तव्यपरायण ा का बिलकुल अभाव है। माननीय व र्मा जी अध्यापन कार्य में संलग्न हैं वे मुझे क्षमा करेंगे, आज अध्यापक अध्यापन कार्य को अपना मुख्य कर्तव्य नहीं मानता है। ज्यादातर देहातों में हमारे अध्यापक अपने घरों के पास कार्य करते हैं। घर के कार्य को अपना मुख्य कार्य समझते हैं। किसी तरह से स्कूल में चले आये। लड़कों से कह दिया कि यह लिखो, वह लिखो, और फिर अपने घर चले गये। बालकों की क्या दशा है? मुझे दुख होता है कि प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था के बारे में मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि सौ विद्यार्थी से कम किसी विद्यालय में नहीं है, तीन सौ, ४ सौ, ५ सौ और कहीं ६ सौ तक विद्यार्थी एक एक स्कूल में हैं और पढ़ाने वाले, अध्यापकों की संख्या, को लीजिये। परसों नरसों एक प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य मुझसे मिले। उन्होंने बताया कि उनकी पाठशाला में ३ सौ विद्यार्थी हैं और अध्यापक वहां केवल ३ हैं अब, वे कैसे पढ़ावेंगे और क्या पढ़ावेंगे यह प्रश्न बड़ा गंभीर है।

माननीय शिक्षा मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं प्रसन्नता की बात है कि डाक्टर सीताराम जी यहां हैं वे मेरी बात को शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। बी० टी० सी० की शिक्षा पहले २ वर्ष की होती थी वह अब केवल एक वर्ष की कर दी गई है। अब आप सोचिये जूनियर हाई स्कूल पास या हाई स्कूल पास विद्यार्थी जो पास होकर निकलते हैं उनको हम अध्यापन कार्य देने जा रहे हैं और जो ट्रेनिंग अब तक २ वर्ष की अवधि की थी उसको १ वर्ष करा दें, यह कहां तक उचित है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो बालक हाई स्कूल पास होकर निकलते हैं उनमें यह योग्यता नहीं होती कि वे प्राइमरी स्कूल की कक्षाओं को भी पढ़ा सकें। उनको प्रशिक्षित करना है, और उनके लिये २ वर्ष की ट्रेनिंग को कम करके १ वर्ष कर दे ा कम से कम इस परिवर्तन को समझने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूं। दो वर्ष की जगह पर आप ३ वर्ष की अवधि कर दीजिये, ४ वर्ष की अवधि कर दीजिये ताकि उनका प्रशिक्षण ठीक तरह से हो और उनमें यह क्षमता आ जाय कि वह जाकर लड़कों को पढ़ा सकें। आज लड़कों की पढ़ाई के साथ बिलकुल खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी पढ़ाई और उनका अध्ययन आज बिलकुल गिरता जा रहा है। पता नहीं वह कहां जाकर समाप्त होगा।

जूनियर हाई स्कूलों की हालत और भी खराब हो रही है। माननीय वर्मा जी ने कहा था कि अंग्रेजी को हमने अनिवार्य कर दिया है। अब अंग्रेजी की अनिवार्य शिक्षा हो गई है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा और भी खराब हो रहा है। आपने यह नहीं किया कि बालिकाओं के स्कूलों को इस नियम से अलग कर दें और वहां पर अंग्रेजी को अनिवार्य न रखें, वह भी अंग्रेजी को अनिवार्य शिक्षा के रूप में कर दिया गया है। इसका नतीजा क्या हुआ है? हिसाब लगाकर देखा जाय तो मालूम होगा कि केवल ७ से लेकर १० प्रतिशत तक बालिकायें परीक्षा पास हुई हैं। इसका कारण यह है कि आपने जूनियर हाई स्कूलों में भी अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया है। करीब-करीब ९० और ९५ फीसदी लड़कियां इसमें फेल हुई हैं। आपने अंग्रेजी को बालिकाओं के विद्यालय में अनिवार्य करके महान भूल की है। वहां पर अंग्रेजी की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बालिकाओं के विद्यालयों में अध्यापिकायें बहुत कम हैं और

जो हैं भी वह अंग्रेजी नहीं जानती। यह केवल इसलिये हुआ कि अंग्रेजी को वहां पर अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं नहीं, बल्कि आपने प्राइमरी स्टेज से ही लड़के और लड़कियों के लिये अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया है। इसी कारण वह अधिक फेल हुई हैं और इसका फल यह होने जा रहा है कि जो स्तर था वह भी गिरता जा रहा है। मैं जानता हूं कि जितनी लड़कियां फेल हुई हैं उनमें अधिकतर १, २ और ५ नवम्बर ही अंग्रेजी में पा सकी हैं। वे सब ५ नम्बर के नीचे ही अंग्रेजी में प्राप्त कर सकी हैं। यह परिस्थिति ऐसी है जिस पर हमको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। आप चाहे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें, या न करें, यह बात दूसरी है लेकिन मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यह प्रस्ताव जो पेश किया गया है इस पर सरकार को बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे जो स्तर गिरता जा रहा है उसमें सुधार हो सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी या जूनियर स्टेज पर इस प्रकार की कोई पुस्तक नहीं है जिससे किसी प्रकार की नैतिकता की शिक्षा प्राप्त हो सके। ऐसा पाठ्यक्रम स्वीकार नहीं किया गया है जिसमें इस प्रकार की पुस्तकें हों। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस ओर ध्यान दें। हमारे बालक और बालिकायें यदि चरित्रवाले नहीं होंगे तो आगे जाकर हमारा क्या होगा। हम सबको यह देखने का अवसर मिलता है जब हम लोग पहले दर्जे में यात्रा करते हैं। पहले दर्जे में अधिकतर बालक घुसकर बैठ जाते हैं। टी० टी० की हिम्मत नहीं है कि उन से टिकट मांगे। जो वहां पर शीशे लगे होते हैं, वे गायब हो जाते हैं, और जो बैठने की जगह है वह सब फाड़ डाली जाती है। आज के विद्यार्थियों में न किसी का कोई खयाल है, न आदर है, और न किसी का लिहाज है। इसका कारण हमारी शिक्षा पद्धति है। हमारा तरीका ऐसा है कि हम गिरावट की तरफ जा रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इन शब्दों के साथ आपसे आशा करता हूं कि आप इस पर विचार अवश्य करेंगे और ऐसी कोई प्रणाली का अपनायेंगे कि जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके।

*श्री मेवनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प सदन में प्रस्तुत है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। जितना उसका महत्व समझा जाना चाहिये था, वह नहीं समझा जा रहा है। मैं पूर्व वक्ता जिस समय बोल रहे थे उस समय शिक्षा मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं थे। यह मेरा सौभाग्य है कि वे यहां आ गये हैं। जितने भी वक्ताओं ने इस संकल्प के विवाद में भाग लिया उन सबका सारांश यह है कि शिक्षा में ह्रास हो रहा है और उसका निराकरण होना चाहिये। इसके लिये एक समिति गठित होना चाहिये जो अपनी रिपोर्ट सरकार को दे और सरकार से यह आशा की जाती है कि सरकार उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। और एक बात मैं रखना चाहता हूं कि जो जो गैर सरकारी प्रस्ताव यहां आते हैं वह चाहे किसी भी दल की ओर से लाये जायं, सरकार यह सोचती है कि पत नहीं इसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च आने वाला है और वह उसका विरोध करती है। लेकिन इस प्रस्ताव में तो केवल शिक्षा के ह्रास की ओर ही विशेष ध्यान दिया गया है और उसके लिये ऐसे उपाय अपनाये जा सकते हैं कि जिसमें सरकार का अधिक पैसा खर्च होने की संभावना नहीं है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, सरकार को इसके लिये एक समिति गठित करनी चाहिये जिसमें ऐसे सदस्य रखे जायं कि जिनका शिक्षा में रुचि हो और उन की जो राय आये उस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। मेरा अनुमान यह है कि इस सदन के सदस्य ही नहीं, बल्कि आज जनता का साधारण व्यक्ति भी जानता है, समझता है कि शिक्षा में अवनति हो रही है और उसके लिये वह सरकार की ओर देखता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केवलसिंह शिशोदिया]

यह भी कहा गया है कि हमारी प्राइमरी शिक्षा में ह्रास हो रहा है। शिक्षा के कई रूप हैं। प्राइमरी, सेकेन्डरी, हायर सेकेन्डरी, डिग्री कालेजेज की और यूनिवर्सिटी शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं, लेकिन सब की जड़ प्राइमरी शिक्षा है और इसमें किसी को इन्कार नहीं है कि प्राइमरी शिक्षा में काफी ह्रास हुआ है और इसको ऊपर उठाने के लिये सरकार को ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। आज प्राइमरी शिक्षा का टीचर सौ रुपये पाता है लेकिन फिर भी उसमें उन्नति नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि उस पर तीन सवारों की होड़ है। पहले तो शिक्षा विभाग के कर्मचारी उसका निरीक्षण करते हैं, दूसरे जिला परिषद् को भी उसमें काफी अधिकार प्राप्त हैं और वह जिला परिषद् के अधिकार शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नहीं आते हैं। तीसरी समस्या जो नयी पैदा हो गयी है वह यह कि जब से ब्लाकों का निर्माण हुआ है इस प्राइमरी शिक्षा को ब्लाकों के अन्तर्गत दे दिया गया है, तब से शिक्षा में ह्रास बहुत ज्यादा हो गया है। प्राइमरी स्कूल का अध्यापक समझता है कि जिला परिषद् ने नियुक्ति कर दी, लेकिन चेयरमैन या शिक्षा के उच्च कर्मचारियों से उसका संबंध नहीं है उसका सीधा सीधा संबंध ब्लाक प्रमुख या बी० डी० ओ० से हो गया है। एस० डी० आई० का कोई नियंत्रण नहीं रहा है और अगर वह किसी अध्यापक के खिलाफ रिपोर्ट करे तो कोई सुनवाई नहीं होती और इसी का कारण है कि प्राइमरी स्कूलों में अव्वल तो जितने अध्यापक होने चाहिये उतने नहीं दिये जाते और अगर होते भी हैं तो वह पूरे नहीं रहते हैं। अगर ४ हैं तो दो अध्यापक मिलते हैं। और दो अध्यापकों की छुट्टी की दरख्वास्त पड़ी रहती है। अगर कोई उच्च अधिकारी आया तो पेश कर दी जाती है और अगर नहीं आता है तो फाड़ कर फेंक दी जाती है और इसी प्रकार टर्न बाई टर्न वे छुट्टी पर रहते हैं।

दूसरे यह है कि शिक्षा फैलाने के लिये गवर्नमेन्ट को इतना जोश आता है कि एक शिक्षा सप्ताह मनाया जाता है, इस उद्देश्य से कि प्रत्येक बच्चा हमारे स्कूलों के अन्दर आ जाना चाहिये। भर्ती इतनी हो जाती है कि जिस स्कूल की क्षमता सौ विद्यार्थियों की है उसमें सौ के बजाय ४-४ सौ बच्चे हो जाते हैं लेकिन उनके थामने के लिये ३-४ अध्यापक दिये जाते हैं। मैं अपमान नहीं करता, लेकिन अगर ४०० पशु भी ४ अध्यापकों को दे दिये जायं तो वह ४ आदमी उनको घेर भी नहीं सकते हैं। यह संभव है कि डिग्री कालेज का लेक्चरर सौ लड़कों को देख सकता है, क्योंकि वह उनकी कापी नहीं जांचता, केवल उसकी आवाज सुनी जानी चाहिये सब के द्वारा। लेकिन प्राइमरी स्कूलों के अन्दर एक एक बच्चे पर अलग-अलग शिक्षक को ध्यान देना पड़ता है। वहां तो किसी हालत में ३० से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होने चाहिये।

तीसरी बात यह है कि पहले प्राचीन काल में मिडिल पास अध्यापक होता था, वह प्राइमरी स्कूलों में गणित में, हिन्दी में, लिखने पढ़ने की बहुत काफी प्रैक्टिस कराता था। आजकल इसका रूप बदल गया, अंग्रेजी पढ़े लिखे नौजवान स्कूलों में घुस गये। जब से वह घुसे हैं, चाहे हाई स्कूल पास हो या इंटर पास हो तब से ह्रास और भी हो गया। जहां पहले टूटा बूढ़ा भी नहीं रहता था, अध्यापक खाट या चौकी पर बैठते थे, आज प्रत्येक शिक्षक पैंट पहिन कर जाता है और वह वहां इस तरह बैठना तौहीन समझता है। लड़का यदि कलम से लिखता है स्लेट या तख्ती पर तो वह कलम पकड़ कर लिखा भी नहीं सकता कि कहीं कपड़े मैले न हो जायं। प्राचीन काल में कलम पकड़ कर अध्यापक प्रैक्टिस कराते थे। तो तीसरा ह्रास यह रहा कि पढ़ाने वाले की रुचि नहीं रही। चौथी बात यह है कि योग्यता भी नहीं रही। अधिष्ठाता महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि पी० टी० सी० का सिलेक्शन हुआ, मुझे जाना पड़ा और जितने अध्यापक छात्र आये उनको नहीं मालूम था कि क्विंटल कितना होता है और एक किलोग्राम और सेर में क्या अनुपात है। एक भी विद्यार्थी नहीं बता सका कि किलोग्राम और सेर में क्या अन्तर है। जो भी पुराने गणित के शिक्षक हैं वे स्वयं भी इन नये बांटों के हिसाब-किताब को नहीं जानते तो वह पढ़ा क्या सकते हैं। मैं खुद भी इन नये पैसों और नये बांटों को ठीक-ठीक नहीं समझ

पाता। तो इन नये बाटों के कारण भी विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है और इससे भी शिक्षा का ह्रास हो रहा है।

पहले श्रीमन्, एच० टी० सी० की ट्रेनिंग दो वर्ष की होती थी, अब एक वर्ष की कर दी गयी है। इससे भी अच्छे शिक्षकों का अभाव हो रहा है।

प्राइमरी शिक्षा के बाद जूनियर शिक्षा आती है। जब प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी २० तक का पहाड़ा सीख कर नहीं जाता तो जूनियर हाई स्कूल में जब उसे मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है तो उसके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे तैसे उसको दर्जा चढ़ा दिया जाता है। इससे भी शिक्षा का ह्रास हो रहा है।

(लाल बत्ती होने पर)

आपने श्रीमन्, लाल बत्ती दिखा दी। अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि एक समिति का गठन किया जाय जो शिक्षा में होने वाले ह्रास के कारणों का पता लगाये और अपनी रिपोर्ट सदन को दे।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन को जो इस हाउस में पेश हुआ है, सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। शिक्षा के बारे में मुझे २० साल देखते हुए हो गये। आज हमको आजाद हुए, हमको आजादी मिले करीब २० साल हो जायेंगे, लेकिन शिक्षा का आज भी वही ढांचा है, पढ़ाने का वही तरीका है, जो ब्रिटिश काल में था। गांधी जी कहा करते थे कि बेसिक एजूकेशन पर ध्यान दो। उन्होंने बेसिक एजूकेशन पर बहुत बल दिया। किन्तु धीरे-धीरे एजूकेशननिस्ट और पालीटीशियन्स में होड़ हो गई और नतीजा यह हुआ कि उन दोनों की लड़ाई में पालीटीशियन्स जीत गये, वे ज्यादा हो गये और एजूकेशनिस्ट हार गये वे कम हो गये। पालीटीशियन्स ने कहा कि बेसिक एजूकेशन शहरों में होनी चाहिये। गांधी जी ने कहा था कि बेसिक एजूकेशन देहातों में दीजिये और ऐसी शिक्षा उनको दीजिये जो उनके काम आये। अब क्या हुआ। हमारी एजूकेशन बिलकुल ब्रिटिश पैटर्न पर चल रही है। है किसी ने सोचा नहीं। हमारी राधा कृष्णन कमेटी जो इन्टर और हाई स्कूल बोर्ड के किताबों के कोर्स को देखने के लिये बैठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, मगर हमारे खयाल से वह मेम्बरों को नहीं मिली है। वह रिपोर्ट हम मैम्बरों को भी मिल जानी चाहिये। उसमें यह अनुमान किया जा सके कि व्हट इज दि नेशनल थिन्किंग। फिर यह कमेटी कायम हो जाय।

देहातों में प्राइमरी एजूकेशन का स्ट्रक्चर बिलकुल गलत है। इस काम्पेरिजन करने में मैं समय चाहता हूं। हमारे मंत्री यह न कहें कि ग्राइस क्या कह रहा है। इस संबंध में मैं अपने विचार रख रहा हूं। क्रिश्चियन स्कूल जितने हैं देहातों और शहरों में, मंत्री जी कह दें कि एक स्कूल में डिस्प्लिन नहीं है या फेल हो गये हैं। इसका कारण यह है कि हमारे स्कूलों में पालिटिक्स नहीं आयी है। हमारे स्कूलों में तनख्वाह नहीं काटी जाती है। नेशनल कैरेक्टर दूसरी चीज थी। नान-क्रिश्चियन स्कूल्स में क्या है। दस्तखत सौ रुपये की तनख्वाह पर करवाते हैं पर उनको तनख्वाह के मिलते सिर्फ ६० रुपये हैं। जो टीचर्स हमारे स्कूलों में आते हैं वहां से वे बदलते हैं। हमारे यहां यह नहीं हुआ है। उसका नतीजा क्या है? ऐसे टीचर्स को उस कटी हुई तनख्वाह को ट्यूशन्स के जरिये पैसे कमाकर पूरा करना पड़ता है। मैं गोरखपुर हास्पिटल देखने के लिये गया था। मने वहां देखा कि शिक्षा में क्या हो रहा है। वहां इतना इन्टरफियरेन्स है टीचर्स के साथ और फिर एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के डी० आई०

[श्री ए० सी० ग्राइस]

ओ० एस० के साथ भी इन्टरफियरेन्स है। कोई अगर कहता है कि यह टीचर हटा देना चाहिये और डी० आई० ओ० एस० कहता है कि नहीं हटेगा तो वह फिर कहता है कि हम तुमको हटा देगा। यह पालिटिक्स हमारे स्कूलों में नहीं आयी है। एजूकेशन और पालिटिक्स डिवाइड कर देना चाहिये। प्राईमरी एजूकेशन खराब है और वही इनडिसिप्लिन अब कालेजों में भी हो गयी है।

हमारे साथी अभी कह रहे थे कि इंगलिश हटा दी जाय पर मैं कहता हूं कि एजूकेशन का रिकान्स्ट्रक्शन हो जाना चाहिये। फ्राम क्लास वन टू फोर बेसिक एजूकेशन, टु बी टाट राईटिंग, रीडिंग एन्ड अरिथमैटिक। फ्राम वन टु एट्थ ओनली एजुकेशन एन्ड आफटर एट्थ उसका आपटीट्यूड टेस्ट होना चाहिये कि वह लड़का या लड़की आगे पढ़ने काबिल भी है या नहीं। आप हाई स्कूल के रिजल्ट्स देखें तो उसमें ५४ परसैन्ट फेल्योर्स हैं। यह नेशनल पैसे का वेस्टेज है। जिन लड़कों या लड़कियों का दिमाग नहीं है उनको ही आगे बढ़ा दिया जाता है। हमारा यह सुझाव है कि टीचिंग इन्स्टीट्यूटस में प्रैक्टीकल आप्टीट्यूड भी देखा जाय। ए टीचर शुड लर्न द साईन्टिफिक वे आफ दि एसेसिंग आफ दि माईन्ड आफ दि स्टुडेन्ट। टीचर कहेगा कि लड़का पढ़ नहीं सकता है तो क्या फायदा है कि वह हाई स्कूल करे और फेल हो। १४ साल की उम्र तक बच्चा कम्पलसरी एजूकेशन पढ़ ले। राधाकृष्णन कमेटी नेयह सुझाव दिया था कि प्राइमरी एजूकेशन के और सैलेक्टेड स्कूल्स हों ताकि जो बच्चे फीस दे सकते हैं उन्हें सैलेक्टेड स्कूल्स में भेजा जाय और ऐसे स्कूलों को ग्रान्ट कम दी जाय। उनसे जो रुपया बचे वह दूसरे किस्म के स्कूलों को दे दिया जाय। ८ से १० तक के क्लास को एग्रीकल्चर जूनियर हाई स्कूल कर दिया जाय। देहातों की तरफ एग्रीकल्चर की शिक्षा ज्यादा होनी चाहिये। एग्रीकल्चरल स्कूल आन दि पैटर्न आफ आई० टी० आई० खोले जावें। टैक्नीकैलीटीज आफ एग्रीकल्चर सिखाना जरूरी है। १०वें क्लास के बाद फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होकर बाईफर्केशन होना चाहिये। जो साइन्स के लायक हो वह साइंस में जाय, जो आर्ट्स के लायक हो वह आर्ट्स में जाय। इस वक्त हमारे साइन्स के क्लासेज इतने फुल हैं कि टीचरों की कमी है, कहीं ६०, ६० और ७०, ७० बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं। कुछ भी पढ़ाई इस तरह से नहीं हो सकती और नतीजा है इंडिस्पिलिन। फ्रीडम आफ थाट्स ऐक्शन, यह सब तो पालिटिक्स है। उसे छोड़ दिया जाय। मेरे एक दोस्त का लड़का है, वह बहुत सोच रहा था कि अपने लड़के को इंजीनियरिंग पढ़ाऊं। वह उसे इलाहाबाद ले गये। वहां कहा गया कि यह इंजीनियरिंग नहीं सीख सकता है, शिक्षा में डालो तो यह फर्स्ट क्लास हो जायगा। आज वह नैचुरल बार्न टीचर है। इस समय हमारा एजूकेशन का पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है।

ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की जितनी जरूरत है वह उससे बहुत कम हैं। जो टीचर्स के लिये आ रहे हैं उनका भी एप्टीट्यूड टैस्ट हो जाय क्योंकि ज्यादातर दूसरी नौकरी न मिलने से लोग शिक्षा में आते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटस को बैटर ग्रान्ट्स, बैटर बिल्डिन्ग और बैटर इक्विपमेन्ट्स देना चाहिये। कोई एजूकेशन भी कम्पलीट नहीं अनलैस यू हैव दी बेसिक आर्ट। साइंस भी विदाउट आर्ट्स वैसे हैं जैसे कि सोल इज डैड। थैन्क यू।

*श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत संकल्प के बारे में मेरा खयाल है कि दो राय नहीं हो सकती। यह हमारे प्रदेश और देश का दुर्भाग्य है कि हम अपनी आने वाली संतान को वह शिक्षा दे रहे हैं जिसकी निन्दा राष्ट्रपति से लेकर एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक तक करता है। लेकिन विडम्बना देखिये कि यह देश का दुर्भाग्य है कि वही सड़ी गली शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं। आप सोचिये कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। शिक्षा बनाती है आगे आने वाले नागरिकों को। आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहते हैं कि समाजवाद आना चाहिये। लेकिन हमारे यहां दो तरह के स्कूल हैं। एक तो वे जिन्हें इंगलिश स्कूल कहते हैं और जहां बड़े अफसरों के या पूंजीपतियों के बच्चे जाते हैं। दूसरे वे स्कूल हैं जहां गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं। इंगलिश स्कूलों में एक, एक बच्चे पर २००, २५० रुपया माहवार खर्च होता है जब कि मामूली स्कूलों में एक बच्चे पर केवल १०, २० रुपये खर्च होते हैं। आई० सी० एस०, पी० सी एस० में ज्यादातर वही लड़के आते हैं जो अफसरों के या पूंजीपतियों के होते हैं। नर्सरी स्कूल यूरोप के देशों में कारखाने के मजदूरों के लिये खोले गये थे लेकिन यहां नर्सरी स्कूलों में वही अफसरों के बच्चे या पूंजीपतियों के बच्चे जाते हैं। इस समय सरकार की कोई शिक्षा नीति नहीं है। शिक्षा नीति का होना बहुत आवश्यक है। अगर केन्द्र के या प्रदेश के शिक्षा मंत्री से पूछा जाय तो वह यही कहेंगे कि कोई नीति है ही नहीं। अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो एक सी शिक्षा सब बच्चों को दीजिये। शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। एक बच्चे पर २५० रुपये और दूसरे पर १०, २० रुपये शिक्षा पर खर्च होने से बड़ा वैषम्य रहता है और इस प्रकार समाजवाद कभी नहीं आ सकता। भले ही आप चुनाव पत्रों में इसकी घोषणा करते रहें। समाजवाद केवल आर्थिक व्यवस्था बदलना ही नहीं है। सामाजिक व्यवस्थ भी साथ-साथ बदलनी बहुत आवश्यक है। शिक्षा को समाजवाद का स्वरूप देना बहुत जरूरी है और उसके लिये एक कमेटी बैठाना भी बहुत आवश्यक है।

अभी बी० टी० सी० की ट्रेनिंग की बात कही गयी। मैं पूछता हूं कि जो अध्यापक इस ट्रेनिंग को पाता है, वह उसका लाभ किस स्कूल में जाकर उठाता है। वह उसी प्रकार से जाकर रटवाता है जिस प्रकार से पहले रटवाता था। मेरे विचार में इन अध्यापकों की ट्रेनिंग में २ साल लगाना पैसे का दुरुपयोग है। एक साल ही उसके लिये बहुत काफी है। उसका कोई लम्बा चौड़ा कोर्स भी नहीं है। ३,४ महीने उसके लिये काफी हैं। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उसने इसका कोर्स १साल का कर दिया है।

(इस समय २ बजकर ३१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

इस प्रस्ताव के बारे में सरकार यह न समझे कि यह एक असरकारी प्रस्ताव है इसलिये इसको पास नहीं करना चाहिये। सरकार को स्वयं ही एक समिति की स्थापना करनी चाहिये जो सारी शिक्षा को देखें। यह ठीक है कि जिला परिषदों को महापालिकाओं के अधिकार दे दिये हैं लेकिन प्राइमरी शिक्षा की हालत जिला परिषदों के हाथ में जाकर बहुत खराब हो रही है। जिला परिषदों से उसको ले लेना चाहिये। इसके बारे में आयोग को अपनी राय देनी चाहिये। जिला परिषदें आजकल राजनीतिक दलबन्दी के अड्डे बने हुए हैं। जो अध्यापक अध्यक्ष की हां में हां मिलाता है उसको चाहे वह कुछ भी पढ़ाता न हो उसके घर के पास रहने दिया जाता है और जो अध्यापक चाहे जितना अच्छा पढ़ाने वाला हो लेकिन अगर अध्यक्ष को खुश वह नहीं रख सकता है तो उसको घर से ब सों मील दूर डाल दिया जाता है। प्राइमरी शिक्षा जिला परिषदों के हाथों में रहे अथवा न रहे, यह एक बुनियादी प्रश्न है। इसके कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है, अध्यापकों का स्तर गिर रहा है, अध्यापकों का मोरेल गिर रहा है, अध्यापक घबराये हुए हैं। हमारे यहां प्रत्येक अध्यापक के लिये यह आवश्यक कर दिया गया कि वह गुप्ता जी के फन्ड में १० रुपया दे। जहां जिला परिषद् का खजान्ची तनख्वाह दे रहा था वहीं ड्रिल मास्टर बैठ गया और वसूली होने लगी। मैंने कहा कि इस काम के लिये अगर जिला परिषदों का उपयोग न किया जाय तो अच्छा है। यह मैं मानता हूं कि गुप्ता जी योग्य आदमी हैं, महान व्यक्ति हैं और जैसा कि बहुत से कांग्रेसी समझते हैं और कहते हैं कि वे इस रुपये का दुरुपयोग करेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता फिर भी जिला परिषदों को इसके लिये उपयोग किया जाय, इस पर मैंने आपत्ति की। लेकिन अध्यापकों ने कहा कि अगर हम ऐसा न करें तो दूर फेंक दिये जायेंगे। जिस अध्यापक का मनोबल इतना गिरा हुआ है, जो केवल अध्यक्ष को खुश करने के लिये काम करता है भला उससे देश और प्रदेश का भला किस प्रकार से हो सकता है।

[श्री सत्यनारायण पांडेय]

जब हमारी प्राइमरी शिक्षा ऐसे लोगों के द्वारा दी जा रही है जिनमें न आत्मबल है और न मनोबल है तो आप ही समझ सकते हैं कि हमारी शिक्षा का क्या हाल होगा। मैंने अध्यापकों से कहा कि तुमने तो आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है क्यों नहीं अपनी आवाज उठाते हो तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा दूर ट्रांसफर कर दिया जायगा तो मैंने कहा कि घर में रहने के कारण ही आप पर १० रुपया लगा है। तो ऐसी परिस्थितियों की ओर आपको ध्यान देना चाहिये।

जहां तक सह शिक्षा का प्रश्न है, मैंने सदन में कहा है कि हमारी प्राइमरी शिक्षा तो सहशिक्षा हो सकती है क्योंकि एक लड़के के स्कूल में एक गांव में ४५—५० लड़के होते हैं और उनके लिये लगभग ३ मास्टर रखे जाते हैं। उसी गांव में यदि बालिकाओं का स्कूल होता है तो उसमें मुश्किल से १०—१२ बालिकायें होती हैं और उनके लिये भी एक अध्यापिका रखनी पड़ती है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में दोनों स्कूलों को मिलाकर एक प्राइमरी स्कूल हो जाना चाहिये जिसमें बालक और बालिकायें दोनों साथ-साथ पढ़ सकें। सहशिक्षा के लिये मुझे प्राइमरी कक्षाओं तक तो कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं जूनियर हाई स्कूल में सह शिक्षा का पक्षपाती नहीं हूं। इससे हमारे प्रदेश का धन भी बच सकता है और पढ़ाई का स्तर भी अच्छा हो सकता है।

प्रस्ताव में स्पष्ट दिया हुआ है कि प्रदेश में प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये एक कमेटी का निर्माण हो। आज स्तर का जहां तक सम्बन्ध है मैं तो यह कहूंगा कि अगर आप किसी ग्रेजुएट से प्रार्थना पत्र लिखने क कहें तो वह उसे नहीं लिख सकता है। आज प्रयाग विश्वविद्यालय को ले लीजिये कि वहां पर प्रोफेसर किस स्तर के हुआ करते थे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वे लोग अपने विषय के विशेषज्ञ होते थे लेकिन आज वहां क्या होता है। कोई भी विश्वविद्यालय ले लीजिये चाहे वह लखनऊ हो, या प्रयाग हो सब पार्टीबाजी के अड्डे हैं। मैं अपनी बात नहीं करता हूं हम तो राजनीति में हैं ही लेकिन वे जाति पांति की राजनीति करते हैं। वहां पर पी० एच० डी० और एम० ए० तक पढ़े हुये विद्वान प्रोफेसर हैं इकट्ठे होते हैं। लेकिन वे भी दलबन्दी करते हैं जाति पांति की। हमें इन सब को रोकना पड़ेगा। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रदेश की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये एक आयोग की नियुक्ति करें जो प्रदेश की आवश्यकताओं को देखे, आप तो कह देंगे कि शिक्षा आयोग एक केन्द्रीय स्तर पर है, उनकी सिफारिशों के अनुसार हम आचरण कर सकते हैं लेकिन हमारे प्रदेश की समस्यायें कुछ और हैं, उनको विचार में रख कर हम को अपने प्रदेश के लिये एक आयोग बनाना चाहिये जो शिक्षा के बारे में, प्राइमरी शिक्षा के बारे में, जूनियर और हाई स्कूल और विश्वविद्यालय की शिक्षा की सारी आवश्यकताओं के बारे में एक अच्छी समन्वित नीति निर्धारण करके उस पर प्रदेश की शिक्षा को चलाये और फिर आने वाले १० वर्षों में जो हमारी शिक्षा बदलेगी तो हमारे बच्चों के अनुशासन और विद्या अध्ययन पर असर पड़ेगा और उनकी उन्नति होगी।

यहां पर कहा जाता है कि लड़कों में बड़ी अनुशासनहीनता है। वे ट्रेनों में फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। मैंने प्रतापगढ़ में ही देखा है कि बच्चे १०,१० मील से पढ़ने आते हैं तो क्यों नहीं आप उन बच्चों को फ्री टिकट कर देते हैं जो १ से १० मील के अन्दर से आते हैं। ऐसा करके आप सारी चीजें रोक सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को यह समझकर अस्वीकार न करें कि यह विरोधी पक्ष की ओर से आया हुआ है। हम आपको कोई निर्देश नहीं देते हैं, हम तो केवल प्रार्थना करते हैं कि आप अपने विशेषज्ञों की, एक्सपर्ट्स की एक समिति बनायें तो इस प्रदेश की शिक्षा को बना सके। तभी हमारे देश और प्रदेश की उन्नति हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस विषय को समाप्त किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मालूम होता है कि उनका कोई प्रस्ताव है इसीलिये वह परेशान है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बाद ले लिया जायगा।

*श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं क्योंकि आज देश और प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, विद्यार्थियों के अन्दर अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और आज का नवयुवक सब प्रकार से अपनी नैतिकता से नीचे उतरता चला जा रहा है जिसका परिणाम चारों ओर भ्रष्टाचार के रूप में दिखाई देता है। ऐसे समय में यह प्रस्ताव कि एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जाय जो विचार करे कि क्या कारण है जिनकी वजह से शिक्षा का स्तर गिर रहा है, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। मान्यवर, दुनिया के किसी भी देश में जब भी इस प्रकार की समस्या आयी है तो उस देश के मनीषियों ने, राजनीतिज्ञों ने समिति नियुक्त करके इस बात पर विचार किया है कि किस तरह से शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाय। मैं समझता हूं कि आज की हालत में यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिये, लोकतंत्र को इस देश में सफल बनाने के लिये इस प्रकार का निर्णय प्रदेश की समिति ले कि किन किन बातों का सुधार कर के शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जा सकता है। सबसे प्रारम्भिक जो बात हमारे प्रदेश में है उस पर विचार करना आवश्यक है कि हमारे यहां की प्रारम्भिक शिक्षा कैसी होनी चाहिये, उसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा तथा सब प्रकार की शिक्षा में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात पर विचार करें कि आज हमारा प्रदेश शिक्षा की दृष्टि से कहां चला जा रहा है, अपने बजट का कितना अंश शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। इसके लिये एक समिति अवश्य बनायी जाय। प्रारम्भिक शिक्षा में जो गिरावट हो रही है मैं सर्व प्रथम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब से स्थानीय निकायों और जिला परिषदों को प्रारम्भिक शिक्षा का कार्य सौंपा गया है तब से प्रदेश में निरन्तर दलबन्दी और राजनीति शिक्षा के क्षेत्र में घुसती जा रही है। मेरा अपना अनुभव है कि प्रारम्भिक शिक्षा में यह जो अध्यापक हैं वह खुद ही अनैतिकता का एक स्वरूप बन गया है। राजनीतिक लोग उनको हर प्रकार से अनैतिक बनाने के लिये जिम्मेदार हैं। जो गुरू है उसका ही स्तर नीचे गिर रहा है, तो विद्यार्थियों का स्तर कैसे ऊंचा हो सकता है। जिला परिषद के अध्यक्ष जब भी अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं, जिला परिषदों में जब ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड टीचर्स नियुक्त होते हैं तो सदा अच्छे लोगों की उपेक्षा कर के सिपारिशों के आधार पर ऐसे अध्यापक रख लिये जाते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से सबन्ध कम रहता है, उनका राजनीति से ज्यादा सम्बन्ध रहता है। अपना अधिकांश समय वे राजनीति में बिताते हैं और कुछ समय तक अपने विद्यालयों में जाकर रुके हुये विद्यार्थियों को जो कुछ भी पढ़ाना होता है वे पढ़ा देते हैं। आज का विद्यार्थी जिस प्रकार की शिक्षा लेकर आ रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी जिला परिषदों के ऊपर है। तो मेरा सुझाव है कि आप एक समिति नियुक्त करें जो इस बात पर विचार करे कि जिला परिषदों और स्थानीय निकायों के पास जो प्राइमरी एजूकेशन है, उस दलदल से किस तरह से उसको निकाल कर एक ऊंचे स्तर पर लाया जा सकता है। इस सरस्वती के प्रांगण में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का नंगा नृत्य हो रहा है, उससे इस देश का जीवन स्तर कभी ऊंचा नहीं होगा और इस देश में नैतिकता नहीं आयेगी।

---

*वक्ता वे भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ राव]

इसी प्रकार से अगर हम माध्यमिक शिक्षा को लें तो वहां अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर अध्यापकों और प्रबन्धकों में संघर्ष है, अध्यापकों और बच्चों में संघर्ष है, और उसका परिणाम यह देखने को मिलता है कि किसी किसी विद्यालय में ८-८ और १५-१५ महीने तक के वेतन अध्यापकों को नहीं दिये गये हैं। कहीं कहीं माध्यमिक विद्यालयों में दो-दो और तीन-तीन समितियां काम कर रही हैं? इसका परिणाम यह है कि जो स्कूल, कालेज स्थापित करते हैं उन्होंने एक प्रकार से उसको अपनी जीविका का साधन बना लिया है। ऐसे स्कूल कालेजों से जो विद्यार्थी निकलते हैं वे इस प्रकार की दूषित मनोवृत्ति को लेकर निकलते हैं कि जीवन के जिस क्षेत्र में भी वे जायं, चाहे राजनीतिक में जायं, चाहे नौकरी में रहे, चाहे प्रशासन के काम में रहें, वे उस नीचे स्तर से उठ कर कभी भी ऊंचे स्तर पर विचार नहीं कर सकते हैं। उनके जीवन की भूमिका में जो एक मनोवृत्ति बन जाती है उसी के अनुसार वे सारे जीवन में व्यवहार करते हैं। चारों तरफ जो यह कहा जाता है कि लोगों में आज भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, इस भ्रष्टाचार की जड़ प्रारम्भ में वे आचार्यगण ही हैं जिनके यहां से शिक्षा पाकर वे निकलते हैं। उसके मूल में इन राजनीतिज्ञों की चाल है जो इन अध्यापकों के और विद्यार्थियों के नैतिक स्तर को गिराने के लिये अपने स्वार्थ साधन के लिये अपने बीच में उनको लाते हैं। आज के नैतिक स्तर को नीचे गिराने में हमारी शिक्षा प्रणाली का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो भविष्य के हमारे राष्ट्र के कर्णधार हैं, उनकी मनोवृत्ति ऊंची होनी चाहिये। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें ऊंचा उठाने का विचार रखना चाहिये, आज की शिक्षा पद्धति में यह नहीं हो सकता, इसको हमारे राष्ट्रपति से लेकर बड़े-बड़े जो देश के शिक्षाविद् हैं, इस बात को अनुभव करते हैं। चाहे शिक्षा और भाषा के स्तर को लें, चाहे ज्ञान के और स्तर को लें, सब जगह हम असफल हुये हैं, और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में सब जगह एक एक प्रकार से विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासनहीनता है और चारों तरफ वे तोड़फोड़ और अनुशासनहीनता का दृश्य उपस्थित करते हैं।

इसके अलावा अध्यापकों के वेतन क्रम को ही ले लें। जो राजकीय विद्यालय हैं उनके अध्यापकों के वेतन-क्रम तथा प्राइवेट संस्थाओं के जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके अध्यापकों के वेतन क्रम में बहुत बड़ा अन्तर है। साथ ही समान कार्य करने वाले को समान वेतन के आधार पर भी उनको वेतन नहीं मिलता, जो न्याय की बात नहीं है। जो मैं समिति पर जोर दे रहा हूं वह इसलिये ताकि समिति इन सब बातों पर विचार करे कि किस प्रकार से प्राइवेट संस्थाओं के अध्यापकों और राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि अगर यह चीज हो जाय तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में यह सहायक होगा। आज जिस प्रकार की परीक्षा प्रणाली है वह भी काफी दोषपूर्ण है, उसमें भी परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है।

प्राइवेट संस्थायें जो मान्यता प्राप्त हैं उनको अनुदान देने में भी बहुत भ्रष्टाचार की शिकायत है। जो भी विद्यालय अपने अनुदान के लिये प्रयत्न करते हैं, एक प्रकार से वहां नियम सा बन गया है कि निदेशालय के कर्मचारी वर्ग को जब अनुदान का १० प्रतिशत मिल जाता है तभी उनको समय पर अनुदान मिल पाता है तो उनको आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती है, यह शिक्षा के क्षेत्र में ज्वलंत प्रमाण हैं। देखना यह है कि आज हम कहां चले जा रहे हैं? स्वतंत्रता प्राप्त के बाद आज की स्थिति यह है कि मनुष्य का नैतिक स्तर, राजनीतिज्ञों का नैतिक स्तर, शिक्षाविदों का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है। इसका उदाहरण मैं उपस्थित करना चाहता हूं। इसी विधान सभा में हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब से यह कहा गया कि यह मुसलिम लीग के टिकट से जीत कर आये हैं लेकिन कांग्रेस में बैठते हैं तो उन्होंने इस विधान सभा से त्याग पत्र दे दिया और कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और जीतने पर फिर कांग्रेस में आकर बैठे। लेकिन उसके १८, २० साल बाद आज राजनीतिज्ञों में गिरावट इस हद तक आ गयी है कि किसी एक पार्टी की घोषणा पत्र पर चुन कर आते हैं और नैतिकता का बिना चिन्तन किये हुये कभी इधर

और कभी उधर जाकर बैठ जाते हैं। अंग्रेजों के जमाने में भी नैतिकता का स्तर इतना नहीं गिरा था जितना कि आज गिर चुका है और गिरता जा रहा है चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो अथवा शिक्षा का क्षेत्र हो और इसे भुलाया नहीं जा सकता कि जो आगे चलने वाले लोग है, जो समाज का मार्ग दर्शन करने वाले लोग है वे कितने अनैतिक हो गये हैं? इसका परिणाम है कि जन जीवन में आज अनैतिकता ज्यादा बढ़ रही है।

भ्रष्टाचार के जहां और कारण है वहां इस प्रकार की शिक्षा पद्धति से जो लोग निकल रहे है वे भी अनैतिकता को प्रश्रय दे रहे है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह शिक्षा शास्त्रियों की एक हाई पावर कमेटी बनाये जो स्थिति की मीमांसा करके अपना निर्णय दें और प्रदेश के हित में ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करने हेतु अपनी रिपोर्ट दे जिससे लोग नैतिकता को ग्रहण करें, विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता समाप्त हो और शिक्षा का गिरता हुआ स्तर संभल सके और जो शिक्षा के क्षेत्र में गड़बड़ियां हो रही है वे दूर हो सके। अगर शिक्षा का स्तर इसी प्रकार गिरता गया तो देश को हम बचा नहीं सकेंगे। दुर्भाग्य है कि हमारे देश का प्रत्येक आदमी नैतिकता की दुहाई देता है लेकिन स्वयं अनैतिक आचरण करता है और आखिर यह नैतिकता आयेगी कहां से इसके ऊपर विचार करने के लिये किसी को अवसर ही नहीं है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझाव को मान कर शीघ्र ही एक समिति का गठन कर देगी जो शिक्षा पद्धति पर विचार करके शीघ्र अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर देगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

उपाध्यक्ष जी, माननीय राम किशोर त्रिपाठी जी ने जो संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं मैं समर्थन करने के साथ साथ यह विश्वास नहीं करता हूं कि अगर इस संकल्प को सरकार मान भी ले तो जो रिपोर्ट आयेगी उसका कार्यान्वयन वह करेगी। सरकार के ऊपर हमारा यह आक्षेप है कि इस प्रदेश और देश में शिक्षा सम्बन्धी अनेकों मनीषियों की कमेटियों की रिपोर्ट आयीं मगर उनके अनुसार यह सरकार प्राइमरी, जूनियर और उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं हो सकी। जब भारत का संविधान बना तो उसके अनुच्छेद ४५ में यह स्पष्ट निदेश किया गया कि जब संविधान लागू हो जाय तो उसके दस वर्ष के अन्दर ही ६ वर्ष से लेकर १४ वर्ष के जितने बालक, बालिकायें प्रदेश में हों सब की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो जायगी। मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि आखिरकार संविधान का उल्लंघन उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों करती है। जब सरकार ही संविधान का उल्लंघन करती है, जिस संविधान की प्रतिज्ञा करोड़ों नरनारियों के कंठ से दोहराई गयी, उसका जब उत्तर प्रदेश की सरकार ही उल्लंघन करती है, उसके मंत्रिगण करते है तो फिर उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता कैसे उस संविधान का आदर और पालन करेगी। अगर आप प्राइमरी, जूनियर और उच्च शिक्षा की प्रगति को देखें तो संविधान का पालन करने की बात तो दूर रही, इस दिशा में जो प्रगति और प्रदेशों ने की है उसका बहुत ही कम हिस्सा उत्तर प्रदेश की सरकार कर पायी है। यह सरकार की रिपोर्ट मेरे पास है १९६५-६६ का। इसमें ६ वर्ष से लेकर केवल ११ वर्ष तक--संविधान तो १४ वर्ष तक के बच्चों के लिये कहता है, लेकिन ये केवल ११ वर्ष तक के ही बच्चों को शिक्षा देना जरूरी समझते हैं--उत्तर प्रदेश में ६३ फीसदी शिक्षा है जबकि और प्रदेशों में ७८ फीसदी है। बालकों की शिक्षा यहां ८५ फीसदी है जबकि और प्रदेशों में ९५ फीसदी है। बालिकाओं की उत्तर प्रदेश में है ३७.८ और दूसरे प्रदेशों में है ६१ फीसदी, इसी से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने प्रदेश के बालकों के प्रति जो भविष्य में देश के कर्णधार होने वाले हैं अपने कर्त्तव्य का पालन किस प्रकार करती है। यदि हम और प्रदेशों के मुकाबले में यह देखते हैं कि हमारी सरकार प्रत्येक बालक पर कितना रुपया मासिक खर्च करती है तो ऐसा लगता है कि इस सरकार की इच्छा ही नहीं है कि इस प्रदेश में शिक्षा की प्रगति और प्रदेशों के मुकाबले में हो।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

जहां प्राइमरी शिक्षा इतनी गिरी हुई है वहां आप उच्च शिक्षा की हालत देखिये। तमिलनाड और बंगाल में एक हजार की आबादी पर चार लड़के यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं जबकि उत्तर प्रदेश में एक हजार की आबादी पर एक लड़का पढ़ने जाता है। चौगुना फर्क पंजाब और बंगाल, उत्तर प्रदेश का है। मैं जानना चाहता हूं कि जब कांग्रेसी सरकार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक है और वह लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है और समाजवाद की स्थापना करना चाहती है तो उसके दिल में कार्ल मार्क्स का एक शब्द दुहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि यदि देश में लोकतंत्र कायम करना है और समाजवाद को बढ़ाना है तो देश को शिक्षित करना चाहिये। जिस देश के लोग शिक्षित होते हैं उसी देश में लोकतंत्र होता है और समाजवाद की स्थापना होती है। जहां पर पढ़ने वाले लोगों की तादाद कम है वहां लोकतंत्र स्थिर नहीं रह सकता है और न समाजवाद आ सकता है। मैं प्रदेशीय सरकार पर लांछन लगाना चाहता हूं कि यह सरकार न तो लोकतंत्र चाहती है और न समाजवाद ही चाहती है। अगर चाहती तो इसका फर्ज हो जाता कि अन्य प्रदेशों में जितना शिक्षा पर व्यय हो रहा है उसी अनुपात से यहां भी होना चाहिये। लेकिन आजकल गांवों में प्राइमरी स्कूलों की क्या हालत है? संविधान कहता है कि समान कार्य और समान योग्यता के लिये समान वेतन होना चाहिये, यह इस प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में कहां लागू है?

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल तोड़ने के लिये कोशिश की जाती है। आपको जानकारी होगी कि माध्यमिक शिक्षक संघ इस काम में लगा हुआ है कि समान कार्य के लिये और समान योग्यता के लिये समान वेतन होना चाहिये। लेकिन यहां की सरकार इसको मानने के लिये तैयार नहीं है। अगर इसी तरह की विषमता रहेगी और इसी तरह का अलगाव रहेगा तो शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा हो सकेगा। प्राइमरी स्कूलों का परीक्षाफल ९९ प्रतिशत रहता है, जूनियर स्कूलों का ८० रहता है और वही हाई स्कूल और इंटर में ४४ और ४० प्रतिशत रह जाता है। इसका क्या कारण है? इसको ढूंढ़ना पड़ेगा। एक ही बात हो सकती है कि जिस मास्टर को आप रखे हुये हैं उसका पेट भूखा है, उसके तन पर कपड़ा नहीं है, उसके बाल-बच्चों के पढ़ने के लिये साधन नहीं है तो फिर वह मास्टर कैसे पढ़ायेगा और अन्य प्रदेशों से कैसे मुकाबला कर सकेगा?

आप जानते होंगे कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतनक्रम क्या है और केरल में क्या है? जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बंगाल और केरल का स्तर यहां से बहुत ऊंचा है और वहां ज्यादा लोग पढ़ते हैं। इसलिये कि वहां की सरकार शिक्षा को प्रथम स्थान देती है लेकिन यहां सरकार शिक्षा को प्रथम स्थान न देकर पुलिस को और सामान्य प्रशासन को देती है और ठाट के कामों में खर्च करती है।

जहां तक भाषा का सवाल है संविधान में कहा गया है कि जनवरी, सन् ६५ से देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी होगी और विश्वविद्यालय के स्तर तक हिन्दी के माध्यम से पढ़ाई होगी। लेकिन यहां की सरकार ने आज से तीन साल पहले प्राइमरी स्कूलों में हुक्म दिया कि कक्षा तीन तक पढ़ने वाले लड़के भी अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करें। सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि आप हाई स्कूल और इंटरमीडियेट के परीक्षाफल को देखें कि ८० प्रतिशत लड़के सिर्फ अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, वहीं हिन्दी में ९८–९९ प्रतिशत परीक्षा फल होता है। तो कारण क्या है कि सरकार उस भाषा को जबरदस्ती क्यों लादती है, जिससे हमारे विद्यार्थियों का स्तर गिरता है, उनकी एनर्जी और शक्ति नष्ट होती है? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या चीन में, रूस में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई होती है क्योंकि यहां पर विज्ञान का बहाना लिया जाता है? चीन और रूस देशों में वहां की मातृभाषा में पढ़ाई होती है। इसीलिये चीन और रूस आपके मुकाबले में हजार-हजार गुना हर क्षेत्र में आगे बढ़े हुये हैं।

भाषा के सवाल पर आप फैसला करें कि अंग्रेजी उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल में पढ़ाई का माध्यम नहीं होगी। अंग्रेजी केवल उन्हीं को पढ़ाई जाय और वहीं पढ़ाई जाय, जो स्वेच्छा से पढ़ना चाहते हैं और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन हाई स्कूल से अंग्रेजी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिये।

मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय सम्पूर्णानन्द जी जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने भी एक प्राइमरी शिक्षा बेसिक खोज निकाली थी। उत्तर प्रदेश के आप प्राइमरी स्कूलों में जायं, जूनियर स्कूलों में जायं, बेसिक शिक्षा क्या है? उसका मजाक बना रखा है, कोई काम नहीं रह गया है, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं रह गयी है।

अन्त में आप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाषा के सवाल पर सरकार मजाक न करे, इस पर स्पष्ट फैसला करें। उत्तर प्रदेश की मातृभाषा हिन्दी है, हाई स्कूल कक्षा तक अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करें और सनमान्य काम के लिये सामान वेतन का सिद्धान्त माने अन्यथा उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा करने के लिये मजबूर करेगी। जैसे राज्य कर्मचारियों ने झुकने के लिये मजबूर किया है वैसे माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के अध्यापक भी करेंगे। तो सामान्य वेतन का सिद्धान्त लागू करें और ऐसी व्यवस्था करें जिसमें हर आदमी को देश में समान अवसर प्राप्त हो। आप गांवों की हरिजन बस्ती में जाकर देखें वहां पर ५ प्रतिशत और २ प्रतिशत भी आबादी शिक्षा नहीं पाती है। आज स्थिति यह है कि साधन सम्पन्नता जिसके पास है वही पढ़ता लिखता है और गरीब और गिरता जा रहा है। इसलिये गरीबों को ऊंचा उठाने के लिये और उन्हें देश का अच्छा नागरिक बनाने के लिये सरकार साधन सम्पन्नता करें, आर्थिक विषमता अध्यापकों के बीच से खत्म करें। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो शिक्षा का स्तर उत्तरोत्तर गिरता जायगा और उसकी जिम्मेदारी इस सरकार पर होगी और उसके लिये आगे आने वाली पीढ़ी सरकार को कोसेगी।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आज का प्रस्ताव यह है कि प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा का स्तर तथा शिक्षकों की, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की जाय, इस प्रस्ताव में मान्यवर, दो प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। एक तो स्तर को ऊंचा करने की बात की गई है और उसके साथ ही साथ अध्यापकों को जो पुरस्कार मिलता है, उसके सम्बन्ध में कोई उच्च स्तरीय कमेटी बने जो अपनी सिफारिशें जल्द से जल्द सदन को दे—यही आज का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर बोलते समय इस सदन को इस बात से अवगत कराने का प्रयास किया गया है कि हमारी ओर से अभी इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया गया है, और ऐसा जानबूझ कर चूंकि राज्य सरकार का जनतन्त्र में और सम जवाद में विश्वास नहीं किया गया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस दिशा में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई और कोई भी अविकसित समाज यह दावा करे कि वह चन्द वर्षों के प्रयासों में अपने पुनीत लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा तो वह दावा झूठ सिद्ध होगा। किसी समिति बनाने की अपेक्षा यदि इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे जिससे हम इस प्रदेश की सेवा में लगे हुए लोगों का पुरस्कार बढ़ा सकें, यदि माननीय सदस्यों ने इस पर विचार व्यक्त किया होता तो इस विषय के साथ अधिक न्याय किया होता। स्वयं माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया कि आज ६३ प्रतिशत साक्षरता है। कोई जमाना था जब हम दासता के युग में थे आपने इसी सदन में सुना था कि १०—१५ प्रतिशत साक्षरता थी। मैं भी मानता हूं कि सूर और तुलसी के इस प्रदेश में यदि अज्ञानता का अंधकार छाया रहे तो वह शोभा की बात नहीं है लेकिन क्या यह सही नहीं है कि पिछले वर्षों में स्कूलों में, छात्रों की संख्या में और साक्षरता में वृद्धि हुई है। जितना बढ़ना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

चाहिए उस लक्ष्य तक हम निश्चय ही नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन उस तक पहुंचने में जो हमारी कठिनाइयां हैं उनके बारे में अनेकानेक अवसरों पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया है। पहली योजना हो चाहे दूसरी योजना साक्षरता के या शिक्षा की प्रगति के क्षेत्र में अन्य प्रदेश से तुलना करते हैं तो साथ ही साथ उन कारणों को नहीं भूल जाना चाहिए कि इस प्रदेश में योजना के चलते प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया गया है।

मैं माननीय वर्तमान शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि अभी दो दिन पहले उन्होंने यह घोषणा की है कि विज्ञान के अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित अध्यापकों के समान वेतन दिया जायगा। कुछ समय पूर्व उन्होंने यह भी फैसला किया था कि टेन्थ क्लास तक कन्याओं की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था हो, अनुशासन के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की शिक्षा को आगे ले जाने में दिन रात उनको चिन्ता बनी रहती है कि शिक्षा जगत की कठिनाइयों को समाप्त करके इस प्रदेश को प्राचीन गौरव दिला सकें लेकिन इस पुनीत लक्ष्य में जब तक सभी माननीय सदस्यों का सहयोग उन्हें प्राप्त नहीं होगा मैं ऐसा समझता हूं कि हम शिक्षा में वांछित सफलता को शीघ्र नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि जहां तक तनख्वाहों का सवाल है इस प्रदेश की दौलत बढ़े तो हम पुरस्कार बढ़ावें। एक मौके पर विनोबा जी ने कहा था कि हम लोग तनख्वाहों के सम्बन्ध में ऐसा समझते हैं कि वह जो कुछ हम समाज की सेवा करते हैं ठीक उसका पुरस्कार मिलना चाहिए। उनका ऐसा कथन था कि तालाब में डूबते हुए बालक को यदि किसी ने बचा लिया तो उसके बदले में उसको १० रुपए का पुरस्कार समाज देगा तो यह १० रुपए उस बालक के जीवन के बराबर कदापि नहीं हो सकते। समाज अपनी सामर्थ्य के अनुरूप जो भी सामाजिक सेवायें होती हैं उनके बदले में पुरस्कार दिया करता है। बहस यह होनी चाहिए थी कि आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है। उस आर्थिक स्थिति को सामने रखते हुए हम जो कुछ अध्यापकों की सेवायें कर रहे हैं वह काफी हैं या नहीं? क्या यह सही नहीं है कि कुछ वर्ष पहले ३३ रुपया प्राइमरी शिक्षा के अध्यापक को दिया जाता था किन्तु मौजूदा शिक्षा मन्त्री के जमाने में वह १०० रुपया हो गया। शिक्षा मन्त्री जी इस बात को जानते हैं कि पिछले वर्ष बी० टी० सी० के लिए १ हजार लड़के आए होंगे। मुझे सही मालूम नहीं है लेकिन अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ने के बाद, प्राइमरी स्कूलों में १०० रुपया तनख्वाह होने के बाद पिछले साल उनकी संख्या दस गुनी हो गई है। दस गुना दरख्वास्त मन्त्री जी के यहां पड़ी हुई हैं जो बी० टी० सी० में जाना चाहते हैं। आज हर हाई स्कूल पास बी० टी० सी० में जाना चाहता है। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रान्ति का प्रयास चल रहा है उस प्रयास को देखने के लिए आपकी रचनात्मक दृष्टि होनी चाहिए।

आज हम अपने प्रदेश में अनुशासन की बड़ी चर्चा करते हैं। क्या यह सही नहीं है कि जिस तरह से अभी इस सदन के सामने हमारे पूर्व वक्ता ने अप्रत्यक्ष रूप से यह धमकी दी कि सरकारी कर्मचारियों की तरह माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यापक भी अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे? मैं उसे उचित नहीं मानता हूं। मैं मान्यवर, आप से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। असली समस्या का हल उत्पादन है। उस उत्पादन के लिए इस प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था रहना अनिवार्य है। यदि हम और आप मिलकर इस प्रदेश में शान्ति का वातावरण रखेंगे और हमारा दृष्टिकोण हमेशा नकारात्मक होगा, रचनात्मक नहीं होगा, तो इस उद्देश्य की पूर्ति हम नहीं कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यापक भी हमारे हैं। हमारी कठिनाइयां उनको मालूम हैं तथा उनको कठिनाइयों का भी साथ ही साथ हमको ज्ञान है। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि कोई उनको ऐसी कठिनाई होगी जिस कठिनाई को शिक्षा मन्त्री जी अपनी वित्तीय सीमा के भीतर दूर करने की सामर्थ्य रखते होंगे तो उसके लिए पांडेय जी या किसी माननीय सदस्य को उकसाने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक छात्रों के अनुशासन की बात कही जाती है, आपने भी स्वयं देखा होगा कि जब यहां पर सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल हो रही थी तो उस इम्पलाइज के हड़ताल के दिनों में विद्यार्थियों को भड़काने को भी कुछ लोग पहुंच गए। मैंने सुना है कि एक माननीय सदस्य ने वहां भाषण दिया कि छात्रों, अमुक मुल्क में विद्यार्थियों ने वहां की सरकार को बदल दिया है। तुम भी उठो और इन्कलाब करो और इस प्रदेश की सरकार को बदलने का प्रयास करो। तो इस तरह से अशान्ति फैलाने के लिए भाषण दिए जाते हैं दूसरी तरफ इस तरह का प्रस्ताव रखा जाता है और आग्रह किया जाता है कि शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए अध्यापकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उच्चस्तरीय समिति का निर्माण किया जाय। आज से पहले कई समितियां बन चुकी हैं। उनमें साधारण लोगों ने कार्य नहीं किया है। सम्माननीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। इसके पूर्व उच्च शिक्षा के लिए डाक्टर राधाकृष्णन जैसे शिक्षा शास्त्री की अध्यक्षता में एक कमेटी निर्मित हो चुकी थी और हमारी सरकार उसकी सारी सिफारिशों से अवगत है। उन सिफारिशों को यदि माननीय सदस्य देखेंगे तो उन के रहते किसी नयी समिति के निर्माण की आवश्यकता उन को प्रतीत नहीं होगी। हां, यदि ऐसी मंशा है कि कोई नयी समिति बने और उसमें इधर के और उधर के लोग, जो बेरोजगार हैं या ऐसे लोग जिनको कुछ काम चाहिए, उनके लिए यदि समिति बनानी है तो यह बात कही जा सकती है। नहीं तो हाल ही में अभी केन्द्रीय सरकार ने एक समिति का गठन किया था जिसमें विदेशों के भी शिक्षा शास्त्री थे और उस ने शिक्षा के सभी पहलुओं पर, चाहे वह माध्यम की बात हो अथवा उच्च शिक्षा में विषयों की, सभी पर अपनी राय व्यक्त की है और केन्द्रीय सरकार न शिक्षा मन्त्रालय में उस की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक अलग विभाग भी स्थापित कर दिया है और वह बड़ी सतर्कता से अपना कार्य कर रहा है। मैं तो मान्यवर, वहां की बात नहीं करता। मैं अपने प्रदेश की बात करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में भी जो प्रगति है....

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि अभी केन्द्रीय स्तर पर एक कमेटी बनी थी और उस ने अपनी रिपोर्ट दी है। तो क्या शिक्षा के केन्द्रीयकरण की बात का वह समर्थन करते हैं?

श्री रामायणराय--

मान्यवर, मैं बतलाऊं कि बहुत से भ्रम भी हैं। अभी हमारे कुछ लोगों ने विद्यालयों के राष्ट्रीयकरण की बात उठायी थी। आप जानते हैं कि गांधी जी ऐसा कहा करते थे कि शिक्षा पर सरकार का प्रभुत्व कम से कम होना चाहिए और बहुत हद तक हम ने जहां तक बेसिक एजूकेशन का सवाल है, माध्यमिक शिक्षा का सवाल है जो कि राज्य का आब्लीगेशन है, जिस के लिए कि राज्य का बुनियादी कर्तव्य है कि वह शिक्षा प्रदेश के हर नागरिक को मिले उस का प्रबन्ध किया है। किन्तु शिक्षा में राष्ट्रीयकरण की बात करना, मैं समझता हूं कि रेजिमेंटेशन की ओर जाना है। हम समाजवाद में विश्वास करते हैं। हम अपने प्रदेश को ऐसी शिक्षा पद्धति की ओर नहीं ले जाना चाहते जिस में शिक्षा का रेजीमेंटेशन हो। क्या हाल ही में हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया है? रोज कहा जाता है कि पूंजीपतियों की सरकार है। किन्तु मुझे मालूम है कि कौन पूंजीपतियों के हिमायती हैं। मन्त्री जी के ऊपर नाना प्रकार के प्रेशर डाले गए उन को अपने इस पवित्र विचार से विचलित करने के लिए, किन्तु उन्होंने आवश्यक समझा कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय और उन्होंने ऐसा किया। आचार्य नरेन्द्रदेव जी की सिफारिशों के रहते हुए नयी समिति की आवश्यकता में उचित नहीं समझता और माननीय सदस्यों से आग्रह करता हू कि प्रदेश में किस प्रकार धन बढ़े इस की ओर वह अधिक ध्यान देना आरम्भ करें।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव राम किशोर जी के नाम से प्रस्तुत किया गया है मैं उस का समर्थन करता हूं।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री झारखण्डेराय—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मौजूदा सरकार की शिक्षा नीति दिशा-शून्य है। वह स्पष्ट अब तक नहीं हो सका कि किस दिशा को लक्ष्य करके इस सरकार की शिक्षा नीति निर्धारित है और संचालित हो रही है।

मान्यवर, आपको याद होगा कि अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों ने भी एक शिक्षा नीति स्वीकार की थी और वह यह थी कि हिन्दुस्तान में उनकी हुकूमत को बनाए और उसे मजबूत करने के लिए और उसके ऊपर कोई हमला हो तो उसको सफल इन्तजाम करने के लिए एक ऐसा दल तैयार किया जाय जो उनका सहयोगी और गुलाम बन कर हमारे देश में रहे। वह नीति बहुत दूषित थी। वह हमारे देश को गुलाम बनाए रखने में सहायक हुई। हमारे देश में ऐसे गुलाम पैदा भी हुए, मगर वह एक स्पष्ट नीति थी। मौजूदा सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ी को किस दिशा में यह सरकार ले जाना चाहती है—न सरकार के सामने कोई रूप-रेखा है और न तो सरकार ने समाज के सामने कोई रूपरेखा रखी है। शिक्षा स्तर, किसी भी कारण, बहुत नीचा होता जा रहा है। अभी माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने इसके आंकड़े पेश किए। आप प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट कालेज की परीक्षाओं का परिणाम-फल ही अगर देखें तो निरन्तर गिरता हुआ स्तर स्पष्ट हो जाता है। मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि सरकार से, और आप भी सोचें आप मनीषी व्यक्ति हैं कि आखिर यह गिरता हुआ स्तर क्यों है? क्या इसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं जाना चाहिए? क्या सरकार का स्वयं फर्ज नहीं है कि वह सोचे और सोचने के लिए वह शिक्षाविदों की एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित करे जो निर्णय ले और सरकार उसके प्रतिवेदन से सबक लेकर आगे बढ़े? क्या यह कार्य रामकिशोर त्रिपाठी के जिम्मे पड़ा था?

मान्यवर, आपको यह भी स्मरण होगा कि इसी सरकार ने इस बात की घोषणा करायी थी इसी सदन में कुछ दिन पहले महामान्य राज्यपाल द्वारा कि दर्जा ८ तक की शिक्षा सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क दी जायगी। यह बात कई साल तक वित्त मन्त्रियों के भाषण में भी दोहराई गई। लेकिन वह सुन्दर घोषणा भी कोल्ड स्टोरेज में डाल दी गई। कुछ समय पहले जब विरोधी पक्ष की ओर से याद दिलाया गया तो सरकार ने यह आश्वासन दिया कि इसे कार्यान्वित करने के प्रश्न पर सोच रहे हैं। फिर कहा, अभी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि इसको कार्यान्वित किया जा सके। आज तक भी सरकार ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया।

मान्यवर, दुनिया के जितने उन्नत देश कहे जाते हैं, हमारा देश उन सब में प्रत्येक क्षेत्र में सबसे पीछे है और अनेक क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा है। हमारे यहां सरकार की कोई योजना सफल नहीं हुई। शिक्षा का यह हाल है कि हमारे प्रदेश में अभी तक केवल १७ फीसदी लोग ही शिक्षित हैं। एक कहावत है—जैसा काम वैसा दाम। मगर हमारे यहां काम के अनुसार पैसा नहीं मिलता। एक से काम के लिए सब को एक सा वेतन भी नहीं मिलता। मान्यवर, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों में जो असमानता है उसकी चर्चा हर क्षेत्र में होती है। परन्तु इसी सरकार के अधीन एक सा काम करने वाले जो शिक्षक हैं उनमें भी असमानता है, यह सरकार के लिए बड़े कलंक की बात है। एक सा काम करने वालों को एक सा वेतन दिया जाना चाहिए। रामायण राय जी चले गए, उन्होंने शान्ति की मांग की। मैं

पूछता हूं कि उनकी शान्ति का मतलब क्या यही है कि जो नीचे है वह नीचे पड़ा रहे और जो ऊपर है वह ऊपर पड़ा रहे? अगर यही शान्ति है तो यह शमशान की शान्ति होगी। शान्ति का अर्थ है कि सब को समान अवसर मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, और जब यह होगा तभी शान्ति रह सकती है। शिक्षक वर्ग न तो किसानों के वर्ग में आता है, और न सरकारी कर्मचारियों के ही वर्ग में गिना जा सकता है, न उनकी कोई ट्रेड यूनियन ही जैसी चीज है। कालेज के प्रोफेसर्स जो टाई लगाते हैं, उन्होंने भी जब प्रदर्शन किया था तो आपने देखा होगा कि शिक्षकों का जो प्रदर्शन यहां भवन के सामने हुआ उसको भी आपने देखा होगा। माध्यमिक शिक्षक वर्ग की हड़ताल से भी आप परिचित हैं। यह वर्ग आज बहुत उत्पीड़ित है इसलिए कि उनको उनके काम के अनुसार पारिश्रमिक नहीं मिलता, यहां तक कि समान कार्य के लिए समान वेतन तक नहीं मिलता, किसी को कम, किसी को बहुत ज्यादा। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्रीमन्, शिक्षा का स्तर आज क्यों गिर रहा है? शिक्षकों में आज क्यों इतना असन्तोष है? माननीय मन्त्री जी और उप मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे कि असन्तुष्ट शिक्षक वर्ग नयी पीढ़ी का सृजन नहीं कर सकते। भाषा का सवाल पेचीदा है। जब हम रूस और चीन का इतिहास पढ़ते हैं या किन्हीं ऐसे देशों का इतिहास पढ़ते हैं जो कहने को स्वतन्त्र थे, और अपने कंधे पर के सामन्ती जुए को नीचे गिरा दिए, या ऐसे देश जो गुलाम थे और अपनों को आजाद किया है, तो इस तरह से कहीं भी, किसी विदेशी भाषा में, ऊंची से ऊंची शिक्षा देने की प्रथा प्रचलित नहीं है। जब मैं इस बात को पढ़ता हूं कि चीन और रूस में आजादी आने के बाद उन्होंने ऊंची से ऊंची विज्ञान कला और तकनीकी किताबों का भी अपनी भाषाओं में अनुवाद किया....

एक सदस्य—

यहां तो डेमोक्रेसी है।

श्री झारखण्डेराय—

डेमोक्रेसी साध्य नहीं, साधन है। वह जनता की समुन्नति का साधन है। डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो या फासिज्म हो। ये तो सब माध्यम हैं। कौन सा साधन जनसाधारण की आकांक्षाओं की सम्यक पूर्ति कर सकता है उसी पर उस साधन की श्रेष्ठता निर्भर करती है। डेमोक्रेसी के नाम पर सब चीज छिपाई जा सकती है। नहीं, कतई नहीं।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जब मैं चीन के बारे में पढ़ता हूं तो यह पाता हूं कि वहां सब कुछ उन ही की भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हमें टीस होती है कि हम अपनी भाषा में अनुवाद नहीं कर सकते। क्या प्रोफेसर्स अंग्रेजी में पढ़ और अध्ययन कर अपनी मातृभाषा या हिन्दी में नोट्स नहीं लिखा सकते हैं। यह कोई कम्युनिलिज्म या कम्युनिज्म या फासिज्म की बात नहीं है। इसलिए भाषा के विषय में भी सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी होगी कि हमारे देश से अंग्रेजी को छुट्टी दी जाय। बहुत से लोगों में इसके सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। परन्तु जब विदेशी शासन चला गया तो उसके अवशेष पड़े रहें यह कोई अच्छी बात नहीं है। जितनी जल्दी हम उसको विदा कर सकें उतना ही अच्छा होगा। हां, जो शब्द सार्वजनिक हो चुके हैं जनप्रिय हो गए हैं, उन्हें यथावत् रहने दें। लेकिन ऐसी चीज जिसके बगैर भी हम अपनी विकास गति को आगे बढ़ा सकते हैं उन को छोड़ना चाहिए। उनमें अंग्रेजी भाषा भी है। अंग्रेजी भाषा सचमुच दासता का चिन्ह है। आप देखें आजकल यह रिवाज हो गया है कि कहीं भी हों अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं। मेरा इस सम्बन्ध में तो कईयों से झगड़ा हो गया कि आप घर में भी अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी एक रंग का माध्यम बन गया है। जनता में समानता का भाव लाने के लिए भी यह जरूरी है। हिन्दी में कोई चीज पढ़ाई जाएगी तो सीधे उस विषय का बोध करने के लिए बच्चे प्रयास करेंगे। अंग्रजी में तो यह होगा कि बच्चे पहले भाषा

[श्री झारखण्डेराय]

समझें और उसके बाद उसका जो कन्टेन्ट हो उसको समझें इससे बच्चों के दिमाग पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। इस भाषा से हमें जितनी जल्दी छुट्टी मिल जाय उतना ही अच्छा है।

मैंने शुरू में जो बात कही उसी से अन्त करूंगा। मुझे यह नहीं मालूम होता है कि हमारे बच्चों, बच्चियों और युवा, वतियों को किस तरफ सरकार ले जाना चाहती है। एक छोटी सी बात है लेकिन बड़े महत्व की है। हमारे देश में स्कि टाइट कपड़े पहनने का बड़ा शौक पैदा हुआ है। मैंने इस बारे में माननीय शिक्षा मन्त्री जी से प्रश्न भी किया था कि क्या माननीय मन्त्री जी इसकी रोकथाम नहीं करने जा रहे हैं तो उन्होंने उत्तर दिया "यह शिक्षा संस्थाओं के ऊपर है वे चाहें तो कर सकती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते।" आप चाहते हैं तो घर की रोटी पर भी दखल दे देते हैं, परन्तु इस पर दखल नहीं दे सकते। इतने व्यापक अधिकार आपको मिले हुए हैं लेकिन इस क्षेत्र में आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं जो चीज हमारे देश के बालक, किशोर और यु ियों को बिगाड़ रही है। सिनेमा घरों की बात कही जाय तो सरकार कहेगी कि वह तो सेन्टर का विषय है। प्रदेशों में कांग्रेस सरकार और केन्द्र में भी कांग्रेस सरकार है। क्या माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय चन्द्रभानु गुप्त वहां दिल्ली नहीं जाते हैं? क्या वहां ये लोग इस बारे में नहीं कह सकते? सिनेमा हमारे देश की तीन पीढ़ियों का सत्यानाश कर रहा है। उनको जनखा बना रहा है। उनका बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। सोवियट यनियन में और चीन तथा अन्य समाजवादी देशों में सिनेमाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में बड़ा लाभ उठाया जा रहा है और प्रगति की गई है। सिनेमा उनके प्रचार के साधन हैं। लेकिन यहां उसके माध्यम से देश के बच्चों के चरित्रों का सत्यानाश किया जा रहा है और उन स्वस्थ हितकारी रीति रिवाजों को समाप्त किया जा रहा है जो आज भी हितकर हैं ऐसी चीजों की सरकार कोई रोकथाम नहीं कर रही है। तीन-तीन पीढ़ियों के माने होते हैं ए शताब्दि। इसलिए शिक्षा नीति और दूसरी उन नीतियों की स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए जो हमारे समाज और खास कर हमारे नव वकों पर असर डालने वाली हैं। जब इनका स्पष्टरूप से निर्धारण हो जायगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प के केवल एक ही हिस्से के बारे में अधिक प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा, जिसमें शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए कहा गया है। प्रश्न यह है कि आज हमारी शिक्षा का स्तर क्यों गिरता जा रहा है। जहां तक मैं समझता हूं, उसका एक मात्र कारण विदेशी भाषा है। अंग्रेजी भाषा उसका कारण इसलिए है कि जब हमारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनका बहुत सा समय तो अंग्रेजी की स्पेलिंग रटने में निकल जाता है। उसके बाद भी वह समझ नहीं पाते हैं कि स्पेलिंग किस प्रकार से बनते हैं। मैं अतिशय क्ति नहीं करता लेकिन मेरी समझ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति राधाकृष्णन तथा ऐसे ही १०–५ आदमियों के लिए ही कहा जा सकता है कि वे अंग्रेजी ठीक जानते हैं अन्यथा अन्य लोग तो इसलिए पढ़ते हैं कि उनके लिए पढ़ना मजबूरी है। विश्वविद्यालयों में फेल होने वालों की संख्या जनरल इंग्लिश में ही है, जबकि और विषयों में उनका स्तर ऊंचा होता है। दुर्भाग्य यह है कि हमने उस भाषा को अपनाया है जिस भाषा को बोलने वाले २०० साल तक अच्छी तरह से रगड़ कर छोड़ गये। हमने उस भाषा को अपनाया है जिसमें भारतीयता क नाम को कोई चीज हो ही नहीं सकती। जिस भाषा को १८३५ में लार्ड मैकाले ने पढ़ाने के लिये कहा था कि ऐसे समाज की स्थापना होनी चाहिये जिसका शरीर तो देशी हो और मष्तिष्क विलायती हो, उसको हमने अपनाया। इसलिये उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रचार और प्रसार किया ताकि हुकूमत का काम ठीक ढंग से चले।

माननीय बंशीधर जी ने कहा कि वहां पर तो अधिनायकवाद है, यह डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। मैं जानता चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में क्यों नहीं हो सकता है। पांडेय जी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो दिल्ली वाले नेता हैं, वे जो तर्क देते हैं, वे भी वही चाहते हैं। उनका कहना है कि भारत में अनेक प्रकार के लोग बसते हैं, इसलिए संपर्क भाषा वह ही हो सकती है जो अंग्रेजी की तरह पहले से चली आयी है। अंग्रेजी भाषा कभी भी हमारे देश में संपर्क भाषा न थी, न है और न होगी। मैं कतिपय उदाहरण देना चाहता हूं। सन् १६५५ में एडवर्ड टेरी ने जो एक लेखक थे, एक पुस्तक "येज टू दी ईस्ट इंडीज" में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भारत की भाषा हिन्दी है। १७०४ ई० में तुरानेसिस, जो एक विद्वान हुए हैं, ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत की भाषा हिन्दी है। सन् १७५५ में जे० जे० कटलियर ने अपने डच मालिकों के लिए एक हिन्दुस्तानी व्याकरण लिखी है, जिससे भी यह सिद्ध होता है कि भारत में हिन्दी भाषा ही संपर्क भाषा थी। इसी तरह से १७२७ में ए० हैमिल्टन ने अपनी यात्रा के विवरण में लिखा है कि मुगल साम्राज्य में हिन्दी भाषा थी, हिन्दुस्तान के हिन्दी बोलने वाले प्रांतों में ही नहीं बल्कि अहिन्दी प्रांतों में भी। तो इसके मायने यह होते हैं कि पूरे भारतवर्ष में हिन्दी ही संपर्क भाषा थी। १८५२ ई० में फ्रांस के प्रसिद्ध गासी दतासी ने हिन्दुई को ही राष्ट्र भाषा बताया है। तो इसी प्रकार १८६४ में प्रकाशित होनेवाली हाबसन जाबसन में श्री घठे ने मराठी पुस्तक में हिन्दी को राष्ट्रीय बताया है। तो यह कहना कि केवल अंग्रेजी ही एक मात्र संपर्क भाषा हो सकती है और अगर अंग्रेजी को हटाकर हिन्दी को किया गया तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जायगी, मुनासिब नहीं है।

कितनी अच्छी एक टट्टी बना रखी है डेमोक्रेसी! यह तो एक जादू की लकड़ी हो गयी डेमोक्रेसी!! सरकार को जिस जगह से भागना पड़े, या कोई काम करने की इच्छा न हो, या कोई गलत काम करना चाहती हो सरकार, तो डेमोक्रेसी की टट्टी सामने। भाव बढ़ेंगे जी से कहिए कि व्यापारियों को पकड़ो तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी की वजह से नहीं पकड़ सकते। राष्ट्रभाषा, देशी भाषा हो, हिन्दी हो, पांडेय जी कहते हैं कि डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है डेमोक्रेसी में, क्या यही हो सकता है कि जो आज हो रहा है कि डेमोक्रेसी में? यदि यही हो सकता है तो रंच भी नहीं हिचकूंगा यह कहने में कि इसको दफना दीजिए। राज्य नाम की संस्थ का जन्म किस लिए हुआ था? इसका जन्म हुआ था प्रजा के लिए। जितने वाद हैं और क्रेसीज हैं वे सब इसलिए हैं कि किस क्रेसी में जनता को सुख होता है। स्पेन के तानाशाह, जनरल फ्रन्को के पास अमरीका के कुछ सिर फिरे डेमोक्रेट्स पहुंचे और कहने लगे कि साहब दुनिया डेमोक्रेसी की तरफ चली गई और आप यहां अभी भी अधिनायकवाद कायम किए हैं। उन्होंने कहा आप हमारी जनता को समझा दीजिए वह डेमोक्रेसी पसन्द कर ले तो कल ही से कर दूं। उन्होंने कहा हमें मौका दीजिए। आज्ञा हुई कि आप जा कर के कहीं भी खड़े होकर जहां कहीं भी भाषण देना चाहें, दे सकते हैं मगर न्यूसेंस क्रीएट न कीजिएगा, यानी जनता के सुख में बाधक न बनिये अन्यथा पकड़ लिये जायेंगे। वह लोग गये और एक मंच बना कर बोलने लगे। कुछ लोग इकट्ठा हुए देखने के लिए कि क्या तमाशा हो रहा है। उन की बातें जब सुनीं तो जनता के लोगों ने पुलिस वालों से कहा कि तुम लोग पागल हो गये हो, इनको यहां से हटाओ। जनरल फ्रैंको ने साफ कहा था जनता क्रेसीज में विश्वास नहीं करती, वाद में विश्वास नहीं करती, जनता केवल अपना सुख और अपनी मान मर्यादा की रक्षा चाहती है। जिस किसी भी वाद से संभव हो उसी को मानती है। यदि आप डेमोक्रेसी के द्वारा जनता को सुख दे सकते हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे चलायें। यदि आप डेमोक्रेसी के द्वारा गुलामी लादना चाहते हैं, लोगों को भूखा रखना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, देश को दरिद्र बना कर के नंगा बना कर के खड़ा करना चाहते हैं, यदि आप डेमोक्रेसी के द्वारा इस प्रकार की चीजें करना चाहते हैं तो क्षमा कीजिए ऐसी डेमोक्रेसी को इतने नीचे गाड़िए, जैसे औरंगजेब ने कहा था संगीत के लिए। लोगों ने देखा संगीत मरा जा रहा है, राजा की तरफ से उसके ऊपर हाथ नहीं है। एक अर्थी निकाली। औरंगजेब ने पूछा कैसी अर्थी है। लोगों ने कहा संगीत की अर्थी है। उसने कहा कि इसको इतना नीचे गाड़ो कि फिर आवाज न आ सके।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

मैं साम्यवाद का विरोधी हूं मगर रूस के बारे में कामराज साहब ने क्या कहा है आपको डेमोक्रेसी के बड़े भारी नेता हैं जिनकी एक ही कामना में पता नहीं कितने आदमी बेकाम हो गए। उन्होंने कहा है, इसके पहले वह भी हिन्दी के बड़े विरोधी थे, अब लौट कर देखिए वह क्या करते हैं, कुछ उनके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा है या नहीं। नहीं तो मद्रास में राजाजी को डाउन करने के लिए वह खुद अंग्रेजी के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने रूस का दौरा किया और देखा कि रूस के अन्दर हर प्रांत की अपनी अपनी भाषा है परन्तु संपर्क भाषा रूसी है तब उनकी आंखें खुलीं और तब उन्होंने कहा कि अपने देश में भी एक संपर्क भाषा और वह भी देशी भाषा होनी चाहिए। किन्तु लज्जा का विषय है कि जिस भाषा में हमारे बहादुरों को, हमारे राष्ट्र नायकों को और अपने यहां की महान् विदुषी तथा बहादुर स्त्री रानी झांसी को कलंकित किया गया है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को कायर और गुंडा तथा बदमाश कहा गया है उस भाषा को हम अपनी संपर्क भाषा मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए क्या कहें हम ? संविधान निर्मात्री सभा ने यह बतलाया कि हिन्दी ही एक मात्र भाषा ऐसी है जो संमर्क भाषा देश की हो सकती है किन्तु कुर्सी सलामत रहे, देश और देशवासी भाड़ में जायं इस भावना ने हिन्दी को कुचल कर रख दिया है। १७, १८ साल में आपने जितना भ्रष्टाचार, कर, अव्यवस्था बढ़ा दी, दुख बढ़ा दिय अगर उसी अनुपात से हिन्दी को बढ़ाया होता तो आज हिन्दी पूरे देश की राष्ट्र-भाषा हो जाती लेकिन खेद इस बात का है कि हमारे दिमाग में यह बात घुसी हुई है कि अंग्रेजी के वगैर कुछ नहीं हो सकता।

एक बात निवेदन कर दूं कि गिरधारी लाल जी फाइलों पर अंग्रेजी में नोट लिखते थे। मैंने प्रश्न किया तो टेलीफोन पर मुझसे कहा कि तुमने प्रश्न कर दिया। मैंने कहा कि आपने अंग्रेजी क्यों लिखी। अध्यक्ष को उन्होंने आश्वासन दिया कि अब मैं नहीं लिखूंगा लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसके बाद भी अंग्रेजी में लिखते जा रहे हैं। २२ अप्रैल, ६१ को माननीय गुप्ता जी जब मुख्य मंत्री थे तो कैबिनेट की मीटिंग में यह तय हुआ कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य अपने नोट, आदेश तथा टिप्पणी हिन्दी में लिखेंगे लेकिन उसके बावजूद माननीय गिरधारीलाल जी अंग्रेजी में ही नोट लिखते रहे और आश्वासन देने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजी में ही लिखा है। उसके लिए मैं एक ही दो रोज में उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करूंगा।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६

समिति अधिकारी—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६, को सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७३२–७३६ पर)

अवमूल्यन का उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, दफा ५३ के अन्तर्गत जो अवमूल्यन के प्रश्न पर आज चर्चा होने वाली थी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उसे मंगलवार को ले लिया जाय क्योंकि आज बहुत से माननीय सदस्य इच्छुक हैं कि आज इसे न लिया जाय।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

ठीक है, मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन काम देखने के बाद ही मैं समय बतला सकूंगा कि यह सोमवार को लिया जायगा या मंगलवार को क्योंकि एक ऐसा ही प्रश्न नियम ५३ का और है । तो उस संबंध में टाइम बाद को ही निश्चित किया जायगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मंगलवार को भले ही ले लें लेकिन शुक्रवार का दिन न हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं । शुक्रवार का दिन नहीं होगा ।

अब हम उठते हैं, अब ८ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर १ मिनट पर सोमवार, ८ अगस्त, १९६६, के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
५ अगस्त, १९६६ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९६०

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६०, को आगे दिए हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिए

विधेयक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, १९६६, कहलायेगा ।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, निश्चित करे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९६०, की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में खण्ड (७) के अन्त में आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(७-क) उप सभापति का तात्पर्य बोर्ड के उप सभापति से है; और"

धारा ५ का प्रतिस्थापन

३—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :—

"५—(१) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

बोर्ड का संघटन

(क) उद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश, जो बोर्ड के सभापति होंगे;

(ख) निम्नलिखित सरकारी सदस्य होंगे अर्थात् :—

(१) उद्योग उपमंत्री, उत्तर प्रदेश, यदि कोई हो; तथा

(२) राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों में से पांच व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे; तथा

(ग) कम से कम सात और अधिक से अधिक नौ गैर-सरकारी सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जायेंगे जो उसकी राय में खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास से संबंधित मामलों में अनुभव रखने तथा दक्षता के कारण योग्यता प्राप्त हों ।

(२) राज्य सरकार, खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ऐक्ट, १९५६, के अधीन स्थापित खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के सभापति के परामर्श से, गैर-सरकारी सदस्यों में से एक उप सभापति नियुक्त करेगी ।

(३) प्रत्येक-गैर-सरकारी सदस्य की नियुक्ति सरकारी गजट में विज्ञापित की जायगी ।"

४—मूल अधिनियम की धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रखे दिया जाय :— धारा ६ का प्रतिस्थापन

"६—(१) गैर-सरकारी सदस्यों तथा उप-सभापति की पदावधि — गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि, सरकारी गजट में उनके नाम विज्ञापित किए जाने के दिनांक से तीन वर्ष होगी ।

(२) उप सभापति की पदावधि गैर-सरकारी सदस्य के रूप में उसकी पदावधि के समय तक होगी ।

(३) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी ऐसे गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है—

(क) जो दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ख) जो ऐसे अपराध के लिए सिद्ध-दोष हुआ हो जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक पतन समन्वित हो ; या

(ग) जो शारीरिक या मानसिक रूप से ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो ; या

(घ) जिसने राज्य सरकार की राय में, बोर्ड के सर्वोत्तम हित में कार्य न किया हो या जो इस प्रकार कार्य करने में असमर्थ हो गया हो, या जिसने सदस्य के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका इस प्रकार बने रहना बोर्ड तथा जनसाधारण के हितों के लिए हानिकर हो ;

प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन किसी गैर-सरकारी सदस्य को हटाने के पूर्व, उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगी ।

(४) राज्य सरकार किसी ऐसे गैर-सरकारी सदस्य को, जिसके विरुद्ध उपधारा (३) के अधीन कार्यवाही विचाराधीन अथवा अवेक्षित हो, ऐसी कार्यवाही समाप्त होने तक के लिए निलम्बित कर सकती है ।

(५) कोई गैर-सरकारी सदस्य राज्य सरकार को संबोधित लिखित पत्र द्वारा जिस पर उसके हस्ताक्षर हों त्याग-पत्र दे सकता है, और ऐसे त्याग-पत्र के स्वीकार किए जाने पर, वह सदस्य नहीं रह जायेगा ।

(६) किसी गैर-सरकारी सदस्य के पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा नयी नियुक्ति करके की जायगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य ऐसे सदस्य की, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया हो, शेष पदावधि के लिए पदासीन रहेगा ।"

५—मूल अधिनियम की धारा ७ में— धारा ७ का संशोधन

(क) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :

"(२) सभापति, या उसकी अनुपस्थिति में, उप सभापति, या दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य, बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा ;"

(ख) उपधारा (३) में शब्द "सभापति या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति" रख दिय जायं ।

(ग) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात:—

"(४) बोर्ड को किसी विषय पर परामर्श अथवा सहायता देने के प्रयोजन से सभापति, किसी व्यक्ति को बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए आमन्त्रित कर सकता है। ऐसे आमंत्रित व्यक्ति को बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा।

धारा ९ का प्रतिस्थापन

६—मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :—

बार्ड का कार्यालय

"९—बोर्ड का कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञापित करे और जब तक इस प्रकार विज्ञापित न किया जाय तब तक वह कानपुर में ही स्थित रहेगा।"

धारा १० का प्रतिस्थापन

७—मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :—

बोर्ड के अन्य अधिकारी और कर्मचारिवर्ग

"१०—(१) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों पर जो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे :

(क) बोर्ड के परामर्श से उसका सचिव, तथा

(ख) बोर्ड का लेखाधिकारी, नियुक्त करेगी।

(२) बोर्ड तदर्थ बने विनियमों के अनुसार ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जो वह उचित समझे"

धारा ११ का प्रतिस्थापन

८—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय अर्थात:—

सचिव तथा लेखा अधिकारी के अधिकार और कर्त्तव्य

"११—धारा ३१-क के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सचिव तथा लेखा अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसें कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो नियत किए जायें।"

धारा १२ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा १२ में—

(क) उपधार (१) में शब्द "बोर्ड के कर्मचारियों" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १० की उपधारा (२) के अधीन नियुक्त बोर्ड" के अधिकारियों तथा कर्मचारियों" रख दिए जायं ; और

(ख) उपधारा (२) में शब्द "सभापति" के स्थान पर शब्द "उप सभापति" रख दिया जाय।

धारा १३ का प्रतिस्थापन

१०—मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :—

बोर्ड के आदेश तथा संलेख

"१३—बोर्ड की ओर से प्रत्येक संविदा या सम्पत्ति का हस्तान्तरण लिखित रूप में होगा तथा वह ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से निष्पादित किया जायगा जो नियत की जाये और बोर्ड का प्रत्येक आदेश या निर्णय उप-सभापति

या सचिव या ऐसे अन्य सदस्य अथवा अधिकारी के जो बोर्ड द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत किया जायगा ।

धारा १४ का निकाला जाना

११—मूल अधिनियम की धारा १४ निकाल दी जाय ।

धारा १५ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) में शब्द "विनियमन करना" तथा उसके पश्चात् आये हुए पूर्ण विराम के बीच में शब्द "और अपने द्वारा बनायी गयी योजनाओं को कार्यान्वित करना" बढ़ा दिए जायें ।

धारा २१ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (२) में—

(१) खण्ड (क) में शब्द "सभापति" के स्थान पर शब्द "उप सभापति" रख दिया जाय ; तथा

(२) खण्ड (ख) में शब्द "कर्मचारियों" के स्थान पर शब्द "अधिकारियों और कर्मचारियों" रख दिए जायं ।

नयी धारा का बढ़ाया जाना

१४—मूल अधिनियम की धारा २५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"२५-क—बोर्ड किसी अकेले मामले में एक हजार रुपये तक की और किसी वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर दस हजार रुपये तक की धनराशि को जो उसे देय हो बट्टे-खाते में डाल सकता है यदि उसकी राय में ऐसी धनराशि वसूल होने योग्य न हो ।"

(वसूल न होने योग्य देयों को बट्टे खाते डालने का अधिकार)

धारा ३० का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा ३० की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् : —

"(३) बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जायगी ।"

नयी धारा का बढ़ाया जाना

१६—मूल अधिनियम की धारा ३१ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"३१-क—बोर्ड सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा स्वयं पुनर्विलोकन करने की शर्त भी है, अधीन रहते हुए जो आदेश में निर्दिष्ट की जायं, उप-सभापति, या सचिव को इस अधिनियम के अधीन अपने उन अधिकारों तथा कृत्यों को प्रतिनिहित कर सकता है जो वह उचित समझे ।"

(अधिकारों तथा कृत्यों का प्रतिनिधान)

नयी धारा का बढ़ाया जाना

१७—मूल अधिनियम की धारा ३५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"३५-क—खादी तथा ग्राम उद्योग के विकास के लिए बोर्ड द्वारा दिए गये किसी ऋण या अग्रिम धन या अनुदान के संबंध में यदि कोई धनराशि वसूल होने योग्य हो तो उसे विधि द्वारा व्यवस्थित किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है ।"

(कतिपय देयों की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली)

धारा ३६ का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (२) में—

(१) खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) निकाल दिए जायें ;

(२) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्
"(ग) सचिव तथा लेखा अधिकारी के अधिकार और कर्त्तव्य,"

धारा ३७ का संशोधन

१९—मूल अधिनियम की धारा ३७ की उपधारा (२) में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात—

"(ख) धारा १० की उपधारा (२) में अभिदिष्ट व्यक्तियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें ;"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

२०—(१) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के सभापति या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा ५ का संशोधन किये जाने पर भी तब तक और केवल तब तक के लिए ही पद पर बना रहेगा जब तक कि उपर्युक्त संशोधित धारा ५ के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड का पुनः संघटन न हो जाय ।

(२) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) या धारा ३७ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार ऐसी शर्तों पर जो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे, किसी ऐसे व्यक्ति की सेवाओं को जो राज्य सरकार के अधीन सेवायोजित हो, बोर्ड को सौंप सकती है ।

उद्देश्य और कारण

खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग ने राज्य सरकार को यह परामर्श दिया है कि बोर्ड को अपनी योजनाओं को, उद्योग निदेशक के अभिकरण के माध्यम से कार्यान्वित कराने के बजाय स्वयं कार्यान्वित करना चाहिए । राज्य सरकार ने यह सलाह मान ली है और इस कारण यह प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम की धारा १४ निकाल दी जाय ।

बोर्ड का कार्य संचालन और अच्छी तरह से करने के लिए उसके संघटन में भी परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया है । अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव किया जाता है कि उद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश बोर्ड का सभापति होना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा खादी ग्राम उद्योग आयोग के परामर्श से गैर सरकारी सदस्यों में से एक सदस्य को बोर्ड का उप सभापति नियुक्त किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त यह भी इष्टकर प्रतीत होता है कि बोर्ड को ऐसा प्राधिकार दिया जाना चाहिए जिससे कि वह एक निश्चित सीमा तक अपने देयों को बट्टे-खाते में डाल सके यदि उसकी राय ऐसी धनराशि वसूल होने योग्य न हो, और बोर्ड को यह भी अधिकार होना चाहिए कि वह अपने कुछ देयों को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल कर सके ।

इन परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के लिए और अधिनियम में कतिपय कठिनाइयों तथा कमियों को दूर करने के लिए यह संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

सुचेता कृपालानी
मुख्य मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—९७ एल० ए०—१९६६—८४६ ।